खण्ड-369, अंक-7
शुक्रवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1907
(22 मार्च, 1985 ई0)

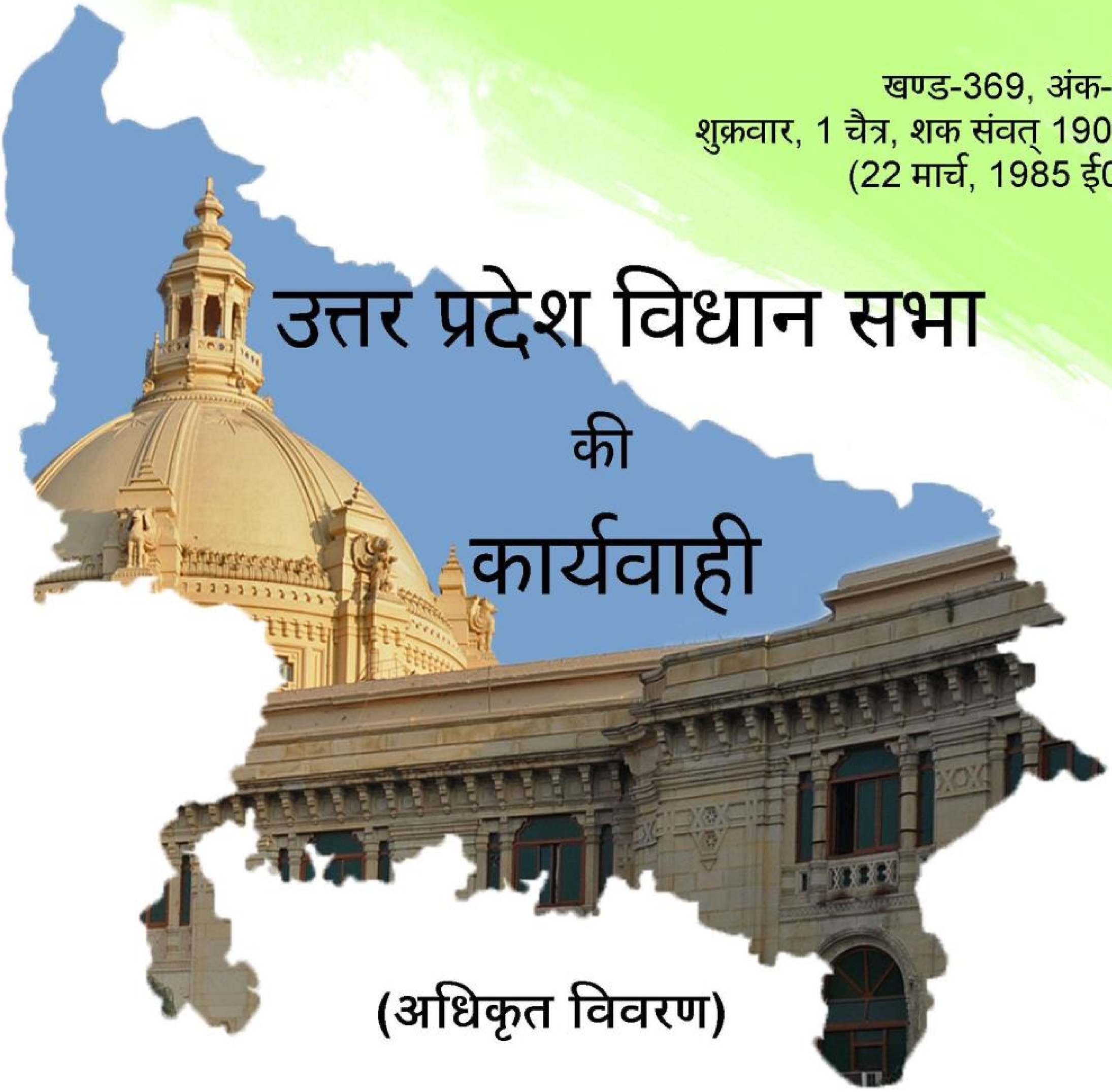

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 369 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1
प्रश्नोत्तर ..	3–7
मुजफ्फरनगर के खरड़ भौरा कला जैतपुर आदि गांवों की उपजाऊ भूमि में दीमक लगने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	7–8
उप पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा चुनावों में कांग्रेस (आई0) का प्रचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	8
राधे कोल्ड स्टोरेज तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा किसानों को क्षति-पूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	8
ग्राम खण्डासा, फैजाबाद की सार्वजनिक सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	8–8
पीलीभीत के ग्राम भरा पचपेड़ा में गैर आबाद भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	9
ऐशबाग रोड, लखनऊ पर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	10
मामनऊ चौकी से सलेमपुर घाट, बाराबंकी निर्माणाधीन मार्ग को पूरा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	10
औरैया, इटावा में अस्पताल न होने से उत्पन्न समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11
बाराबंकी जनपद के पोस्ता काश्तकारों की खेती नष्ट होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11
करहल कस्बा, मैनपुरी में पेय जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11
प्रान्तीय खंड, पी0 डब्लू0 डी0, बहराइच के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	12
ग्राम कटरी कुबेरपुर, फर्रुखाबाद में हुए अग्निकांड से क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	12
कुमारी कटोरी देवी द्वारा 1107 दिनों से विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	12–13

विषय	पृष्ठ संख्या
नगरपालिका शाहजहांपुर की लापरवाही के कारण नगर में व्याप्त गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	13
नगरपालिका सीतापुर की अकर्मण्यता के कारण फैली हुई दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	13
प्रदेश के अरबी विद्यालयों में नये पदों के सृजन पर रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	13–14
आगरा जनपद की गैस एजेन्सियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	14
फिरोजाबाद में पेय जल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	14–15
मैनपुरी जनपद के अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	15
बिक्रमजोत से दुबोलिया बाजार, बस्ती में बंधा न बनने से गांवों के डूबने की आशंका के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	15–16
संभल, मुरादाबाद में पुराने बिजली के तार गिरने से हुई दुर्घटनाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	16
गजरौला इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा हस्तगत की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	16
महुली थानाध्यक्ष श्री कक्कड़ राम की डकैतों द्वारा हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	17
आजमगढ़ जनपद की ताड़ी की दुकानों को पासी जाति के लोगों को आवंटित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	17
जुम्मन खां की झोपड़ी, आगरा कैन्ट के आदिवासियों की पूजागृहों को सेना के अधिकारियों द्वारा तोड़ कर कब्जा जमाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	17–18
भूमि विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री एस0 बी0 चतुर्वेदी के भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	18
दोआबा बलिया के गांवों में अग्निकाण्ड से क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	18–19
वाराणसी के कतिपय ग्रामों की भूमि मस्टर प्लान के नाम पर अधिगृहीत किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	19

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 700 ग्राम विकास अधिकारियों के सामने बेरोजगारी से उत्पन्न भुखमरी की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	19–20
बनवारी पेपर मिल लि0 काशीपुर, नैनीताल द्वारा उत्पादन शुल्क व बिक्री-कर की चोरी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	20
देवरिया जनपद में बालू खनन के कार्य को मल्लाहों की सहकारी समिति को न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	20–21
मांट, मथुरा में पेय जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	21
बाराबंकी जनपद में अफीम की खेती बर्बाद होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	21
मंझनपुर, इलाहाबाद को औद्योगिक नगर बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	21–22
भक्त रसखान आदि की समाधियों के जीर्णोद्धार की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	22
सी0 एस0 नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई के छात्रों की पिटाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	22–23
सुआव नाले तथा राप्ती नदी, डुमरियागंज के पुल पर अवैध रूप से धन वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	23
एतमादबौला, आगरा पुलिस द्वारा श्री चन्द्र वर्मा वकील की अवैध गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	23
प्रदेश में घटिया स्तर की दवाइयों की खरीद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	24
मोरना मुजफ्फरनगर में पुलों और बांध के निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	24
उन्नाव जनपद में मिट्टी के तेल की बढ़ी हुई कीमतों को समाप्त करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	24
राम नगर, बस्ती में हुए अग्निकाण्ड के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	25
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	25–33
नगर महापालिका, कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	33

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	33
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (ऋण और अग्रिम देना) नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	33
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1981-82 के लेखा पर महालेखाकार द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	33
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	34
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	34
दिनांक 13 फरवरी, 1984 के विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य, श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	34-35
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	35
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	35
खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की की सूचना ..	35-36
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	36-51
वित्तीय वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा (समाप्त) .	51-71
वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 1—प्रशासकीय विभाग (स्वीकृत) ..	71-72
अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत) ..	72
अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) (स्वीकृत) ..	72
अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	72
अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ..	72
अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ..	73

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग . . (स्वीकृत) . .	73
अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग . . (स्वीकृत) . .	73
अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) . . (स्वीकृत) . .	73
अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) . . (स्वीकृत) . .	73-74
अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग . . (स्वीकृत) . .	74
अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग (स्वीकृत)	74
अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) . . (स्वीकृत)	74
अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) . . (स्वीकृत) . .	74-75
अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) . . (स्वीकृत) . .	75
अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) . . (स्वीकृत)	75
अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग . . (स्वीकृत) . .	75
अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग . . (स्वीकृत) . .	75-76
अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) . . (स्वीकृत) . .	76
अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) . . (स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) . . (स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग . . (स्वीकृत) . .	76-77
अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग . . (स्वीकृत) . .	77
अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग . . (स्वीकृत) . .	77
अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग . . (स्वीकृत) . .	77
अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग . . (स्वीकृत) . .	77-78
अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग . . (स्वीकृत) . .	78
अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग . . (स्वीकृत) . .	78
अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग . . (स्वीकृत) . .	78
अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग . . (स्वीकृत) . .	78
अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग . . (स्वीकृत) . .	79
अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग . . (स्वीकृत) . .	79

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग...(स्वीकृत) ..	79
अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)...(स्वीकृत)	79
अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग...(स्वीकृत) ..	79—80
अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग...(स्वीकृत) ..	80
अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग...(स्वीकृत) ..	80
अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)... (स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)...(स्वीकृत)	80—81
अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग...(स्वीकृत) ..	81
अनुदान संख्या 46—वन विभाग...(स्वीकृत) ..	81
अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय).. (स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)...(स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)...(स्वीकृत)..	82
अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)...(स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)... (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय...(स्वीकृत) ..	82
अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग...(स्वीकृत) ..	83
अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग...(स्वीकृत) ..	83
अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)...(स्वीकृत)..	83
अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन)...(स्वीकृत) ..	83
अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)... (स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)... (स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)...(स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)...(स्वीकृत)	84—85

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग...(स्वीकृत) ..	85
अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग...(स्वीकृत) ..	85
अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग...(स्वीकृत) ..	85
अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग...(स्वीकृत) ..	85
अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग...(स्वीकृत) ..	86
अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग...(स्वीकृत) ..	86
अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण (विभाग (अधिष्ठान)... (स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)...(स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)... (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)...(स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)... (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)...(स्वीकृत)..	87
अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)...(स्वीकृत)..	88
अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग...(स्वीकृत) ..	88
अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग...(स्वीकृत) ..	88
अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग...(स्वीकृत) ..	88
अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग... (स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग...(स्वीकृत) ..	89
उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985...(पारित)	89-98
1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव...(स्वीकृत)	98
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985...(पारित)..	98-110
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985...(संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	110-116

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	116–124
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985...(संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	125–133
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	133
चुनार, मिर्जापुर में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	133–136
प्रदेश के कई जिलों में मस्तिष्क ज्वर से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	136–138
लखना, जनपद इटावा में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	138–139
प्रदेश में बढ़ते हुए जल प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा...(समाप्त)	139–151
'भारत का संविधान' में संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन का संकल्प...(स्वीकृत) ..	151
सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव... (स्वीकृत)..	151–153
मतियां	155

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन संस्थान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अकबर हुसैन बावर, श्री (फैजाबाद)
अजीजुर्रहमान श्री (बिजनौर)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अरविंद तिवारी, श्री (जालौन)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, श्री (आगरा)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दुर्गा प्रसाद, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नारायन हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
नेक चन्द्र पान्डेय, श्री (कानपुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (इलाहाबाद)
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) (गोंडा)
फागू, श्री (आजमगढ़)
महावीर सिंह, (सहारनपुर)
मोहम्मद अकिल, श्री (मुरादाबाद) (उर्फ मुन्ना मियां)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
रजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
रामनाथ मुन्शी, श्री (गाजीपुर)
लक्ष्मी नारायण, श्री (मथुरा)
विक्रमादित्य पान्डेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
सुरेन्द्र, श्री (गाजीपुर)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1985 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि यन्त्रों की खरीद में क्रय कर की छूट की घोषणा

**1—श्री मित्रसेन, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री राम सजीवन सिंह—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने अभी हाल में कृषि यन्त्रों की खरीद में क्रय कर की छूट की घोषणा की है ? यदि हां, तो यह आदेश कब से लागू हो रहे हैं ? क्या एजेंसीज को छूट पर कृषि यन्त्र देने के आदेश निर्गत हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जो हां, शक्ति चालित एवं ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों को, जिनकी सूची तद्विषयक विज्ञप्ति में दी गई है, दिनांक 1 फरवरी, 1985 से कर से मुक्त कर दिया गया है । विज्ञप्ति की प्रतियां सभी कर निर्धारक अधिकारियों आदि को भेज दी गई हैं । एजेन्सीज को इस विभाग द्वारा कोई आदेश नहीं जारी किए जाते, क्योंकि यह अनुमान किया जाता है कि सभी व्यापारी तत्समय प्रवृत कर की दरों को ध्यान में रखते हुए ही क्रय-विक्रय के सम्व्यवहार करेंगे ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से कृषि यंत्र हैं जिन पर छूट दी गई है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, 4 प्रकार के यन्त्र हैं एक तो यह जो मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं । दूसरे वह जिन्हें पशुओं द्वारा चालित किया जाता है । तीसरे वह हैं जो ट्रैक्टर से चालू होते हैं । चौथे प्रकार के वह यन्त्र हैं जो विद्युत् से चालू होते हैं । मान्यवर, इनकी सूची लम्बी है । आप जिसको कहें बता दें या आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दें । मान्यवर, यह विज्ञप्ति गजट हो चुकी है ।

श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रैक्टर पर छूट न दिये जाने का क्या कारण है ? वह भी कृषि यन्त्रों में शामिल है और कृषकों के उपयोग में आता है । जिन यन्त्रों के बारे में छूट दी जा रही है उन यंत्रों के बारे में जिले के कर निर्धारण अधिकारियों ने एजेंसीज पर छूट सम्बन्धी सूचना प्रेषित करवायी है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, ट्रैक्टर्स पर छूट दी गयी है और यह जो ट्रैक्टर हैं इसमें एक थोड़ी सी बैन कर दिया है कि उनकी जो प्राइस 31 दिसम्बर, 1984 को होगी उसी प्राइस पर बेचेंगे तो उनको सेल्स टैक्स पर छूट दी जायगी ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह और कह दूं, अभी हमारे सहयोगी मंत्री जी ने जो बताया है, जो ट्रैक्टर का बिक्री कर वसूल होता है हमारा यह विचार है कि इससे जो आमदनी हो वह जिला परिषद् निधि को दे दी जाय ताकि जिला परिषद् की आय बढ़े । इस सम्बन्ध में हमारी एक कमेटी बैठी हुई है । सदन सहमत होगा कि जब तक हम ब्लाक, ग्राम सभाओं के साधनों को नहीं बढ़ायेंगे तब तक वह सेवा कार्य नहीं कर पायेंगे । बड़े अच्छे लोग ब्लाक में चुन कर आये हैं । तो इस प्रकार से जो आमदनी होगी वह जिला निधि को चली जायगी ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, जो ट्रैक्टरों से बिक्रीकर की आमदनी होगी वह हम जिला निधि को दे देंगे ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि न कृषक जानते हैं कि छूट है और न दूकानदार जानते हैं कि छूट है । तो क्या माननीय मंत्री जी कोई निर्देश जारी करेंगे कि जो एजेंसीज हैं और बेचने वाले हैं उन तक यह सूचना पहुंच जाय कि किन-किन यंत्रों पर कितनी-कितनी छूट दी गयी हैं ताकि किसान को पता चल सके ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जिन चीजों पर बिक्री कर लगता है, तो छूट के बाद वह गजट कर दिये गये हैं । यह उम्मीद की जाती है कि सभी एजेंसियों वाले इसको व्यवहार में पालन करेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा आदि जिले फरीकाबाद के निकट पड़ते हैं । वहां स्कार्ट फोर्ड ट्रैक्टर की जो एजेंसियां हैं, वे किसानों से बिक्री कर का 31 नम्बर का फार्म भरवा कर सीधे कम्पनी से ट्रैक्टर का क्रय दिखा देते हैं और ट्रैक्टर की स्वयं सप्लाई करके पैसा खा जाते हैं । इस स्थिति में किसान से पैसा चला जाता है और सरकार को टैक्स नहीं मिलता । एजेंसी मालिक के बीच में मुनाफा खा जाते हैं । तो माननीय मुख्य मंत्री जी ट्रैक्टर पर बिक्री कर माफ करना क्या नहीं चाहते ? जिला परिषद् और ग्राम सभा आदि की आमदनी की बढ़ोतरी की जो बात कही गयी है, उसके सन्दर्भ में मेरा कहना है कि इनकी आमदनी के सम्बन्ध में और साधन सोच लें, किन्तु ट्रैक्टर का बिक्री कर अवश्य माफ कर दें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ट्रैक्टर के ऊपर जो छूट की गयी है, वह एक निर्धारित तिथि तक की गई है । मान्यवर, एजेंसी ने, ट्रैक्टर निर्माताओं ने उस तिथि से ट्रैक्टर के मूल्य में वृद्धि कर दिया है ताकि उसमें कर से छूट न हो । उस तारीख को जितने ट्रैक्टर थे उसमें बिक्री कर से छूट मिल जाती है, तो वास्तव में उससे काश्तकारों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है । अगर आप छूट काश्तकारों को देना चाहते हैं, तो उसमें तिथि निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री नारायन दत्त—

जो एजेंसीज ने दाम बढ़ाए हैं, कम्पनियों ने दाम बढ़ाये हैं । उनको हम बैठक बुला लेंगे । हमने इसलिए कहा जिला निधि भी बढ़ाना आवश्यक है । इसलिए मैंने भविष्य का संकेत दिया है कि हम बिक्री कर के पैसे को जिला निधि में ट्रान्सफर कर देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, बिक्री कर में छूट तो दिया, परन्तु उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है । उसका अनुपालन कैसे करायेंगे, ताकि वह छूट काश्तकारों को मिल सके ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि उसका अनुपालन नहीं हो रहा है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपकी पीठ से अनेकों बार यह निर्देश हुए हैं कि अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के लिए 40 मिनट का समय दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, हमारा प्रश्न बहुत ही महत्व-पूर्ण है, इसलिए हमें आपको समय देना चाहिये। आपने इसको 7 मिनट में समाप्त कर दिया। मान्यवर, कई मान-नीय सदस्य उसमें प्रश्न करने के इच्छुक हैं। आप हमारे संसदीय अधिकारों का संरक्षण करें।

श्री अध्यक्ष--

हमने काफी सवालात स्वीकार किए और जवाब आये।

जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में सूखे की स्थिति तथा अहेतुक सहायता

**2--श्री काशी सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में वर्षा न होने के कारण विगत दो वर्षों से लगा-तार सूखा पड़ रहा है व अकाल की स्थिति पैदा हो गई है? यदि हां, तो सरकार ने कृषकों को राहत देने के सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

वर्ष 1983 में जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में सूखे की स्थिति नहीं थी।

2--वर्ष 1984 में समय पर वर्षा न होने के कारण जनपद अल्मोड़ा में 487 ग्राम प्रभावित हुए हैं जिनमें 5 से 35 प्रतिशत तक क्षति का अनुमान है। भुखमरी अथवा अकाल की कोई स्थिति नहीं है।

3--वर्ष 1984 में जनपद पिथौरा-गढ़ में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण तहसील धारचूला के 11 ग्रामों का 251 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और खड़ी खरीफ फसल को 60 से 80 प्रतिशत तक क्षति हुई।

प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु मालगुजारी तथा अन्य कृषि देयों की वसूली तीन माह के लिए रोक दी गई।

प्रभावित परिवारों में अहेतुक सहायता के वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने हेतु रोजगार कार्यक्रम चलाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रभावित गांवों को मालगुजारी की छूट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

श्री काशी सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की मालगुजारी रोकी गई है, जिन कृषकों की फसल की एक बार क्षति हो चुकी है, वह तीन महीने के बाद कहां से मालगुजारी देंगे। जबकि कृषि की हालत इतनी खस्ता है? सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, पिथौरागढ़ में 5 से 35 प्रतिशत तक की क्षति का अनुमान है। इसमें भुखमरी और अकाल की स्थिति नहीं थी, इसलिए इसमें किसी तरह की छूट का प्राविधान नहीं है।

श्री काशी सिंह--

मान्यवर, धारचूला तहसील में 36 से 80 प्रतिशत तक फसल की क्षति हुई है। इसमें तो सरकार को कृषकों की पूरी मालगुजारी रोक देना चाहिए थी, मैं मन्त्री जी से मांग करूंगा कि कृषकों की पूरी मालगुजारी को रोका जाय।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में प्रर्याप्त वर्षा न होने के कारण तहसील धारचूला के 11 ग्रामों का 251 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और खड़ी खरीफ फसल को 60 से 80 प्रतिशत तक क्षति हुई है। इसमें राहत कार्य की व्यवस्था की गई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में एक नीतिगत प्रश्न करना चाहता हूं, मान्यवर, चाहे वह बाढ़ पीड़ित इलाका रहा हो, चाहे वह सूखा पीड़ित इलाका रहा हो लगान की सुविधा दी जाती है, यह पूरे गांव के एकड़ पर दी जाती है। मान्यवर, जहां का रकबा 20 हजार एकड़ का है, उसमें दो सौ एकड़ नष्ट हो गया, नतीजा यह होता है कि 200 एकड़ जो पूरी तरह से बरबाद हो चुका है उसका एक पैसा भी नहीं मिलता है। इन्होंने निश्चित कर दिया है कि 2·7 से 2·6 एकड़ से ज्यादा नुकसान हुआ तो छूट देंगे। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो सही नुकसान हुआ है, जो वास्तविक क्षति हुई है, जो 200 एकड़ की क्षति हुई है उसको यह दे दें। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने का कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जब 50 प्रतिशत की क्षति होती है उसके लिए प्राविधान किया गया है। वैसे हमारे जो अनुभवी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहना चाहूंगा, इन्होंने अपने तीसरे पैरे में कहा है कि वर्ष 1984 में जनपद पिथौरागढ़ में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण तहसील धारचूला के 11 ग्रामों का 251 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और खड़ी खरीफ फसल को 60 से 80 प्रतिशत तक क्षति हुई। मान्यवर, इसमें कहा गया कि 60 से 80 प्रतिशत तक क्षति हुई। इन्होंने गांव के प्रभावी कृषकों के देयों की माफी न करने की बात कही है जबकि प्राविधान यह है कि 75 प्रतिशत तक क्षति होती है तो लगान माफ किया जाता है। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में 60 से 80 प्रतिशत की क्षति रही है उनका लगान न माफ करने का क्या कारण है।

श्री नारायन दत्त--

जो अन्तिम वाक्य है उत्तर का उसमें लिखा है प्रभावित गांवों के मालगुजारी की छूट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे। मान्यवर, यह प्रश्न केवल पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा का नहीं है यह पर्वतीय अंचल के आठों जिलों की स्थिति यही है। लगातार 2 वर्ष से सूखे की स्थिति होती चली जा रही है। वहां पर आठों जिले के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

श्री गौरी शंकर--

जैसी परिस्थिति आयेगी, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सरकार छूट का एलान कर देती है। लेकिन छूट लेने में इतना समय लगता है कि किसानों को भूल जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक छूट दिला देंगे और किस सन् के कागज पर दस्तखत कर रहे हैं।

श्री गौरी शंकर--

यथा शीघ्र कर दी जायेगी।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

किस सन् के कागज पर दस्तखत इस समय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न दुहरा दें।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह छूट किस सन् तक दिला देंगे और किस सन् की छूट के कागज पर इस समय दस्तखत हो रहा है।

श्री गौरी शंकर—

जैसे ही स्थिति सामने आती है, कार्यवाही की जाती है और द्रुतगति से कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

किस सन् की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गौरी शंकर—

1983–84 की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है।

श्री बुनियाद हसन अन्सारी—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। विपक्ष के हर माननीय सदस्य का संविधान के तहत प्रश्न करने का अधिकार है और शासन की जिम्मेदारी है कि वह सही उत्तर दें। मैं 3–4 दिनों से बराबर देख रहा हूं कि मंत्रीगण ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उसका मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उन मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी व्यवस्था को अस्वीकार करता हूं। नियम 301 के अन्तर्गत 2 सूचनायें आयीं हैं। मैंने सबको स्वीकार किया और सबको पढ़ा माना जायेगा। सूचना देने वाले माननीय सदस्यों के नाम हैं— सर्वश्री हरेन्द्र सिंह मलिक, राज किशोर, सत्यपाल सिंह यादव, मित्रसेन यादव, राम चन्द्र बख्श सिंह, नरेश चन्द्र, बेनी प्रसाद वर्मा, कमलेश कुमार पाठक, फरीद महफूज किदवई, बाबूराम यादव, अवधेश प्रसाद, ब्रह्म दत्त द्विवेदी, राम आसरे वर्मा, सिकन्दर अली खां, राजेन्द्र गुप्त, मो० मसूद खां, सत्य प्रकाश विकल, रघुवर दयाल वर्मा, राम सजीवन, सुखपाल पाण्डेय, माननीय शफीकुर्रहमान बर्क, माननीय कौशिक रमाशंकर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय दीप नारायण, माननीय बदन सिंह, माननीय रेवती रमण सिंह एवं राम गोविन्द चौधरी, माननीय मैनेजर सिंह, माननीय शतरुद्र प्रकाश, माननीय यदुनाथ सिंह, माननीय किरन पाल सिंह, माननीय सूर्य प्रताप शाही, माननीय कुशल पाल सिंह, माननीय राम सागर, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी, माननीय सरदार सिंह, माननीय रणजीत, माननीय कमाल यूसुफ मलिक, माननीय विजय सिंह राणा, श्रीमती शशी शर्मा, माननीय सईदुज्जमा, माननीय हृदय नारायण दीक्षित एवं श्री केसरी सिंह।

मुजफ्फरनगर के खरड़ भौरा कलां, जैतपुर आदि गांवों की उपजाऊ भूमि में दीमक लगने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक—

[मान्यवर, मैं लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान अति लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम खरड़ भौरा कलां, जैतपुर, खेड़ीमनी, गरा नौआबाद, कुरावा, मोहम्मदपुर आदि में दीमक के भारी प्रकोप से समूचे क्षेत्र में कृषि फसल चौपट हो गयी है, जिसके कारण आज किसान व खेतिहर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। मान्यवर, जहां एक ओर इस तबाही को रोकने के लिये अब तक कृषि रक्षा विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है, वहीं राजस्व की वसूली हेतु किसानों का

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

उत्पीड़न किया जा रहा है । अतः मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उ० प्र० शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के उपरोक्त ग्रामों की राजस्व वसूली को रोकते हुए दीमक से फसल बचाने के उपाय किये जायें ।]

उप पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा चुनावों में कांग्रेस (आई) का प्रचार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर—

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्र के उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध लोक सभा के चुनाव से ही कांग्रेस आई के लिए चुनाव प्रचार करने के लिखित आरोप लगाये गये थे । विधान सभा के चुनाव में उप पुलिस अधीक्षक, अकबरपुर ने कांग्रेस आई के प्रत्याशी के लिए न केवल चुनाव प्रचार किया वरन् मार्क्सवादी दल के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मारा पीटा तथा अपमानित किया और सभाओं में अराजक तत्वों द्वारा हो-हुल्लड़ मचवाया तथा कटेहरी विधान सभा चुनाव क्षेत्र जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवीन्द्र तिवारी के विरुद्ध कांग्रेस के लिए काम किया । इस सम्बन्ध में दर्जनों लिखित शिकायत के बावजूद भी जिला प्रशासन और शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की । अब हालत यह है कि असेम्बली के चुनावों का नतीजों के निकलने के बाद उक्त उप पुलिस अधीक्षक उन लोगों की एक सूची बना रहा है जिन्होंने कांग्रेस की मुखालफत का तथा उन्हें झूठे मुकदमें में फंसा रहा है तथा आम जनता को खुले आम गालियां दे रहा है । मान्यवर, इस उप पुलिस अधीक्षक के कार्य से अबकरपुर क्षेत्र की जनता में रोष और असंतोष व्याप्त है और किसी भी समय टकराव हो सकता है । मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही करने के लिये मांग करता हूं ।]

राधे कोल्ड स्टोरेज, तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा किसानों की क्षतिपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह—

[लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं । जिला शाहजहांपुर में राधे कोल्ड स्टोरेज, कस्बा तिलहर में स्थित है । इस स्टोर में रखा हुआ आलू पिछले वर्ष सभी काश्तकारों का खराब हो गया । कोल्ड स्टोर के मालिक ने इन्श्योरेंस कारपोरेशन से खराब हुए आलू की पूरी कीमत वसूल कर ली, परन्तु क्षतिग्रस्त काश्तकारों को कुछ भी नहीं दिया । इससे क्षेत्र के सभी आलू कृषकों में भीषण असंतोष व्याप्त है । इस वर्ष जिले के सभी कोल्ड स्टोर मालिक बिचौलियों के माध्यम से आलू रख रहे हैं । इससे किसानों को आलू सस्ता बेचना पड़ रहा है । इससे किसानों के सामने भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

अतएव आपसे अनुरोध करूंगा कि राधे कोल्ड स्टोरेज से प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति करायी जाय तथा काश्तकारों का आलू सुचारुरूप से रखने की व्यवस्था की जावे ।]

ग्राम खंडासा—फैजाबाद की सार्वजनिक सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन—

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। निर्वाचन क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित ग्राम खण्डासा की सार्वजनिक सुरक्षित भूमि नं0 1110 पर कुछ स्थानीय सरकश लोगों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में उक्त ग्राम प्रधान श्री रामशंकर वैश्य तथा ग्राम सभा सदस्यों ने सामूहिक रूप से तहसीलदार एवं परगनाधिकारी, बीकापुर एवं जिलाधिकारी, फैजाबाद को लिखित शिकायत करने पर जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने दिनांक 16-3-85 को जरिये वायरलेस रुकवाने के निर्देश दिये। इसके बावजूद भी उच्चाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर थानाध्यक्ष, खण्डासा श्री तिवारी अवैध कब्जेदारों से भारी रकम लेकर अवैध निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस की इस सांठ-गांठ से थाना क्षेत्र खण्डासा एवं स्थानीय जनता में आक्रोश एवं उत्तेजना व्याप्त हो गयी है और किसी भी समय किसी अप्रिय घटना घटने की पूर्ण आशंका बनी हुयी है।

अतएव, मैं आपकी अनुमति एवं माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि थानाध्यक्ष खण्डासा की उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने जैसी अक्षम्य अनुशासनहीनता एवं सांठ-गांठ की जांच की जाय तथा अवैध निर्माण रुकवाने के लिए तत्कालिक प्रशासनिक प्रभावी आदेश प्रसारित किए जायं।]

पीलीभीत के ग्राम भरा पचपेड़ा में गैर आबाद भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय तथा उसके तथ्य शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

ग्राम भरा पचपेड़ा, तहसील व जिला पीलीभीत गैर आबाद है। यहां की लगभग 1700 एकड़ भूमि पर पीलीभीत, बरेली तथा दिल्ली के बड़े लोग गैर-कानूनी तरीके से जिला प्रशासन से मिलकर लम्बे अर्से से काबिज हैं। इन लोगों को लगभग 2 लाख रुपये के जुर्माने के नोटिस दिये गये हैं। कुछ मामले निर्णीत भी हो चुके हैं परन्तु जिला प्रशासन ने इस भूमि को भूमिहीनों में बंटवाने की व्यवस्था नहीं की। जमीन के भूखे भूमिहीनों ने विवश होकर जमीन पर आन्दोलन करके कब्जा कर लिया तथा वहीं पर सैकड़ों झोपड़ियां डालकर रहने लगे।

15 फरवरी, 1985 को शासन की शह पर बड़े पैमाने पर पुलिस व पी0 ए0 सी0 ने कुछ झोपड़ियों में घुसकर लोगों को मारा पीटा, औरतों को बेइज्जत किया तथा बाद में झोपड़ियों में आग लगा दी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना के तुरन्त बाद प्रशासन ने उपरोक्त बड़े लोगों के ट्रैक्टरों से जमीन को जुतवा कर पुनः गैर कानूनी ढंग से उन्हें कब्जा दे दिया। उन्हीं बड़े लोगों के बीच के एक व्यक्ति को गांव समाज का सभापति बना दिया गया है जो भूमि वितरण में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस गम्भीर मामले की जांच करायी जाय दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय तथा खाली भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय।]

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

ऐशबाग रोड, लखनऊ पर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश चन्द्र--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाता हूं :--

ऐशबाग रोड, लखनऊ पर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने से स्थानीय नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐशबाग रेलवे स्टेशन नजदीक होने के कारण गाड़ियां तथा इंजन संटिंग किया करती हैं जिससे प्रायः रेलवे फाटक बन्द रहता है। प्रातःकाल में समस्या काफी गम्भीर हो जाती है जब लोग कार्यालय जाते हैं घन्टों यातायात रुक जाता है और नागरिक काम पर समय से पहुंचने के लिए रेलवे फाटक के नीचे से निकलने का प्रयास करते हैं जिसके कारण कई भीषण दुर्घटनायें उक्त रेलवे फाटक पर हो चुकी हैं। शासन ने लखनऊ पश्चिम में राजाजीपुरम् तालकटोरा, मोतीझील, ऐशबाग एल० डी० ए० कालोनी आदि बनाई है तथा अन्य कालोनियों का निर्माण जारी है जिससे इस सड़क पर यातायात भार काफी बढ़ गया है। एक मात्र मुख्य मार्ग होने के कारण लोग घंटों रेलवे फाटक के खुलने की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। शासन का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया गया कि उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाया जाय किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि उक्त स्थान पर तुरन्त ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाये।]

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

भानमऊ चौकी से सलेमपुर घाट, बाराबंकी निर्माणाधीन मार्ग को पूरा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेनी प्रसाद--

[महोदय, जनपद बाराबंकी का परगना सतरिख जिले का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रेठ, गोमती, रारी आदि नदियों के प्रकोप से जनजीवन एवं आवागमन अस्त-व्यस्त रहता है। पांच वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में एक मात्र सड़क भानमऊ चौकी से सलेमपुर घाट तक शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था जिस पर 3 कि० मी० तक मिट्टी का कार्य भी हुआ, शेष कार्य पांच वर्षों से रुका पड़ा है। इस क्षेत्र के लोगों की आवागमन की सुविधा हेतु संदर्भित मार्ग ही एक मात्र विकल्प है। इस मार्ग के निर्माण कार्य पूर्ण न होने एवं सलेमपुर घाट पर पुल के निर्माण न होने से एक लाख से अधिक लोगों में सरकार के प्रति असंतोष एवं अविश्वास व्याप्त हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि संदर्भित मार्ग एवं पुल के निर्माण हेतु शासन त्वरित कार्यवाही करे।]

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

औरैया इटावा में अस्पताल न होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलेश कुमार पाठक--

[महोदय, इटावा जनपद के औरैया कस्बा की जनसंख्या इस समय लगभग 60 हजार है जिसमें एक छोटी सी स्टेट डिस्पेंसरी है प्रतिवर्ष इस डिस्पेंसरी में लगभग 70 हजार रोगी तथा 300 के लगभग इमरजेंसी केस आते हैं परन्तु इस डिस्पेंसरी में औषधि का अभाव सदैव रहता है चूंकि प्रतिवर्ष मुश्किल से 10 हजार रुपया मूल्य की दवा आती है जब कि स्टेट योजना के अन्तर्गत औरैया कस्बा में 30 या 50 शैय्या क अस्पताल बनाया जाना अब तक नितांत आवश्यक था। परन्तु शासन की ओर से अभी तक इस कस्बा की लगातार उपेक्षा की जा रही है। जिससे गरीब जनता को इलाज के अभाव में घुटघुट कर मरना पड़ता है। मुझे आशा है कि इस लोकमहत्व के विषय पर सरकार अवश्य ध्यान देगी।]

बाराबंकी जनपद के पोस्ता काश्तकारों की खेती नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई--

महोदय, बाराबंकी जनपद में पोस्ते की खेती होती है। इस वर्ष गरम हवाओं के अचानक तेज हो जाने के कारण अफीम का परता बहुत कम आ रहा है। यह स्पष्ट रूप से दैवीय प्रकोप के कारण है। यह विभाग केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, परन्तु राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने नियन्त्रण करने का अधिकार है। दैवीय प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के कारण बाराबंकी जनपद के पोस्ता किसानों को यह आशंका व्याप्त हो गई है कि अगले वर्ष उनके लाइसेन्स समाप्त कर दिए जायेंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से मैं माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके जरिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत सरकार को अविलम्ब वस्तुस्थिति से अवगत कराकर किसानों को राहत दिलाई जाये।]

करहल कस्बा, मैनपुरी में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, कस्बा करहल, जनपद मैनपुरी में पेयजल की समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है। कस्बा की जनसंख्या लगभग 20 हजार है, इसमें सन 1981 में एक पानी सप्लाई टंकी व दो नलकूपों को बनवाया गया था, परन्तु आज तक वह सप्लाई टंकी व दोनों नलकूपों के होने पर भी चालू नहीं किया जा रहा है। शासन की लापरवाही के कारण कस्बा की जनता पेयजल संकट से गुजर रही है:

अतः मेरा अनुरोध है कि शासन इस लोक महत्व के विषय पर अविलम्ब ध्यान दें, जिससे करहल का पेयजल संकट दूर हो सके और शीघ्र कस्बे में जल आपूर्ति करने की व्यवस्था करें।]

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

प्रान्तीय खंड, पी0 डब्ल्यू0 डी0, बहराइच के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, जिला बहराइच में प्रान्तीय खण्ड, द्वारा चालारी घाट पर पैन्टून पुल के निर्माण में साइड सेलेक्शन गलत करने के कारण दस पैण्टून पानी में डूब गए। इसके पूर्व कतरनिया घाट में लगभग 60 पैण्टून वहां भी पानी में डूब कर बह गया। इस प्रकार से एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी प्रकार से चालारी घाट पर लगभग पांच लाख रुपये का पायल ब्रिज इसी अधिशासी अभियन्ता ने बनाया है, वह भी आने वाली बरसात में बह जायेगा। इसके अतिरिक्त ह्यूम पाइप के आर्डर्स डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के इसी अधिकारी ने किए हैं, जबकि 25 हजार रुपये से अधिक आदेश करने का अधिकार नहीं है। यह सारा काम अपने निजी लाभ में कर रहा है।

इस गम्भीर मामले को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि शीघ्र ऐसे अधिकारी को हटाया जाय और इस मामले की जांच कराई जाय ताकि राष्ट्रीय नुकसान को बचाया जा सके।

ग्राम कटरी, कुबेरपुर, फर्रुखाबाद में हुये अग्नि काण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

[मान्यवर, जनपद फर्रुखाबाद में गत सप्ताह नगर के समीप स्थित ग्राम कटरी कुबेरपुर घाट में भयंकर अग्नि काण्ड से लगभग दर्जन घर स्वाहा हो गये हैं और पचास से अधिक व्यक्ति बेघरबार हो गए हैं। इस भयंकर अग्निकांड में आग की भयंकर लपटों से 2 भैंसे व एक गाय भी जल कर मर गई और कई लोग आग बुझाने के प्रयास में झुलस कर घायल हो गये। अग्नि का तांडव नृत्य लगभग 4 घंटे तक होता रहा किन्तु अग्निशामक दमकल फिर भी न पहुंच सका और सब कुछ स्वाहा करने के बाद ही आग शान्त हुई। इसी प्रकार मऊ दरवाजा में ही बद्री प्रसाद शाम्य एवं तीन अन्य मकानों के हुये भयंकर अग्नि कांड से हजारों की सम्पत्ति, खाद्यान्न एवं कपड़ा आदि जलकर भस्म हो गया, वहां पर भी अग्नि शामक दल द्वारा कोई कार्यवाही न की जा सकी। अग्नि कांड से पीड़ित जन बेघरबार होकर दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं किन्तु शासन की ओर से राहत के नाम पर अभी कुछ भी नहीं किया जा सका, जिससे जनता में भारी असंतोष है।

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि अग्निकांड से बेघरबार हुये इन पीड़ितों एवं घायलों को राहत कोष से कम से कम एक हजार रुपये प्रति व्यक्ति देकर उनकी जीवन रक्षा की जावे।]

कुमारी कटोरी देवी द्वारा 1107 दिनों से विधान सभा के समक्ष दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे (हरदोई)--

[1107 दिनों से विधान सभा भवन के सामने धरना दिया गया है, मथुरा जिले की एक अध्यापिका कु0 कटोरी देवी द्वारा पुलिस द्वारा उसके साथ किए गए अभद्र व्यवहार तथा सेवा से अलग कर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

पैदा की गई व्यवस्था के विरुद्ध वह न्याय की भीख मांगती रही, किन्तु उसे न्याय न मिला। उसी न्याय की तलाश में उसने अपनी जिन्दगी ही दांव पर लगा दी है। कई जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलते हुये धरने का इतिहास बनाने वाली कुमारी कटोरी देवी आज विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई है। सारे प्रदेश से आने-जाने वाले उसकी दयनीय स्थिति पर तरस खा रहे हैं, किन्तु शासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये उसके साथ इंसाफ किए जाने की मांग करता हूं।]

नगरपालिका, शाहजहांपुर की लापरवाही के कारण नगर में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिकन्दर अली खां--

शाहजहांपुर की विशाल बस्ती का जनजीवन नारकीय बना हुआ है। सड़कों की जीर्ण अवस्था, विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी, नालियों की सड़ान आदि से जीना दूभर हो गया है। जनता में असन्तोष फैल रहा है। छोटी-मोटी दुर्घटनायें सड़कों की खराबी से होती रहती हैं, बिजली की गड़बड़ी से काम-काज ठप पड़ते जा रहे हैं, शहरी गन्दगी से महामारी की सम्भावना भी पैदा हो गई है।

लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगरपालिका, सीतापुर की अकर्मण्यता के कारण फैली हुई दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र गुप्त--

[सीतापुर नगरपालिका, प्रशासक द्वारा नागरिक सुविधाओं की सतत उपेक्षा किए जाने से जनजीवन में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सम्पूर्ण नगर में सफाई के अभाव में उफनाती नालियां उनमें बह जाते कीड़े गलियों में कूड़े के ढेर, बिजली के खम्भों से नदारत बल्ब तथा टूटी सड़कें सर्वत्र देखी जा सकती हैं। दो वर्ष से धन स्वीकृत होने के बाद भी नगरपालिका में नलकूप चलाने हेतु जनरेटर न खरीदने से नागरिक एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। निर्माण कार्य अत्यन्त घटिया स्तर का हो रहा है। बार-बार कहने पर भी जांच नहीं होती। सार्वजनिक शौचालय टूटे हैं। उनमें सफाई की व्यवस्था नहीं।

पाइप लाइन बिछाने के कारण जो सड़कें तोड़ी गई हैं, वैसी ही पड़ी हैं। जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। पुराना सीतापुर में चालू पुनरीक्षित पेयजल योजना के नलकूप तथा टंकी पूर्ण हो रहे हैं। परन्तु पाइप लाइन डालने की व्यवस्था न होने से नगर का पिछड़ा क्षेत्र पेयजल के संकट से नहीं उबर पा रहा है। पाइप लाइन नगर-पालिका को डालना है।

शासन से मांग है कि मामले में तुरन्त रुचि लेकर व्यवस्था ठीक कराने का प्रयास युद्धस्तर पर करें।]

प्रदेश के अरबी विद्यालयों में नये पदों के सृजन पर रोक से उत्पन्न स्थिति के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां--

[अरेबिक एण्ड परशियन बोर्ड इलाहाबाद जो अरबी हैं और फारसी मदरसों को रिकग्नाइज करता है और उसके अन्तर्गत उसको अनुदान मिलता है और परीक्षा लेकर उनको डिग्रियां देते हैं। वर्ष 1982 से शासन ने रिकग्नेशन व नियुक्तियों पर रोक यह कहकर लगा दिया है कि नियमावली बहुत पुरानी हो गयी है नयी नियमावली बनाने की

आवश्यकता है। तब से न नियमावली बन पा रही है और न कोई कार्य आगे बढ़ रहा है। खाली जगहों पर नियुक्तियां भी हो रही हैं। जिसकी वजह से अनुदान नहीं मिल पा रहा है। अध्यापकों के न होने के कारण विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। माली साल समाप्त होने पर है यदि इसके अन्दर शासन ने रोक समाप्त न किया तो अगले साल भी इन मदरसों पर खराब असर पड़ेगा।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब शासन से अरबी मदरसों के रिकग्नेशन व नियुक्तियों पर रोक हटायी जाय। ताकि उनको जो हानि हो रही है उसे बचाया जा सके।]

आगरा जनपद की गैस एजेन्सियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल--

[आगरा जनपद में गैस एजेन्सियों द्वारा कुकिंग गैस के वितरण में की जा रही धांधली और अनियमितताओं से स्थिति गम्भीर होती जा रही है। जहां जन जीवन के लिए कुकिंग गैस अनिवार्य आवश्यकता हो गयी है वहीं गैस एजेन्सियों द्वारा उपभोक्ताओं की विवशता का लाभ उठाकर उनका निर्ममता से उत्पीड़न व शोषण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को फोन पर बुकिंग न करने से गैस बुकिंग के लिए भारी परेशानी उठाकर घन्टों लाइन में लगाकर बुकिंग करानी पड़ती है। उनको कहा जाता है कि एक डेढ़ महीने बाद गैस मिलेगी। यह अवधि बीतने पर भी नियमानुसार सिलेन्डर उपभोक्ता के घर न भेजकर कहा जाता है आकर ले जायें। इस प्रकार उपभोक्ताओं को भारी परेशानी समय की बरबादी तथा अनेक झंझटों का शिकार बनना पड़ता है फल स्वरूप उत्तेजित जनता ने प्रदर्शन किये हैं तथा धरने का या हड़ताल की स्थिति सम्भावित है।

अतएव लोक महत्व की इस गम्भीर समस्या पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं मांग करता हूं कि जिलाधिकारी आगरा को आदेशित किया जाय कि वे इन अनियमितताओं को दूर कराके उपभोक्ताओं को सरलता से गैस बुकिंग व सप्ताह के अन्दर गैस सिलेंडर की होम डिलेवरी देने की व्यवस्था करायें।]

फिरोजाबाद में पेय जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद की दो लाख, दस हजार की आबादी को प्रति दिन पीने को लगभग 80 लाख गलन पानी की आवश्यकता पड़ती है जिसमें फिलहाल नगरपालिका का जल संस्थान केवल 20 हजार गैलन पानी ही देने को सक्षम हो सकता है। परिणामतः फिरोजाबाद के हजारों लोग पीने के पानी को तड़पते रह जाते हैं और बाध्य होकर छात्रों को परीक्षा में भेजने के लिए 5 रु0 प्रति बाल्टी में पानी खरीदना पड़ रहा है जो एक शोचनीय दशा है और इस शासन के लिए शर्मनाक घटना है।

मान्यवर, ग्रीष्म काल के आते-आते अप्रैल के माह में कुंआ का जल स्तर नीचे उतर जावेगा परिणामतः 8 नलकूप सूख जायेंगे ऐसी दशा में फिरोजाबाद की जनता को पानी पीने को उपलब्ध नहीं हो सकेगा जिससे फिरोजाबाद में भयानक स्थिति पैदा हो जायेगी इतना ही नहीं बिजली की अघोषित कटौती के फलस्वरूप समूचे नलकूप बन्द हो जाते हैं। जिससे फिरोजाबाद

नोट:--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

में पानी का संकट और गहरा हो जाता है और बेचैनी फैल जाती है ।

आप यह जान लें कि 22 मई से फिरोजाबाद में जैन धर्म का पंच कल्याण मस्तका अभिषेक का मेला होने को जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला होगा जिसमें लगभग 4 लाख जैन भक्तों के भाग लेने की सम्भावना है । ऐसी दशा में फिरोजाबाद की स्थिति पीने के पानी के लिए भारी भयानक बन जावेगी । अस्तु सरकार से अनुरोध करता हूं कि पेयजल के घोर संकट को हल करने के लिए प्रथम वरीयता के स्थान पर यमुना नदी से पानी लेकर पानी सप्लाई की व्यवस्था करें और 10 नये नलकूपों का शीघ्र निर्माण करावें तथा बिजली का अलग से प्रबन्ध करें और मेला के जनरेटर लगाकर पानी अलग से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ।]

मैनपुरी जनपद के अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम संजीवन—

[मान्यवर, मैनपुरी जिले के 86 अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के एक हजार हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्र वृत्ति समाप्त होने जा रही है और करीब पांच सौ शिक्षकों की नौकरी खत्म होने जा रही है । मैनपुरी जिले में 110 अस्थायी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल हैं । शासन ने अपनी राजाज्ञा संख्या 3638/18-6-18 (1)-84, दिनांक 4-12-84 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा समिति को अस्थायी मान्यता की अवधि तीन वर्षों तक बढ़ाये जाने का अधिकार दिया था । किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 86 विद्यालयों को अस्थायी मान्यता देने से इन्कार कर दिया गया है जिससे हजारों छात्रों एवं सैकड़ों शिक्षकों का जीवन खतरे में पड़ गया है । यदि वित्तीय वर्षसमाप्त होने से पूर्व अर्थात् 31-3-85 से पूर्व उक्त 86 जूनियर हाई स्कूलों की अस्थायी मान्यता का नवीकरण न किया गया तो छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पायेगा । उक्त 86 अस्थायी मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को तुरंत 31 मार्च, 1884 से पूर्व मान्यता प्रदान की जाय और हरिजन, पिछड़ी जातियों के छात्रों को तुरंत छात्रवृत्ति दिलाने था शिक्षकों की वेतन अदायगी सुनिश्चित की जाय ।

इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों की मान्यता रोकने छात्रों की छात्रवृत्ति समाप्त करने एवं शिक्षकों की सेवाओं के लिए खतरा पैदा हो जाने से पूरे जिले में असंतोष एवं रोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करके समस्या के तुरंत निदान की मांग करता हूं]

विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार, बस्ती में बांध न बनाने से गांवों के डूबने की आशंका के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व के प्रश्न का आज विधान सभा में उठाने की अनुमति चाहता हूं ।

विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार तहसील हरैया बस्ती में बाढ़ विभाग द्वारा 25 कि0 मी0 लम्बा बन्धा बनाया जा रहा है । 15 ग्राम बंधे के अन्दर घाघरा के तरफ पड़ गये हैं जिनके सुरक्षा के लिए बाढ़ विभाग 15 डम्पर का टेन्डर लेकर 30 जून, 1985 तक का काम पूरा होने का आर्डर दिया परन्तु अब तक न डम्पर बनाये गये न ठेकेदारों की जमानत जब्त की गई उक्त

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डैम्पर तथा बन्धा न पूरा होने तथा रिंगबन्धा न बनने से विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार तक 300 गांव की जनसंख्या लगभग एक लाख की बाढ़ एवं घाघरा की कटान से तहस-नहस हो जायेगी क्योंकि बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने फर्जी ढंग से डैम्पर एवं घाघरा कटान के नाम पत्थर तथा मिट्टी को पेमेन्ट किया तथा खाद्यान्न मजदूरों को न देकर निश्चित समय पर काम पूरा न होने पर कार्यवाही न करके उसे क्षेत्र के लाखों की संख्या के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है ।

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार के गांवों की एक लाख जन संख्या की सुरक्षा करवाने के लिए तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करेंगे ।]

सम्भल, मुरादाबाद में पुराने बिजली के तार गिरने से हुई दुर्घटनाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

सम्भल, जिला मुरादाबाद में बिजली के तार बहुत पुराने व कमजोर हो गये हैं जिसके कारण आये दिन तार टूटकर गिरते रहे हैं जिसकी वजह से कई आदमी और जानवर मर चुके हैं और पूरा शहर अंधेरे से डूबा रहता है । इस सिलसिले में कई मर्तबा सम्भल की जनता प्रदर्शन भी कर चुकी है । इसके अलावा ग्राम सेफखां-सराय और हिन्दूपुर पेड़ा की आबादी के ऊपर से होकर 66 हजार के0 वी0 के तार गुजरते हैं कई बार घरों में आग लग चुकी हैं सम्भल की जनता में बहुत खौफोहिरास फैला हुआ है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि तुरन्त इस मामले में ऐक्शन लिया जाय और बिजली विभाग को इस लापरवाही पर दंडित किया जाय ।]

गजरौला इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा हस्तगत की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एवं सम्मानित सदन के माध्यम से इस सरकार का ध्यान ग्राम तिगरिया भूड, गजरौला तथा नाईपुरा के उन काश्तकारों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनकी काश्त भूमि इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तगत की गयी है । मान्यवर, गजरौला इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लगभग 500 एकड़ जमीन उक्त गांवों के काश्तकारों की कारपोरेशन ने ली है । दो वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक काश्तकारों को मुआवजे की सम्पूर्ण रकम नहीं दी गयी है कुछ काश्तकारों को आंशिक मुआवजा मिला है ।

मान्यवर, इनमें ऐसे बहुत काश्तकार हैं, जिनसे उनकी सम्पूर्ण काश्त भूमि चली गयी है 2 ऐसे लोगों को अपने जीवन-यापन के लिए नये साधन जोड़ने पड़ रहे हैं ।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त किसानों को सम्पूर्ण मुआवजे की रकम का तुरन्त भुगतान की व्यवस्था करायें ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

महुली थानाध्यक्ष श्री कक्कड़ राम की डकैतों द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

बस्ती जिले में विगत 5 वर्षों से खलीलाबाद, बस्ती, हर्रैया, नौगढ़ तहसीलों में डाकुओं का उत्पात बहुत जोर से चल रहा है । इसी सन्दर्भ में एक डाकू उन्मूलन स्कवेड तैयार किया गया है जब डकैतों ने विभिन्न अवसरों पर कई पुलिस कर्मियों को जान से मारा तथा उनकी बन्दूकें भी छीन लीं । नवम्बर 84 में महुली थाना के अन्तर्गत महुली थानाध्यक्ष श्री कक्कड़ राम को डकैतों ने घेर लिया और पर्याप्त पुलिस बल होने के बावजूद उन्हें घर में घसीट ले गये । उन्हें एक घर में घसीट कर गलाघोंट कर मार डाला । बाहर जो पुलिस दल मौजूद था वह भयवश डकैतों से मुकाबला करने की अपेक्षा भाग खड़ा हुआ और श्री कक्कड़ राम को पुलिस बल की उदासीनता से हत्या कर दी गयी । स्थानीय पुलिस द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मुठभेड़ दिखा कर कर्त्तव्य च्युत पुलिसकर्मियों को इनाम भी दिया जा रहा है । इससे बस्ती जनपद के लोगों में रोष व्याप्त हो गया है ।

शासन से हमारी मांग है कि उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच करायें ।]

आजमगढ़ जनपद की ताड़ी की दुकानों को पासी जाति के लोगों को आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख रख रहा हूं ।

जनपद आजमगढ़ में ताड़ी व्यवसाय में लग लोगों के प्रति घोर अन्याय किया जा रहा है । शासन ने ताड़ी व्यवसाय की नीलामी प्रथा को समाप्त करके टैक्स के आधार पर उन व्यक्तियों को ताड़ी का कारोबार देने का निर्णय लिया है जिनका यह पुश्तैनी पेशा है शासनादेश में इस बात का पूर्ण रूपेण स्पष्ट किया गया है कि ताड़ी के व्यवसाय को ताड़माली (पासी) जाति के लोगों को सर्वथा प्राथमिकता दी जायेगी ।

हमारे जनपद आजमगढ़ में अनेक प्रार्थना पत्र ताड़माली (पासी) जाति के लोगों द्वारा उक्त व्यवसाय हेतु दिया गया जो लगभग गत चालिस (40) वर्षों से लगातार इस काम में लगे हुये थे । तथा ऐसे लोगों के परिवार की जीविका का वही एक मात्र जरिया हैं । दुकाने ऐसे लोगों को नाजायज तरीके से दी गयी है जिनका न तो पेशा है और न ही किसी प्रकार से पाने के हकदार हैं ।]

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब गैर कानूनी ढंग से आवंटित दुकानों का आबंटन शासनादेश के अनुसार ताड़माली (पासी) जाति के लोगों को करने की व्यवस्था की जाय ।]

जुम्मन खां की झोपड़ी, आगरा कैन्ट के आदिवासियों के पूजागृहों को सेना के अधिकारियों द्वारा तोड़ कर कब्जा जमाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह--

[अध्यक्ष महोदय, आगरा स्थित जुम्मन खां की झोपड़ी आगरा कैन्ट के

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

हरिजन व आदिवासियों के सार्वजनिक स्कूल व पूजा गृहों को दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 को 509 आगरा के मिलिट्री के कुछ मदान्ध अधिकारियों ने तोड़ कर विध्वंसित कर अपना कब्जा कर लिया है। बेचारे हरिजन और आदिवासियों की पुकार पर आये हुये जिला अधिकारी और ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी आगरा हाथ पर हाथ रखे इन सामाजिक व धार्मिक स्थलों के विनाश को देखते रहे। इन सामाजिक व धार्मिक स्थलों के विनाश से वहां के हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक व धार्मिक भावनायें आघातित हुई हैं और वे सामाजिक और धार्मिक कृत्य संपादित करने से वंचित होने के कारण भारी क्षुब्ध और दुखी हैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में ला कर मांग करता हूं कि हरिजन व आदिवासी के इन सामाजिक व धार्मिक स्थलों को मिलिट्री अधिकारियों के कब्जे से उन्हें पुनः दिलवायें और उनको निर्मित कर उनकी सामाजिक व धार्मिक क्रियाओं को सम्पादित करने में सहयोग प्रदान करें।]

भूमि विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री एस0 बी0 चतुर्वेदी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोबिन्द चौधरी--

मान्यवर, प्रधान मन्त्री माननीय राजीव गांधी जी के निर्देशों के अनुसार प्रबन्ध निर्देशक श्री चतुर्वेदी द्वारा किये गये गम्भीर आरोपों की जांच करायी गयी और श्री चतुर्वेदी को कारण बताओ नोटिस भी दी गयी और उन्हें बैंक से तत्काल निलम्बित करने की अपेक्षा की गयी थी। श्री चतुर्वेदी ने अन्य कर्मचारियों को कुछ षडयन्त्र कर कई कर्मचारियों को निलम्बित कर सेवामुक्त कर दिया। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त निलम्बन को दिनांक 24-2-84 को निरस्त कर दिया।

श्री चतुर्वेदी अन्य कर्मचारियों को लगातार भ्रामक आरोपों में लगातार परेशान करते चले आ रहे हैं जबकि उनको स्वयं उस पद से हट जाना चाहिए था।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व एवं सुनिश्चित विषय पर प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से माननीय सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दोआब, बलिया के गांवों में अग्निकाण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह--

[माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। दोआबा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्वी भाग में स्थित ग्राम पिनोटा, दुर्जनपुर, भीखा, छपरा, जगदीशपुर, सोन छपरा, लालगंज, इब्राहिमाबाद डेरा, गंगा पाण्डेय का टीला, गांव में अग्निकाण्ड से लाखों रुपये की सम्पत्ति जल कर राख हो गयी है। कई लोग घायल हुए हैं। और उनके मवेशियां जल गयी हैं तथा अनेक जल कर मरी हैं। शासन की ओर से अभी तक कई गांवों में राहत नहीं पहुंचायी गयी है। अग्नि पीड़ित परिवार के लोग मैदान में धूप में कष्ट कर जीवन बिता रहे हैं। जिला प्रशासन के घोर उपेक्षा, लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के फलस्वरूप राहत पहुंचाने में विलम्ब हुआ है। जिससे जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि उपरोक्त सभी गावों के अग्निपीड़ित

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हरिजन पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग के ही हैं। साधनों के अभाव में झोपड़ी लगाने में भी असमर्थ हैं तथा भोजन का प्रबन्ध न होने के कारण भुखमरी के शिकार हैं। अतः ऐसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री सहायता कोष से उपरोक्त पीड़ितों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने की कृपा करें और एक अग्नि शमन दस्ता वंरिया दुर्दशा थाने पर स्थायी रूप से रखने का प्रबन्ध करें।]

वाराणसी के कतिपय ग्रामों की भूमि मास्टर प्लान के नाम पर अधिग्रहीत किए जाने के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[मान्यवर, जनपद वाराणसी में नगर महापालिका की सीमा से करीब 5 कि0 मी0 के अन्दर करीब 399 गांवों के समस्त किसानों को शकरी सीमारोपण कार्यालय वाराणसी द्वारा मास्टर प्लान के नाम पर जमीन लेने की नोटिस दी जा रही है। जबकि सत्यता यह है कि वाराणसी में कोई भी विधि सम्मत मास्टर प्लान नहीं है। वाराणसी का तथा कथित मास्टर प्लान जिसकी अवधि 1961 से 1991 तक है न तो आर0 बी0 निर्देशन 1960 म 10-क के अनुसार ही बनाया गया है और न ही उसे उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही बनाया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने 26 अप्रैल, 1972 को आर0 बी0 निर्देशन 1960 में 10-क का संशोधन किया जिसके अनुसार मास्टर प्लान को तैयार करने उसे पारित करने की कानूनी शर्तें व प्रक्रिया निर्धारित की गई थीं। किन्तु वाराणसी की कन्ट्रोलिंग अथार्टी ने इस शासनादेश का उल्लंघन करके 10 मई, 1972 को तथा कथित मास्टर प्लान शासन को प्रेषित कर दिया जो अभी तक चल रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण से इसकी कानूनी स्थिति के बारे में अकसर टालमटोल का जवाब मिलता है।

सम्प्रति जबकि बिजली का सख्त अभाव है। सिंचाई नहीं हो पा रही है किसान त्रस्त हैं उस समय नियम विरुद्ध अवैध मास्टर प्लान के नाम पर हजारों किसानों को नोटिस दी जा रही है जिससे वाराणसी क्षेत्र में हजारों किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः आपके द्वारा शासन से मांग है कि वाराणसी का मास्टर प्लान समाप्त किया जाय और शहरी सीलिंग दफ्तर से खेती करने वाले किसानों को दी जा रही नोटिस तत्काल वापस ली जाय।]

प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 700 ग्राम विकास अधिकारियों के सामने बेरोजगारी से उत्पन्न भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में आवश्यक आख्या की 15 दिसम्बर, 1981 से 14 दिसम्बर, 1983 तक लगभग 700 ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करके बेरोजगार हैं।

नोट--[ ] यह पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] यह पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम विकास अधिकारियों का शासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए ज्ञापन एवं अनशन भी चल रहा है जबकि प्रशिक्षण में प्रदेश सरकार का भी खर्च हुआ है ।

अतः शासन से अपेक्षा है कि प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों को अविलम्ब नियुक्त पत्र निर्गत किए जाएं ।]

बनवारी पेपर मिल लि0, काशीपुर, नैनीताल द्वारा उत्पादन शुल्क व बिक्रीकर की चोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरन पाल सिंह--

[महोदय, आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमत का विषय लाना चाहता हूं । काशीपुर, जनपद नैनीताल स्थित बनवारी पेपर मिल लि0 नामक फर्म ने सरकार को धोखा देकर एवं कागजों में जालसाजी करके अधिकारियों की साठ गांठ से लाखों रुपय की उत्पादन शुल्क व बिक्री की चोरी की । यही नहीं इस फर्म ने गलत कागजात दाखिल कर व उत्पादन कई वर्षों बाद लिखाकर 25 लाख रुपये की अनियमित सबसिडी वसूल की व इसी आधार पर वित्तीय संस्थानों से करोड़ों रुपये का ऋण लेने का प्रयास किया यद्यपि इस सम्बन्ध में कई शिकायतें पूर्व भी शासन को की जा चुकी हैं । स्थानीय बिक्री कर विभाग द्वारा लाखों रुपये घोटाले पकड़े जा चुके हैं परन्तु उच्चस्तरीय साठ गांठ के कारण कोई प्रभावी कार्यवाही इस फर्म के विरुद्ध नहीं हुई है । मेरी शासन से मांग है कि उच्चस्तरीय जांच कराकर समस्त विभागों व व्यक्तियों की भी जांच करा कर कठोर कार्यवाही करें ।]

देवरिया जनपद में बालू खनन के कार्य को मल्लाहों की सहकारी समिति को न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही--

[मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवरिया जिले में मल्लाहों बिन्द जातियों की सहकारी समितियां हैं जो परम्परागत रूप से नदी तल से बालू खनन व्यवसाय में लगे हुए हैं । और उन्हें इस व्यवसाय में प्राथमिकता देने का शासनादेश भी है । दिनांक 3 फरवरी, 1985 को उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या-392/18/12/3/71, दिनांक 31 जनवरी, 1985 को समस्त संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा उसमें उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 1 में उपनियम 3 जोड़कर सम्बन्धित मल्लाहों की सहकारी समितियों को बालू खनन पट्टा स्वीकृत किए जाने में प्राथमिकता किए जाने का प्राविधान कर दिया गया ।

किन्तु देवरिया जिला प्रशासन ने शासनादेश की उपेक्षा करते हुए उक्त बालू खनन के कार्य का परम्परागत समूहों मल्लाहों की सहकारी समितियों को न देकर नीलाम करने की योजना बनायी है और इसी माह की 25 तारीख को नीलाम की तिथि निर्धारित किया है । यह कार्य बड़े-बड़े ठेकेदारों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सांठ गांठ से हो रहा है जिससे मल्लाहों बिन्द एवं अन्य उपजातियां जो बालू खनन का कार्य करती हैं उनमें घोर असंतोष क्षोभ एवं आन्दोलन की भावना उत्पन्न हो गई है और उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ रही है ।

नोट--[ ] यह पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] यह पढ़ा हुआ माना गया।

इस परिस्थिति में इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय, सुनिश्चित, महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वे देवरिया जिला प्रशासन को तत्काल निर्देशित करने की कृपा करें कि बालू की नीलामी के स्थान पर पूर्व शासनादेश के अनुसार मल्लाहों की समितियों को प्राथमिकता के आधार पर पट्टा देने का कष्ट करें तथा नीलामी की समस्त कार्यवाही रद्द करें।]

मांट, मथुरा में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशलपाल सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सम्मानित सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र मांट, जनपद मथुरा में चल रही पेयजल की दुर्व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के गांव नौहझील, शेरगढ़ राघेरा सुरील, बाजना आदि में निर्मित पानी की टंकियां सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से जनता बूंद-बूंद पानी को तरस रही है। नौहझील कस्बे में 6 मास से पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जल निगम में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इंजीनियर दूसरों के नाम से स्वयं ठेकेदारी कर रहे हैं। पानी के लिए लाइन जमीन में निर्धारित गहराई पर नहीं डाली गई है। गांवों में जो पानी के लिए नल लगाये गये हैं उनके बोरिंग निर्धारित गहराई तक न कराकर पाइपों की चोरी की गई है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण नल पानी नहीं दे रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि पेयजल की व्यवस्था को तुरन्त व्यवस्थित किया जाए।]

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

बाराबंकी जनपद में अफीम की खेती बरबाद होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामसागर—

[मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान जनपद बाराबंकी में भारत सरकार द्वारा कराई जा रही अफीम की खेती में उत्पन्न दैवी संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इस वर्ष अफीम की खेती कर सीजन जाने के पूर्व प्रति एकड़ के हिसाब से अफीम जमा करने को कहा गया था। किन्तु जैसे ही अफीम की खेती तैयार हुई अफीम निकालते समय तेल एवं गर्म पछुआ हवाओं के चलने से अफीम की खेती के लिए दैवी प्रकोप साबित हुई कोई भी किसान निर्धारित मात्रा में अफीम नहीं निकाल पाया। ऐसी स्थिति में निर्धारित मात्रा में अफीम नहीं दे पायेंगे और उन्हें भविष्य में सरकार लायसेन्स देने से वंचित कर देगी ऐसी आशंका उत्पन्न हो गई है।

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह कृषकों की इस दैवी प्रकोप की चपेट से भारत सरकार को अवगत कराये जिससे कि जिस मात्रा में अफीम खेतों से निकली है वह जमा हो सके और भविष्य में उनके अफीम खेती के लायसेन्स सुरक्षित रह सकें।]

मंझनपुर, इलाहाबाद को औद्योगिक नगर बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[मान्यवर, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के एतिहासिक स्थल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

नोट—[ ] यह पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद जनपद में मेरे क्षेत्र 279-मंझनपुर में कौशाम्बी एक ऐतिहासिक स्थल है जहां शासन की ओर से इतिहास विभाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद के माध्यम से खुदाई कराई गयी। लाखों रुपया खर्च हुआ। वहां की निकली हुई सामग्री, कलाकृति और मूर्तियां पता नहीं कहां ले जायी गयीं। आज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यह स्थल वीरान है। यहां पर देश विदेश के यात्री आते हैं, किन्तु हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी स्थल पर पहुंचना मुश्किल होता है। सरकार ने मेरी मांग पर इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। मेरा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर कोई उद्योग नहीं है। यदि सरकार इस स्थल पर एक साइड म्यूजियम बना कर विश्वविद्यालय इलाहाबाद में भेजी गयी कलाकृति एवं मूर्तियों को उसमें लगवा दें, मार्गों का विकास कर दिया जाय, सौन्दर्यीकरण कर दिया जाय, तीर्थ स्थल को बसों से जोड़ दिया जाय। कौशाम्बी स्थल को राष्ट्रीय-कृत मार्गों से जोड़ दिया जाय। तो एक अच्छा धुंआ रहित उद्योग की पूर्ति हो सकती है।

अतः सरकार से पर्यटक, परिवहन व पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को स्पेशल अनुदान स्वीकृत करने की मांग करता हूं।]

भक्त रसखान आदि की समाधियों के जीर्णोद्धार की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह--

[आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण घटना की जानकारी लाना चाहता हूं।

मथुरा जनपद में गोकुल महावन स्थित हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक भक्त प्रवर श्री रसखान व उनके भाई बहन की समाधियां हैं, जो कि भारी कलात्मक एवं प्राचीन हैं। सरकार ने गत वर्षों में कई बार यह आश्वासन दिया है कि इन समाधियों का जीर्णोद्धार कर उस स्थान को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया जायगा जिसमें वाचनालय, पुस्तकालय और बड़े-बड़े बागान आदि स्थापित किये जायेंगे, किन्तु खेद है कि अभी तक शासन ने कोई कार्यवाही समाधियों के जीर्णोद्धार एवं स्थान के विकास के लिए नहीं की है। असामाजिक तत्व बहुमूल्य पत्थरों को उखाड़कर ले जा रहे हैं तथा उस स्थान पर अनधिकृत कब्जा भी लोग कर रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से पुरजोर मांग करता हूं कि विषय के महत्व को देखते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक इस महामानव व उसके भाई बहनों की समाधियों का जीर्णोद्धार कर उस स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय और शीघ्र ही वहां सुलहकुल अथवा झांसी की रानी जैसा कोई सम्मेलन आयोजित करें।]

सी0 एस0 नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई के छात्रों की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणजीत--

[इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

कल दिनांक 21 मार्च, 1985 को जनपद हरदोई के कलेक्टरी कचेहरी के प्रांगण में स्थानीय सी0 एस0 नेहरू डिग्री कालेज, के छात्रों को बिना किसी कारण के घेर कर उनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई सी0 ओ0 सिटी के आदेश पर की गयी, जिसमें छात्र नेता श्री राजीव मिश्र को गम्भीर चोटें आईं। उसे मरणासन्न अवस्था में एस0 डी0 एम0

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

हरदोई द्वारा स्थानीय चिकित्सालय में भरती कर दिया गया है।

छात्रों में पी0 ए0 सी0/पुलिस द्वारा की गयी पिटाई पर तीव्र रोष है और छात्रों ने आज दिनांक 22 मार्च, 1985 को हरदोई बन्द का अहवान किया है। यदि कोई अप्रिय घटना घटी तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। उक्त घटना के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने या मैजिस्टीरियल जांच करायी जावे।]

सुआव नाले तथा राप्ती नदी, डुमरियांगज के पुल पर अवैध रूप से धन वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

[महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सरकार का ध्यान बस्ती जनपद के प्रांतीय निर्माण खंड के अन्तर्गत डुमरिया सुआंव नाले तथा डुमरियागंज राप्ती नदी पुल पर कार्यरत कर्मचारियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सुआंव नाले पर नेशनल हाइवे मार्ग स्थित है। प्रतिदिन कई सौ ट्रकें उस पर गुजरती हैं लेकिन कुछ टैक्स वसूलने वाले कर्मचारी लगातार 10 वर्षों से अपने उच्चाधिकारियों की साजिश में करके वहीं पड़े हुये हैं और प्रत्येक वर्ष कम गाड़ियां दिखाकर बाकी गड़ियों का पैसा बिना रसीद काटे पैसा जेब में रख लेते हैं। और यही कारण है कि उन क्लर्कों की हैसियत एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैसियत से कहीं बड़ी है, आर्थिक दृष्टि में। मैं मांग करता हूं कि पिछले 10 वर्ष का रिकार्ड सुआंव नाले का देखा जाय कि इस पुल पर एक ही कर्मचारी श्री देवी सिंह कितने बार घूम-घूम कर रिश्वत के बल पर उसी पुल पर रहते हैं।

आशा है कि आप तत्काल सम्पूर्ण विवरण वर्षवार निकाल कर उन्हें तत्काल यहां से हटाने का कष्ट करें।]

एतमातदौला, आगरा की पुलिस द्वारा श्री चन्द्र वर्मा, वकील की अवैध गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व शासन का ध्यान एक अत्यधिक लोक महत्व की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें प्रदेश के पुलिस विभाग का वह वहशी रूप उजागर होकर आता है जिसमें वह गुन्डों व बदमाशों के सामने तो वह पूर्णतः अक्षम और असमर्थ होकर खड़ी रहती है परन्तु जनता के सम्भ्रान्त व शान्तिप्रिय नागरिकों को शान्ति के साथ जीना दूभर कर दिया है। दिनांक 10 मार्च, 85 को रात्रि 10-30 बजे आगरा के थाना एतमाददौला की पुलिस ने नगर के एक प्रतिष्ठित वकील श्री श्रीचन्द्र वर्मा को होली खेलते समय अकारण गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ भारी मारपीट की और थाने बन्द कर दिया। श्री वर्मा के गम्भीर चोटें आयी हैं। उनका डाक्टरी परीक्षण करा लिया गया है और घटना की रिपोर्ट कर दी गयी है क्योंकि मामला पुलिस के विरुद्ध है इसलिए अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है। आगरा के वकीलों में इस घटना से भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। उन्होंने शासन को आन्दोलन पर जाने का नोटिस दिया है।

अतः अनुरोध है कि दोषी पुलिस कर्मियों को तुरन्त गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय तथा मामले को गंभीर स्थिति आने से पूर्व नगर की शान्ति व्यवस्था की रक्षा की जाय।]

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में घटिया स्तर की दवाइयों की खरीद के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शशि शर्मा--

[मान्यवर, मैं नियम 301 के अंतर्गत निश्चित महत्वपूर्ण सूचना आपके द्वारा सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं तथा सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करती हूं। प्रदेश में 1/2 दर्जन फर्मों में जो 6 प्रान्तों ने काली सूची में रखा है उनसे तीन करोड़ रुपये की दवाइयां खरीदी गयीं। सब नियमों को ताक में रख दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने उनको नोटिस भी दिया था लेकिन बिना उनके जवाब आये ही उन काली सूची की फर्मों से दवाइयां खरीदी गयीं वह दवाइयां सब स्टैंडर्ड की थीं जिनसे कि लोगों की उनके खाने से खतरा भी हो सकता है।

अतः मैं मांग करती हूं कि इसकी जांच करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त से कार्यवाही की जाय।]

मोरना मुजफ्फरनगर में पुलों और बांध के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री सईदुज्जमा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान अपने जनपद मुजफ्फरनगर के "मोरना" क्षेत्र की गम्भीर समस्याओं के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र से सोलानी नदी गुजरती है। इस नदी में हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण हजारों व्यक्ति बेघर-बार हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। इस नदी पर कोई पुल नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है और लगभग वर्ष भर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी में होकर जाना पड़ता है और मुजफ्फरनगर आने के लिए सहारनपुर जिले से पचासों मील का अधिक सफर तय करना पड़ता है। बाढ़ विभीषिका से हर वर्ष खड़े पैर ने पर फसल व जनजीवन का नुकसान होता है। उस क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है, यातायात का साधन नहीं है, बाढ़ विभीषिका से हर वर्ष बीमा और करोड़ों रुपये की फसलों का नुकसान होता है। सरकार को हर वर्ष लाखों रुपये का अनुदान देना पड़ता है, जिसके लिए भोकरेड्डी एवं तौफिर के बीच में तथा बढ़ीवाला एवं खानपुर के बीच में पुलों और मयाना से बढ़ीवाला तक साइड बांध बनाना आवश्यक है।

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ज्वलन्त समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, कृपया समाधान का कष्ट करें।

उन्नाव जनपद में मिट्टी के तेल की बढ़ी हुई कीमतों को समाप्त करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

[मान्यवर, हमारा राज्य देश का सर्वाधिक पिछड़ा है, गरीबी गांव के हरिजन, आदिवासी, मुसलमान मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के तेल की कीमत इस समय दूनी हो गयी है, जिससे हमारी ग्रामीण जनता बहुत परेशान है, सरकार को मालूम है कि प्रदेश में बिजली का अभाव है। चोरी, डकैती और अन्य अपराध अंधेरे में बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में मिट्टी के तेल का महंगा हो जाना और अभाव हो जाना अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। अतः यह सदन मांग करता है कि मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई कीमत को समाप्त किया जाय और अविलम्ब इसकी घोषणा की जाय, ताकि कोई व्यापारी मिट्टी के तेल ऊंची दर पर न बेच सकें।]

नोट--[ ]पढ़ा हुआ माना गया।

रामनगर, बस्ती में हुए अग्नि-कांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशरी सिंह--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 169-रामनगर, बस्ती के अग्नि से पीड़ित परिवारों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

दिनांक 9, 10, 12 एवं 13 मार्च को भीषण अग्निकाण्ड में निम्न गांवों में कई परिवारों के घर एवं सब कुछ जल कर स्वाहा हो गया है । परिवार के सदस्यों के पास वस्त्र, बर्तन एवं जीवन-यापन की कोई भी वस्तु नहीं बची है । वहां के निवासियों को अत्यन्त दयनीय अवस्था में पड़ोसियों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ रहा है । गांवों का विवरण निम्न प्रकार है—

(1) ग्राम विशुनपुर, दिनांक 9-3-85, 13 परिवारों के घर ।

(2) ग्राम पड़री, दिनांक 10-3-85, 14 परिवारों के घर ।

(3) ग्राम बनरही जंगल, दिनांक 10-3-85, 14 परिवारों के घर ।

(4) ग्राम रतनपुरा (विशुनपुरा के पास), दिनांक 10-3-85, 18 परिवारों के घर एवं एक लड़की मर गयी तथा एक जोड़ी बैल मर गये ।

(5) ग्राम नगर पड़ाव, दिनांक 12-3-85, 6 परिवार एवं दुकाने ।

(6) ग्राम मझारी, दिनांक 13-3-85, कुल एक परिवार ।

स्थानीय प्रशासन द्वारा जो सहायता दी गयी है । वह सर्वथा अपर्याप्त है । उपरोक्त परिवारों का सब कुछ स्वाहा हो गया है । मैंने इन परिवारों से व्यक्तिगत रूप में जाकर भेंट की है । इनकी दशा अति शोचनीय है ।

अतः शासन से अनुरोध है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 2,000 रु0 की आर्थिक सहायता अविलम्ब दी जाय, जिससे उक्त परिवार के लोगों को शरीर ढकने के लिए वस्त्र, रहने के लिए छप्पर एवं भोजन का प्रबन्ध हो सके ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत मेरे पास 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी, माननीय सत्य पाल यादव, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय राजेन्द्र गुप्त और फिर माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की ।

मैं 2-2 मिनट माननीय सदस्यों को इस मसले पर बोलने के लिए दूंगा ।

*श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, इस माननीय सदन में जब कोई भी कार्यवाही होती है तो उसकी अहमियत, उसका महत्व सदन की गरिमा को बढ़ाता है । सदन में सारे उत्तर प्रदेश की नजर लगी रहती है क्योंकि जनता की किस्मत का फैसला यहीं होता है । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला करने वाला सदन अगर हम यह कहें कि इस सदन की नाक के नीचे घटी घटना कुछ दिन पहले उसके कारण सचिवालय की गरिमा का हनन लखनऊ की गलियों के अन्दर तक हुआ है कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । 26 नवम्बर, 1982 को एक सचिवालय काण्ड हुआ था और उस सचिवालय काण्ड को कराने का मुख्य दायित्व था यहां के ऊंचे अधिकारियों के ऊपर और शासन में बैठे मंत्रियों के ऊपर था । मान्यवर, जब एक अशांति का वातावरण पैदा हुआ, कर्मचारियों में उत्तेजना पैदा हुई तो उस उत्तेजना को दबाने के लिये कर्मचारियों का सहयोग लिया गया है लेकिन जिन कर्मचारियों के सहयोग से वातावरण शान्त किया गया था उन्हीं कर्मचारियों को निलम्बित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिया गया। आज स्थिति यह है कि सुरक्षा गार्ड लगभग 8, सेवा से निवृत्त कर दिये गये। कुछ सचिवालय कर्मी अभी भी ठोकरें खा रहे हैं।

मान्यवर, इस माननीय सदन में कई बार यह मसला उठाया गया और शासन की ओर से यह कहा गया कि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। यहां तक तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने 14 दिन का समय लिया था कि इसके अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा और सदन को भी अवगत करा दिया जायेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपने उस वादे को पूरा नहीं कर पाये। उसके बाद तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने 2 बार निर्णय दिया। यह प्रकरण बहुत ही अहम है क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने 2-2 बार इस पर निर्णय दिया लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। विधान सभा भी खत्म हो गयी और नयी विधान सभा बनी है।

शासन की तरफ से आश्वासन दिया गया और माननीय अध्यक्ष की पीठ से निर्णय भी दिया गया लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है लगता है कि लोग सदन को कठपुतली मात्र समझ रहे हैं और अगर शासन की यह समझदारी जनता के बीच में जायगी तो मान्यवर, न इस सदन का कोई वजन रहेगा और न हम लोगों का कोई वजन रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पीठ से जो पहले निर्णय दिया गया था, उसका सम्मान शासन का पहला फर्ज बनता था कि उसका परिपालन सुनिश्चित करें, जो नहीं हुआ। इसलिये मैं इस औचित्य के प्रश्न को उठाते हुए यह व्यवस्था चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों को सेवा से अलग करके दर-दर की ठोकरें खाने के लिये मजबूर किया गया है, यह बताया जाय कि शासन ने उनके बारे में क्या सोचा है। जिनको निलम्बन के बाद आज भी चार्जशीट नहीं दी गयी है, जिनके बारे में रिपोर्ट ही 17-18 दिन के बाद लिखायी गयी, जिसका मान्यवर, कोई औचित्य नहीं है, उनके बारे में क्या हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कर्मचारियों के इस मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस सदन को अवगत करायेंगे।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो समस्या उठाई है, वह यह है कि सदन में कई बार निर्णय हुआ कि जब कोई भी निर्णय कैबिनेट में हो जाता है, फिर उसे कोई भी मंत्री अपनी निजी कैपेसिटी पर उस निर्णय को नहीं बदल सकता। मैं इसके दो उदाहरण देता हूं कि सन् 77 और 78 के अन्दर एक निर्णय लिया गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिये जो रिजर्वेशन दिया गया था, वह 77-78 के अन्तर्गत एक कैबिनेट की डिसीजन द्वारा दिया गया था। इसके बाद निर्णय चलता रहा और काफी विद्यार्थियों को उस रिजर्वेशन के आधार पर प्रवेश मिलता रहा। लेकिन, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस निर्णय को अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर उस रिजर्वेशन को अकेले खत्म कर दिया, जब कि वह निर्णय कैबिनेट का निर्णय था, जिसको उन्हें खत्म करने का अधिकार नहीं था। इसलिये इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

इसके साथ-साथ प्रदेश के अन्दर जितनी सेवाएं थीं, उनके अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए पांच साल की आयु के लिये रिलेक्स दिया गया था कि पांच साल की अधिक आयु वालों को मान लिया जाय। यह निर्णय चलता रहा और उसके बाद सन् 81-82 के अन्तर्गत कैबिनेट के निर्णय के बाद बदल दिया गया और पुलिस की सेवाओं के अन्तर्गत जो भर्ती होती है, उस भर्ती में उस पांच साल की आयु की जो छूट थी उसे खत्म कर दिया गया। इससे पिछड़े वर्गों के साथ जो इस सरकार से उम्मीद की जाती थी, जैसे और प्रदेशों के अन्दर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुजरात के अन्दर रिजर्वेशन था या मण्डल कमीशन को ले करके मांग की जा रही है, पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया।

यह सरकार पिछड़े वर्गों के लिये काम करने का दावा करती है, लेकिन इस सरकार ने जनता शासन के दौरान जो कैबिनेट का लिया गया निर्णय था, उसको व्यक्तिगत रूप से इनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने और शासन के अधिकारियों ने बदल करके पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय किया है। इसलिए इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी अनुभवी हैं और इनको इस बात की जानकारी है कि कैबिनेट के निर्णय को व्यक्तिगत रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बदलने का अधिकार है या नहीं है और या इनके किसी अधिकारी को अधिकार था कि जनता शासन के जमाने में लिये गये निर्णय जो आयु सीमा में 5 साल की छूट देने के बारे में था, खत्म कर सकता था कि नहीं? लेकिन उसने खत्म करके पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय किया है। यह सिलेक्स उत्तर प्रदेश के 52 प्रतिशत जनता से सम्बन्धित है। इस वर्तमान शासन ने एक भी सहूलियत अभी तक नहीं दी है, न पिछले मंत्रिमंडल के जमाने में दी गयी थी। तिवारी जी ने भी एक भी नहीं दी है। जनता पार्टी ने सहूलियतें दी थीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो निर्णय कैबिनेट ने लिया था और जो सहूलियतें कैबिनेट द्वारा दी गयी थीं, उन सहूलियतों को आज मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से और अधिकारीगण क्यों समाप्त कर रहे हैं।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस माननीय सदन के और सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री माननीय बल्देव सिंह आर्य ने आलू के उत्पादन के सम्बन्ध में विधान परिषद् में बयान दिया कि इस समय प्रदेश में 60 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ। उसके बाद अभी 20 मार्च के स्वतंत्र भारत अखबार में हम लोगों ने पढ़ा जिसमें माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि प्रदेश में 22 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ है। तो मान्यवर, किस आंकड़े को सही माना जाय। यह हम सब के लिये परेशानी की बात है। एक तो यह सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण प्रदेश को बरबाद कर रही है और आलू के लिये इन्होंने 50 रुपये क्विंटल मूल्य निर्धारित किया। कहीं इसके लिये कोई क्रय केन्द्र नहीं है। आलू खेतों में सड़ रहा है। इसका कोई परवाह सरकार को नहीं है दूसरे अलग-अलग मंत्री अलग-अलग बयान देकर हमें भ्रम में डाल रही है कि कितना आलू का उत्पादन हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह आलू के सही आंकड़े हमें उपलब्ध करायें कि कितने आलू की खरीद हुई है और कितना आलू खेतों में सड़ रहा है, यह भी हमें बताने की कृपा करें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय वर्मा जी ने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से एक बात सदन में कही। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने कहीं भी यह नहीं कहा कि 22 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ है। एक अल्पसूचित प्रश्न फर्रुखाबाद के बारे में था और उसका उत्तर देते हुये मैंने कहा था कि फर्रुखाबाद में इस वर्ष आलू की अनुमानित पैदावार 11 लाख टन है। यह केवल फर्रुखाबाद के लिये ही था। किस तरह से अखबारों के जरिये माननीय सदस्य को यह जानकारी हुई। पूरे प्रदेश में अनुमानित आलू की पैदावार 60 लाख टन हुई है और यही सरकार ने कहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक बुनियादी सवाल औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठाना चाहता हूं। इसी आदरणीय सदन में बार-बार इस बात की चर्चा होती रही है कि आदरणीय सदस्य विधान सभा जो शिकायतें करते हैं या नियम 301 के के अन्तर्गत जो भी सूचनायें देते हैं उनके सम्बन्ध में जब जांच होती है तो उस समय माननीय सदस्य को बुलाया जाना चाहिए। मैं संदर्भ देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी परसों एक पत्र हमें भेजा है। हुबली की चीनी मिल के मजदूरों ने सितम्बर में अनशन किया। हमने नियम 301 के अन्तर्गत वहां के रिसीवर को हटाने की मांग की। उसके ऊपर 25 लाख रुपये के आरोप हैं। उसने 76 लोगों की भरती की और उसमें एक भी आदमी आरक्षण के कोटे का नहीं है। एक ही जाति के लोगों की भरती की गई। इसे शासन ने भी स्वीकार किया है। मैंने कहा था कि इस सम्बन्ध में एक उच्च-स्तरीय जांच करके रिसीवर को निलम्बित किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पत्र दिया है वह मान्यवर, मैंने आपको दे दिया है। उसमें लिखा है कि प्राप्त आख्या के अनुसार कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

इस सिलसिले में आदरणीय श्रम मंत्री और माननीय राम रतन सिंह जी के कक्ष में वार्ता भी हुई थी। उसका तस्किरा भी इस पत्र में है। उसके बाद फिर हड़ताल का नोटिस दिया गया और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के यहां समझौता हुआ। उसके बाद चतुर्वेदी जी को प्रमोट करके दूसरी जगह भेज दिया गया जब कि उनके ऊपर स्पष्ट आरोप हैं। सरकार तथ्यों को छिपा रही है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में किस भ्रष्टतम अधिकारी ने जांच की और आख्या देने वाले कौन अधिकारी थे। 301 के अन्तर्गत हमने शासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। उस मामले को लेकर मजदूर आंदोलित हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उस जांच की प्रतिलिपि यहां पर रखी जाय और यह बताया जाय कि किस अधिकारी ने जांच की थी? यह बहुत ही एक आम सवाल है, हम शिकायत करते हैं और हमसे पूछा तक नहीं जाता है। जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करते हैं वही अधिकारी रिपोर्ट देता है। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, जो चतुर्वेदी के रैंक के ऊपर है, वह जांच नहीं करने गया। चतुर्वेदी ने टिप्पणी की कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि इस प्रकार का उत्तर शासन से कब तक आता रहेगा मामला व्यक्ति विशेष का नहीं है, माननीय ओझा जी का नहीं है, मामला आदरणीय सदन का नहीं, मामला उत्तर प्रदेश के 1200 मजदूरों का है जो सड़कों पर घूम रहे हैं। मान्यवर, विनम्रतापूर्वक आपसे इस पर व्यवस्था चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा वे चीनी उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं और उनको चीनी मिल की यूनियन में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, वह देखें जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप थे, उसी अधिकारी को जनरल मैनेजर प्रोमोट करके उसको गोरखपुर में भेज दिया गया है, लिखित आरोप हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चतुर्वेदी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। मान्यवर, जो वर्तमान जनरल मैनेजर भेजे गये हैं, मान्यवर, वह रात के 12 बजे 2 लाख का सामान ले जा रहे थे हम लोगों ने जब उनको रोका तो हम लोगों को मारा गया और हम लोग 395 के मुलजिम बनाये गये हमारे साथ के जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पदाधिकारी हैं वह मुलजिम बनाये गये। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के समय में जो डकैती का सामान बरामद कराने की कोशिश करता है, वह मुलजिम होता है और जो डाका डालता है उसको प्रोमोट कर दिया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सारे प्रकरण की जांच के आदेश दिये जाने चाहिये।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, किस तरह से सदन में वाक्य स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर जान बूझ कर राजनीतिक दलों को बदनाम करने की साजिश सतारूढ़ दल के विधायक करते हैं, इसका मैं उदाहरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस पर आपत्ति है।

मान्यवर, दो प्रश्न मेरे देखने में आये, जो माननीय राजेन्द्र गुप्त जी के हस्ताक्षर से आये हैं। एक प्रश्न के ऊपर लिखा हुआ है औचित्य का प्रश्न और संभवतः वह यह नहीं है जो आप उठा रहे हैं। दूसरा औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं है, आप कहने जा रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने अभी अपनी बात कही नहीं, मंत्री जी ने कैसे समझ लिया कि यह कौन सी बात कहने जा रहे हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने मेरी सूचनाओं को लिया है, प्राग्दर्शन में 2 बार नाम लिया है, उसको मैं पहले उठा रहा हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो मेरी आपत्ति है, उसे आप सुन लें। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, यह जो बात कहने जा रहे हैं, इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

दो विषयों पर इन्होंने अलग-अलग सूचना दी है इनको अधिकार है कि पहले किसको लें। आपकी आपत्ति किस पर है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, एक पर लिखा है औचित्य का प्रश्न। मान्यवर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको स्वीकार करें या इनको बुलवायें। लेकिन, मान्यवर, जो इन्होंने एक सूचना दी है उसमें औचित्य के प्रश्न का कहीं जिक्र नहीं है, उसको औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं दिया है और वह औचित्य के प्रश्न के रूप में बनता भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

पहले आप सुन तो लें माननीय गुप्ता जी को।

श्री हुकुम सिंह—

बोलने का मुझे भी अधिकार है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओझा जी, आप बैठ जायें। व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था नहीं होती है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो सूचनायें दी है। ये दोनों सूचनायें आपके कार्यालय से मुझे भी दी गई हैं,

जो मेरे पास हैं। जिस प्रश्न का संदर्भ माननीय सदस्य ले रहे हैं, कृपा करके आप भी उसे देख लें। उन्होंने यह प्रश्न औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया ही ही नहीं है और न ही वह औचित्य के प्रश्न के रूप उठाया ही जा सकता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यदि कोई विशेषाधिकार के हनन की बात हो तो उसे उसी में उठाया जायेगा न कि औचित्य के प्रश्न के रूप में। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने जो दिया है उसमें विशेष रूप से खुद लिखा है कि इसे मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना चाहता हूं। यदि आप पहले प्रश्न पर उन्हें बुलाना चाहें तो बुलवा सकते हैं लेकिन वह औचित्य का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य नियमों को तोड़ने-मरोड़ने में माहिर हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी जिस प्रश्न को आपने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है, उसे आप पहले ले लें। दूसरा जो आपका प्रश्न है, उसे मैं बाद में देख लूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मेरा जो दूसरा प्रश्न है, वह सदन में जो कहा गया है, उसकी कार्यवाही से सम्बन्धित है। यदि सदन के अन्दर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो उसका स्पष्टीकरण देने का अधिकार मुझे है। उसी नियम के तहत मैं अपने दूसरे प्रश्न को इस आदरणीय सदन में उठा रहा हूं।

मान्यवर, 20 तारीख को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी....

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इस पर मेरी आपत्ति है। मान्यवर, यह सदन नियमों के अनुसार चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी आप बैठ जायें। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। निर्णय तो मुझे करना है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि 20 तारीख को जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के एक सदस्य श्री सुरेन्द्रकपिल जी ने आरोप लगाया कि 1977-78 में अलीगढ़ में जो हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था, उसमें जनता पार्टी के एक अध्यक्ष का हाथ था। उनके नाम के0 के0 नवमन है उनका नाम मैं बता देता हूं। उन्हें जेल भेजा गया था। जिस समय उनका भाषण चल रहा था तो उस पर यहां हाऊस में कुछ अवरोध भी हुआ था, जिस पर आपने कहा था कि मैं इसे देख लूंगा। लेकिन जो आज कार्यवाही छपी है, उसमें वही छपा है, जो उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे यहां पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ी। जनता पार्टी का उल्लेख किया गया है। उस समय वह जनता पार्टी में थे। जनता पार्टी के विघटित होने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में आ गये। समाचार-पत्रों में मामला आया। आज उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी दो पार्टियां हैं। ऐसी बात कह कर दोनों पार्टियों की छवि को धूमिल किया गया है। जब कि फैक्ट्स इसके विपरीत हैं, जिसके सारे डाक्यूमेन्टस मैं आपके पास भेज चुका हूं। इस सम्बन्ध में मैं 3 तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो मुनासिब होगा वह निर्णय दूंगा। कृपा करके आप लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, एक पत्र...

(व्यवधान)

17 जुलाई 1978 के दैनिक प्रकाश में जो...

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरी आपत्ति है इसी पत्र के पढ़ने पर एक तो जो राजेन्द्र गुप्त जी आपके माध्यम से...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त --

मान्यवर, यह सदन कैसे चलेगा। बार-बार आपके कहने के बावजूद...

श्री अध्यक्ष--

अब मैं खड़ा हूं। आप लोग कृपा करके बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जो पत्र पढ़ रहा हूं, आपके पास भेज दिया है।

श्री हुकुम सिंह--

जिस पत्र की फोटो कापी आपने भेजी है क्या उसकी मूल प्रति आपके पास है, मेरा आपत्ति है कि आपके पास मूल प्रति नहीं है...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

हे मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

जो ओरजिनल है उसे भेज दें।

(व्यवधान)

पहले मैं इसे देख लूं। (कुछ रुक कर) मूल पत्र भेज दिया है। अब आप पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, 17 जुलाई, 1978 के दैनिक प्रकाश में जो समाचार हमारे ओम प्रकाश वार्ष्णेय, महामन्त्री शहर कांग्रेस (ई) अलीगढ़ व दिनेश चन्द्र डीन द्वारा आपके खिलाफ छपा था, उसके तथ्यों की पूरी छानबीन करने पर वह गलत निकला है। इसके लिए हमें खेद भी है। आप एक समाजसेवी, कर्तव्यनिष्ठ, सब धर्म समभाव वाले व्यक्ति एवं ईमानदार व्यक्ति हैं। 17 जुलाई 78 के समाचार से आपको शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हानि का सामना करना पड़ा। आपके प्रयासों से ही अलीगढ़ जनपद में कन्ट्रोल की कापियों का वितरण सही ढंग से हुआ है, यह भी कटु सत्य है।

(व्यवधान)

मैंने आपको ओरिजिनल कापी दी है।

(श्री मुईद अहमद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

राजेन्द्र गुप्त जी आप अपनी बात रखिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

आप लोग बैठ जाइये। राजेन्द्र गुप्त जी को पूरा कर लेने दीजिये।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने आपको द्वितीय सत्र न्यायाधीश के निर्णय की ओरिजिनल कापी दी है उसमें यह है कि द्वितीय सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ के निर्णय संख्या 125 (79) का निर्णय जिसमें सरकार बनाम के0 के0 नोमानी आदि के बारे में माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया है और उन्होंने कहा है कि वह सब ससम्मान बरी कर दिये गये हैं। निर्णय में यह भी कहा गया है कि

अभियोजन में आरोप लगाने में जादूगरी यानी जगलरी की है । मान्यवर, न्यायाधीश महोदय ने जगलरी शब्द का इस्तेमाल किया है ।

मान्यवर, एक प्रमाण आपको और देना चाहूंगा जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास भेज दी है । मान्यवर, डा० धनन्जय सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, जिला अलीगढ़, इनका एक शपथ पत्र अलीगढ़ इन्क्वायरी कमीशन के सामने पेश हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जो चिकमंगलूर के चुनाव के समय अलीगढ़ आई थीं । उस समय उन्होंने अलीगढ़ में कहा था कि जनता पार्टी को मुसलमानों का समर्थन मिला है । आज हिन्दुस्तान का मुसलमान हमारे खिलाफ है । अलीगढ़ में दंगा करवाया गया, जिससे मुसलमान जनता पार्टी के खिलाफ हो जायं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, राजेन्द्र गुप्त जी माफी मांगें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं माफी मांगने तथा यह कहने के लिए तैयार हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय लेकिन इससे पहले श्री सुरेन्द्र कपिल को माफी मांगने के लिए कहें ।

(पुनः कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप लोग बैठ जायें ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इस औचित्य के प्रश्न को खारिज करता हूं । अस्वीकार करता हूं । मैं इस औचित्य के प्रश्न को लेता ही नहीं और इसको खारिज करता हूं ।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त)--

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त खेद है कि सम्मानित सदस्य सीतापुर ने...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । आप क्या चाहते हैं ? सदन चले या न चले ?

श्री नारायन दत्त--

मुझे दुख इसी बात का है कि वह कोई भी बात करते लेकिन उन्होंने स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रति जो बात कही...

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही ।

श्री नारायण दत्त--

जो बात कही गयी वह बिल्कुल निराधार और असत्य है । किसी भी तरीके से कोई भी भारत का नागरिक ऐसा सोच भी नहीं सकता शायद स्वयं माननीय सदस्य भी विश्वास नहीं करेंगे कि इन्दिरा जी सपने में भी ऐसी बात कह सकती हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के सारे प्रश्न अस्वीकार हुए ।

("मद संख्या--2" पुकारे जाने पर

श्री राजेन्द्र गुप्त--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मेरे निर्णय के बाद कोई बात नहीं लिखी जायगी ।

नगर महापालिक, कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह--)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 2446-1-बी/11-9-के-3 (1)-83 दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित नगर महापालिका, कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1984 एवं 11 दिसम्बर, 1984 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सत्रावसान के कारण पूरा नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1985†

("मद संख्या-3" पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष--

आप बैठें, मद संख्या--3 बुला लिया है ।

नोट[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† छापी नहीं गयी ।

परिवहन मन्त्री--(श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग--4 की अधिसूचना संख्या 5046-टी/30-4-6-पी-79-के0 अधि0 4-1939 नियमावली 1940-4 संशोधन (35) 1965, दिनांक 22 जनवरी, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1985 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (ऋण और अग्रिम देना) नियमावली, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह--)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से ग्राम्य विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 7341/38-3-1117-81, दिनांक 22 जून, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (ऋण और अग्रिम देना) नियमावली, 1984 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1981-82 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन†

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मो0 सफीउर्रहमान अन्सारी)--

आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1981-82 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन जो श्रीमती प्रेमवती, सदस्या विधान सभा द्वारा तत्कालीन तहसीलदार (श्री खजान सिंह) गुन्नौर, बदायूं के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से सम्बन्धित है और जो प्रक्रिया सम्बन्धीकरण संख्या 68 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री गौरी शंकर भयय्या—

माननीय अध्यक्ष जी, इसके सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें लिखा है कि "इसकी मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।" इसी तरह से कुछ दिन पहले एक समिति का प्रतिवेदन आया था उसमें भी यही कहा गया था कि उसकी मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी। उस प्रतिवेदन की रिपोर्ट आज पिजन होल में रखी गयी जिसे देखने के बाद पता चला कि इसमें करोड़ों रुपए का गोल माल है, जो समिति ने आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार जिस दिन यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गयी थी यदि उसी दिन हम लोगों को भी इसकी प्रतियां मिल जाती तो हम लोग इस मामले को सदन में उठा सकते थे। इस पर विशेषाधिकार समिति में बहस हो चुकी है, कई बार साक्ष्य लेकर तथ्यों पर प्रकाश डाला जा चुका है; तो हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि जब भी कोई रिपोर्ट या प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाय तो उसके साथ ही साथ उसकी प्रति हम लोगों को भी दी जाय, जिससे कि हम लोग भी उसे सदन में उठा सकें।

अध्यक्ष—

परम्परा यह रही है कि जब प्रतिवेदन छप कर आता है तब पिजन होल में रख दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन को, जो श्री माता प्रसाद पान्डेय, सदस्य, विधान सभा, द्वारा श्री जयपति नाथ, तत्कालीन थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती, तथा उनके सहयोगी श्री शिव बरन मिश्र उर्फ कुद्धन मिश्र निवासी ग्राम बिस्कोहर, थाना त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से सम्बन्धित है, और जो प्रक्रिया सम्बन्धीकरण संख्या 68 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, सदन के पटल पर रखता हूं।

दिनांक 13 फरवरी, 1984 के विधान मंडल के एक साथ समवत दोनों सदनों के समक्ष महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य, श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं, दिनांक 13 फरवरी, 1984 को विधान

†छापा नहीं गया।

†छापा नहीं गया।

मंडल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पुनीत अवसर पर विधान सभा के सदस्य, श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच हेतु गठित समिति (अष्टम विधान सभा) का प्रतिवेदन, जो प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 68 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 जो विधान सभा द्वारा 20 मार्च, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में बिना किसी संशोधन के 21 मार्च, 1985 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 जो विधान सभा द्वारा 20 मार्च, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में बिना किसी संशोधन के 21 मार्च, 1985 को वापस प्राप्त हो गया ।

खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

(मद संख्या 15 पुकारे जाने पर)

*श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैनेजर सिंह जी, जब मैं आपको बुलाऊं, तब आप बोलियेगा, अभी आप बैठें ।

(श्री मैनेजर सिंह के आसन ग्रहण करने के उपरान्त) ।

श्री अध्यक्ष--

हां, अब आप कहिये ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, 19 तारीख को यहां सदन में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री जी ने उत्तर में स्पष्ट घोषणा की थी कि धान घोटाले काण्ड में जो नुकसान हुआ है उसमें 500 रु0 सूद के हैं और कोई अनियमितता नहीं पाई गई है । मान्यवर, मुझे सही जानकारी है कि रिकवरी में 6 परसेन्ट की कमी को लेकर पौने 6 करोड़ रु0 का घाटा दिखाया गया है । यही नहीं, श्रीमन, कुटाई के लिए दिया गया धान, जिसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के और स्टेट गवर्नमेन्ट के निर्देश थे और उसमें यह शर्त थी कि जो धान का बाई-प्रोडक्ट होगा भूसी कनका वगैरह वही कुटाई होगी और कुटाई का पैसा कोई देय नहीं होगा लेकिन शासनादेश के खिलाफ अधिकारियों ने 3 से 4 रुपया प्रति क्विंटल दिया और बाई-प्रोडक्ट भी छोड़ दिया । इस प्रकार 90-95 लाख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपये इस मद में दिये हैं। इसमें बीसियों करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है और जो जांच समिति प्रारम्भिक बनी थी उसने सारे तथ्यों को इंगित किया है। उसे खाद्य सचिव ने बीच में रोक दिया और जो इंटरिम रिपोर्ट थी उसे छिपा कर रखा दिया। जो चार सचिवों की समिति बनी उसने गलत रिपोर्टिंग की। माननीय मंत्री जी ने उसे देखा नहीं। यहां आई0 ए0 एस0 अधिकारियों का जो रवैया है वह ट्रेड युनियन से भी खराब है। एक आई0ए0एस0 अधिकारी बेमानी करता है तो सारे अधिकारी उस पर पर्दा डालते हैं।

मुझे खेद है मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की इज्जत करता हूं तो उनको भी धोखा दिया गया है, उन्होंने शायद देखा नहीं। उस समय खाद्य मन्त्री माननीय वासुदेव सिंह जी ने पिछले सदन में कहा था कि कई अनियमितताएं सही हैं। तो उसके बावजूद भी हलके ढंग से जो उत्तर दिया गया है उससे सदन को जानबूझ कर गुमराह किया गया है और तथ्यों को छिपाया गया है, जो पत्रावली है उसको भी अंधकार में रखा गया। इसलिये मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन, मुझे आशा है कि आप सारी फाइलों को मंगवा लेंगे और इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करेंगे। आप स्वयं भी देख लें और विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द इस मामले को कर दें ताकि उसमें छानबीन हो जाय और सही तथ्य सामने आ जायें। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, आप फाइल मगवा लें।

श्री अध्यक्ष--

वह शासन को स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजा जायेगा। जब उत्तर आयेगा। तब उसे देखकर निर्णय दिया जायेगा।

(समय 12 बजे)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 20 सूचनायें प्राप्त हुई जिनके नाम पढ़ दे रहा हूं -- श्री मित्रसेन, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री विजय सिंह राणा एवं श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री मुस्तमंद अली खां, श्री बेनी प्रसाद, श्री सरदार सिंह एवं श्री कुशल पाल सिंह, श्री किरन पाल सिंह, श्री कौशिक रमा शंकर, श्री रेवती रमण सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम आसरे (हरदोई), श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री बदन सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री यदुनाथ सिंह, श्री अनुग्रह नारायण एवं श्री गोपाल दास यादव तथा श्री दीप चन्द्र।

दो-दो मिनट का समय में माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए दूंगा।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का और सदन का ध्यान....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)
मैं सब को सुनूंगा क्यों फिकर कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं।

श्री मित्र सेन--

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के जन जीवन से सम्बन्धित गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश के अंदर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से आज ग्रामीण अंचल में नमक,

मिट्टी का तेल, चीनी, बनस्पति आदि आवश्यक चीजें गायब हो गई हैं और चोरी से बाजार में दूने दामों पर सामान उपलब्ध हो रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से हमारे प्रदेश की जनता में शासन के प्रति निराशा और बहुत आक्रोश है। ग्रामीण अंचलों में सर्वसाधारण जनता को इससे बहुत परेशानी है। मैं चाहता हूं कि यह गंभीर विषय है इससे दूसरा गंभीर विषय हो नहीं सकता है इसलिए कार्य-स्थगन करके इस पर चर्चा की जाय इससे दूसरा गंभीर विषय चर्चा का नहीं बनता है।

इसलिए मैं इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो उत्तर प्रदेश के जन जीवन से सम्बन्धित आवश्यक चीजों की मूल्य वृद्धि हुई है, उससे चीजें मिल नहीं रही हैं और मिल रही हैं तो दूने दाम पर उपलब्ध हो रही हैं। इसलिए कार्य स्थगन करके चर्चा करायें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के 10 लाख हथकरघा बुनकर परिवारों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सूत के दामों में बेतहासा वृद्धि हो गई है और संसद के चुनाव के बाद सूत के दाम डेढ़ गुने बढ़ गये हैं। बुनकरों को सूत मिल नहीं रहा है, जिससे 50 लाख लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। सरकार ने यदि सूत की व्यवस्था नहीं किया तो 10 लाख बुनकरों परिवारों के 50 लाख अल्पसंख्यक लोग भुखमरी के शिकार हो जायेंगे। इसलिए सदन इस पर आज चर्चा करे या मुख्य मन्त्री जी इस पर कुछ घोषणा करें।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विषय आलू के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज किसानों का आलू सड़ रहा है। इस देश में कुल आलू की पैदावार का 50 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश पैदा करता है जिसकी आज दुर्गति हो रही है और खेतों में आलू सड़ रहा है। आजतक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है और न आलू की बिक्री करने के लिए कहीं बाहर बाजार की ही व्यवस्था किया है। इसलिए आलू की 59 प्रतिशत पैदावार देश में प्रदेश जरूर करता है लेकिन औसतन पैदावार पिछड़ी है क्योंकि सरकार कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। मान्यवर, जो आंकड़े प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हैं – वह प्रति हेक्टेयर 153 कुंटल उ0 प्र0 में है जबकि पंजाब और प0 बंगाल में क्रमशः 300 और 275 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह पैदावार की इस कमी के दो कारण हैं। एक तो आलू का उचित दाम और प्रोत्साहन नहीं मिलता है, दूसरे भंडारण की क्षमता न होना है। मान्यवर, लोकपति त्रिपाठी जी ने संख्या तो बढ़ा दिया लेकिन आंकड़े कहां बढ़ गये हैं। मान्यवर, आप देखें कि वर्ष 1977–78 में 475 कोल्ड स्टोरेज किन्तु क्षमता 9·75 लाख टन है।

		लाख टन
इसी प्रकार वर्ष 1978–79 में	संख्या 482 और क्षमता	11·50
1979–80 में	संख्या 531 और क्षमता	13·50
1980–81 में	संख्या 581 और क्षमता	15·00
1981–82 में	संख्या 631 और क्षमता	17·00
1982–83 में	संख्या 651 और क्षमता	19·00
1984–85 में	संख्या 706 और क्षमता	24·00

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार वर्ष में 50 शतिवृह लगभग बना पाते हैं। आप देखें कि पैदावार के हिसाब से 1983 में 286 हेक्टेयर जमीन में आलू बोया गया था और 45 लाख टन पैदा हुआ और 1984 में तीन लाख हेक्टेयर में आलु बोया गया और 50 लाख टन पैदा हुआ किन्तु भंडारण क्षमता 20 लाख टन की है तो 30 लाख टन आलू कहां जायेगा, उसके भंडारण के लिए क्या किया, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। अभी जो खरीद की गई है उसके आंकड़े श्री हुकुम सिंह जी ने दिए थे कि नेफिड व सी0स0एफ0 ने 9376 मैट्रक टन आलू क्रय किया है जो रखा जायेगा तो बाकी आलू का क्या होगा। इसलिए मैं सरकार से दो बातें चाहता हूं, एक तो शीतगृहों की संख्या बढ़ाई जाये और दूसरे क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाये क्योंकि कुल 17 जिलों में ही क्रय केन्द्र खोले गये हैं। किन्तु हमारी मथुरा और आगरा में एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है। इसलिए जितनी आलू किसानों की क्षति हुई है उसको कम से कम क्षति पूर्ति अनुदान की व्यवस्था करें और आलू जो पड़ा है उसके खरीदने के लिए क्रय केन्द्र खुलवा दें। इसके साथ ही शीतगृहों में किसानों का आलू जो व्यापारियों के माध्यम से स्टोर किया जा रहा है उसका भी पता लगायें।

श्री मुस्तमन्द अली खां--

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि किस-किस जगह पर खरीद के केन्द्र खोले गए हैं आलू के?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के रूप में आप इसको उठा सकते हैं, यह तो मैंने आप से नहीं कहा। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद--

मैंने आलू के ऊपर दिया है, लेकिन...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री बेनी प्रसाद--

अब मैं गेहूं पर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, इस तरह नहीं कि आप आलू के ऊपर दें और गेहूं पर बोलें। यह कैसे हो सकता है। कृपया आप बैठिये।

(व्यवधान)

आपकी कोई बात नहीं लिखी जाएगी, आप बैठिए।

*श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार किसान विरोधी कितनी है, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। इन्होंने रेल भाड़ा तो साढ़े 12 प्रतिशत बढ़ा दिया लेकिन गेहूं की कीमत में 152 से बढ़ाकर 157 में करके केवल 5 रुपये की वृद्धि की जा रही है। पन्तनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जब गेहूं के मूल्य पर परीक्षण कराया तो उनके अनुसार भी 200 रु0 से ऊपर की लागत आती है। किसान का मुनाफा मिलाकर आपको इसका मूल्य 250/300 रुपया प्रति क्विंटल देना चाहिये। इतना कम मूल्य देने के कारण, सरकार द्वारा उनका घोर शोषण होने के कारण किसानों को खेती से नफरत होती जा रही है और यह सरकार किसानों को गन्ना, गेहूं और आलू आदि के मूल्य के मामले में उनको दबाती जा रही है। अतः मुख्य मन्त्री जी घोषणा करें कि वह अपने कोष से, अपने खजाने से उसको बढ़ा हुआ मूल्य देंगे..।

(व्यवधान)

आप अपनी ओर से अधिक दाम किसानों को दें और और इसकी यहां घोषणा करें। यह करोड़ों किसानों का मामला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरदेव--

यह महंगाई की भी बात कहते हैं और गेहूं के और अधिक दाम महंगा करना चाहते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

जब भी किसानों और गरीबों की बात आती है, यह उसको सुनने को तैयार नहीं होते हैं। कृषि मूल्य आयोग ने भी इससे कहीं ज्यादा गेहूं के मूल्य की संस्तुति की है। इसको लेकर किसानों में बड़ी बेचैनी है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आज ही मुख्य मन्त्री जी यहां पर अधिक मूल्य की घोषणा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न का आदरणीय सदन में रखना चाहता हूं और यह चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इस पर वक्तव्य दें। मान्यवर, आए दिन इधर और उधर के माननीय सदस्य आगजनी के सम्बन्ध में यहां पर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश में खैरात और तत्काल सहायता के नाम पर एक पैसा हेड क्वार्टर पर नहीं भेजा गया है। मेरे क्षेत्र में ही--लक्ष्मीपुर महन्त, बेलवा तिवारी, विकास खंड घुघली, कुर्मी टोला (परतावल) और छपिया तथा हमारे बगल में ही सबिया और मधुवलिया आदि पूरे गांव के गांव जल गए और उसको 15 दिन से ज्यादा हो गये, लेकिन राहत और सहायता के नाम पर एक पैसा भी सरकार की ओर से नहीं गया है। सार्वजनिक संस्थाएं और व्यक्तिगत तौर पर लोग जो कुछ कर सकते हैं करते हैं, लेकिन वह नहीं के बराबर होता है। परन्तु सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है। लोग खुले आकाश के नीचे दम तोड़ रहे हैं और भूखों मर रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, तमाम जानें चली गई हैं। लेकिन खैरात और राहत के नाम पर जब हम डी0 एम0 तथा एस0 डी0 एम0 से बात करने जाते हैं तो वह कहते हैं कि शासन से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। तो इससे ज्यादा शर्म की और बात नहीं हो सकती।

इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन उठने से पहले तत्काल वह इस बात की घोषणा करें कि हर जिले हेडक्वार्टर पर राहत के नाम पर पर्याप्त धन दिया जाय। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अब तक यह परम्परा रही है कि चाहे 10 हजार या 50 हजार रु0 का नुकसान हुआ हो मुश्किल से 100 रु0 या 150 रु0 का अनुदान दे दिया जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो क्षति हुई है उसके अनुपात मे राहत दी जाय। एक तो तत्काल राहत दें, खाने के लिए, कपड़ों के लिये और घर बनाने लिए लांचटर्स राहत दी जाय ताकि वह लोग फिर बस सकें। मैं चाहूंगा कि दोनों बातों की तत्काल घोषणा करें और जिला हेड क्वार्टर पर तत्काल राहत हेतु धन भिजवाने की व्यवस्था करें।

*श्री राम सरन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 56 में माननीय सदस्य आपको सूचनायें देते हैं और आप उनको सुनते हैं। हर माननीय सदस्य अपनी-अपनी सूचना देता है यदि अभी कोई गेहूं पर बोल रहा है तो उसके बाद आगजनी की बात आ जाती है, उसके बाद बलात्कार की बात की जायगी और उसके बाद फिर गेहूं की बात की जाने लगती है। तो मैं चाहूंगा कि जो एक विषय की सूचनायें हैं, उनको एक जगह जोड़ दिया करें और एक साथ बुलवा दिया करें ताकि बोलने वालों को आसानी हो। मान्यवर, यह व्यवस्था अगर कर दी जायगी तो आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष--

अब आइन्दा ऐसा ही किया जायगा।

*श्री राम आसरे (हरदोई)—

मान्यवर, अभी 15 मार्च को हरदोई में मीरा टाकीज के मालिको द्वारा वहां के डिग्री कालेज के छात्रों पर गोली चलायी गई, जिससे वह घायल हो गए। कई विद्यार्थी जिला चिकित्सालय के इमरजेन्सी वार्ड में भरती हैं उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। फूलन देवी का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन अब मीरा का नाम आ गया है, जिसने अपने हाथ में रायफल लेकर छात्रों पर राइफल चलाई। मान्यवर, इस घटना से छात्रों में असंतोष पैदा हो गया है। पुलिस ने भी उन मालिकों के प्रति हमदर्दी का रुख अपनाया है और उसका परिणाम यह हुआ कि कल एक छात्र नेता राजीव मिश्रा को कचेहरी मे पकड़ कर बन्दूक बट से उसकी छाती, पेट और पीठ के सब को घायल कर दिया गया और वह भी इमरजेन्सी वार्ड मे भर्ती हैं। आज छात्रों ने हरदोई बन्द का नारा दिया है। स्थिति काफी गम्भीर है। सरकार ने रियासतें खत्म कर दी हैं, लेकिन थमरवा रियासत अब भी है जिन्दा है जिनके सारे घर के लोग, चाहे औरतें हों, चाहें मर्द हों, वह सब निकल पड़ते हैं बन्दूक लेकर। उन्होंने 200, 300 छात्रों पर फायरिंग की। उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। छात्र नेता अशोक कुमार सिंह बहुत दयनीय स्थिति में हैं। मुकदमा कायम किया गया है, लेकिन मुलजिमों की गिरफ्तारी को जानबूझ कर रोका जा रहा है।

श्री हरदेव—

वह टिकट लेकर सिनेमा गये थे ? क्यों ऐसा हुआ ?

श्री राम आसरे—

छात्रों की ओर से मांग उठाई गई कि जिन लोगों ने गोलियां चलायी, उनको जेल भेजा जाय और जिन आग्नेयस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है, उनके लाइसेन्स को निलम्बित किया जाय। अगर शासन स्थिति पर नियंत्रण करना चाहता है तो मुलजिमों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाय और जिन्होंने आग्नेयास्त्रों का स्तेमाल किया है, उनके लाइसेन्स तत्काल निलम्बित किये जायं। जिले में स्थिति विस्फोटक है और जन साधारण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे गम्भीर मामले को सदन से संज्ञान में लाना चाहता हूं जो अविलम्बनीय लोक महत्व का है और साथ ही साथ बहुत बड़े वर्ग से सम्बन्धित है। मान्यवर, एक नलकूप निगम नाम की संस्था है, मुख्य मन्त्री जी जानते हैं, उसका काम संतोषजनक नहीं रहा, इसलिए उसको बाइंड अप किया जा रहा है, उसका काम सिंचाई वालों को ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि काम तो ट्रान्सफर किया जा रहा है, और कर्मचारी ट्रान्सफर नहीं किया जा रहे हैं। कर्मचारियों को बलात नौकरी छोड़ने के लिये मजबूर किया जा रहा है। मान्यवर, अगर निगम का काम ट्रान्सफर हो रहा है, तो काम के साथ-साथ स्टाफ भी ट्रान्सफर होना चाहिये। इसके पहले भी मैं पत्र लिख चुका हूं। मैंने सिंचाई मन्त्री से भी बात किया था, लेकिन उस वक्त तो ट्रान्सफर का मामला विचाराधीन था, लेकिन अब उसके लिये बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। मैंने उसका नम्बर भी मान्यवर, आपको लिखकर दिया है। मान्यवर, अगर काम ट्रान्सफर हो रहा है, तो कर्मचारियों को भी साथ-साथ ट्रान्सफर होना चाहिये, चाहे वे दैनिक भोगी कर्मचारी हों, चाहे स्थायी हों, चाहे अस्थायी हों। उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

मान्यवर, भूखों नहीं मरने दिया जाना चाहिये । मान्यवर, अगर इस पर तत्काल चर्चा नहीं हुई, अगर तत्काल सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मान्यवर, हजारों लोग भूखों मर जायेंगे । मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूं । इस पर तुरन्त विचार करने की आवश्यकता है इस पर तुरन्त चर्चा मान्यवर, काम रोक कर कराई जाय ।

*श्री किरनपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, पिछले एक हफ्ते से सदन की कार्यवाही चल रही है और इसमें किसानों के विभिन्न दुःखों, तकलीफों के बारे में हम विरोधी पक्ष के लोगों ने सवाल किया । लेकिन सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ अपने शब्दजाल से उनको टाल दिया । आज जो किसान पीड़ित हैं, उनकी जो समस्यायें हैं, उनको टाल दिया गया और किसी के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया और कठोर कदम उठाने की बात तो दूर रही । कल केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने गेहूं का समर्थन मूल्य 157 रु0 प्रति कुंटल घोषित किया है । प्रश्न यह उठता है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये । इस मूल्य पर तमाम किसान और प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि किसानों को 157 रु0 प्रति कुंटल गेहूं का समर्थन मूल्य देकर कितना मुनाफा किसानों को यह सरकार देना चाहती है ? यह गम्भीर मामला है । खाद के दाम आपने बढ़ा दिया, बिजली और पानी के दाम आपने बढ़ा दिया और तमाम टैक्स किसानों पर बढ़ाये जा रहे हैं, परन्तु उसका जो उत्पादन है, उसका दाम निरंतर ज्यों का त्यों स्थिर है । तो मैं मान्यवर, आपसे मांग करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को रोक कर तुरन्त इस विषय पर चर्चा कराई जाय । मान्यवर, घाटा तो एफ0 सी0 आई0 के नुकसान से होता है । एफ0 सी0 आई0 गेहूं बरबाद करती है । नुकसान तो उसके भंडारण और ट्रान्सपोर्ट की अव्यवस्था से होता है । यह मान्यवर, आपको भी मालूम है । और सरकार को भी मालूम है मान्यवर, एक साल 118 करोड़ का, एक बार 125 करोड़ का नुकसान गेहूं के नष्ट होने से, एफ0 सी0 आई0 की बदइन्तजामी की बजह से हुआ । मान्यवर, जब गेहूं को नष्ट करके नुकसान उठाती है सरकार, तो जो किसान मेहनत करके गेहूं पैदा करता है, उसको उचित मूल्य दिलाने के लिये इस पर चर्चा क्यों नहीं कराते ? मान्यवर, पंजाब सरकार ने धान का मूल्य अपनी तरफ से बढ़ाया, 3 रु0 प्रति कुंटल सब्सीडाइज किया । मान्यवर, गेहूं सरकारी कृषि फार्मों की अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर उत्पादन मूल्य या लागत मूल्य कितना है और आप उसको कितना मुनाफा दे रहे हैं ? मान्यवर, हम इस पर चर्चा चाहते हैं, ताकि इसका स्पष्टीकरण हो सके ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरा निर्णय होगा तो उसको आप सुन लीजियेगा ।

(व्यवधान)

अब आप माननीय किरनपाल सिंह बैठ जाइये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, फिरोजाबाद के एस0 एन0 अस्पताल में 40 हजार रु0 के मूल्य की दवाओं की चोरी रहस्यमय ढंग से कर दी गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह चोरी उसी अस्पताल के डाक्टरों और अधिकारियों ने मिलकर की है । मान्यवर, दवाओं को गायब करने के बाद झूठी रिपोर्ट भी, उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा दी गई है । उन दवाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के अभाव में वहां के रोगी परेशान हैं। उनको दवायें नहीं मिल पा रही हैं। मरीजों के अभिभावकों को दवा खरीदने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद के अस्पताल में दवा की कठिनाई बराबर बढ़ती जा रही है, गरीबों को दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मान्यवर, यह मामला 6 जनवरी, 1985 का है और अभी तक एक पैसे की दवा वहां भेजने में यह शासन सक्षम नहीं हो सका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस मामले की अक्षमता को समझते हुए फिरोजाबाद के रोगियों की दशा को समझते हुये, वहां तुरन्त दवा भेजने का कष्ट करें और इस मामले पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, गेहूं का मामला बहुत महत्वपूर्ण है माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हुये हैं और आज ही सदन है, अगर इस मामले पर बहस न करायी गई और मुख्य मन्त्री साहब ने कोई उचित जवाब न दिया, तो हमारे लिए यहां बैठना आफत हो जायेगा। हम क्या मुंह दिखायेंगे जनता में, जिनके प्रतिनिधि चुनकर हम यहां आए हैं। मान्यवर, मैं भी एक किसान हूं। यदि मुख्य मन्त्री इस मामले पर चुप बैठे रहें तो कितनी खराब बात है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं के क्या दाम देंगे इस पर चर्चा आप करा दें। नहीं तो हम हाउस नहीं चलने देंगे। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी घोषणा करें कि 200 रुपये से कम दाम गेहूं के नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप मुख्य मन्त्री जी से इस पर बोलने को कहें, नहीं तो हम मजबूर हो जायेंगे। मान्यवर, हम आपका हुकुम मानते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ समस्यायें हैं, हम इसलिए यहां नहीं आए हैं कि महंगाई भत्ता लेकर चले जायें। मान्यवर, आप गेहूं पर माननीय मुख्य मन्त्री से कुछ कहलवाइए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात को सुन लिया है, मैं इस पर निर्णय दूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी नियम 56 के अन्तर्गत मैं बोला था और मैंने एक बात कही थी, जो बहुत न्यायसंगत थी। श्रीमन, मैंने किसानों की बात उठायी, जो मेहनत करता है, उत्पादन करता है उसका उसे मूल्य मिलता है। मान्यवर, 157 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया है। उसमें किसानों को क्या मुनाफा प्रति कुंटल पर यह दे रहे हैं, मान्यवर, इस विषय पर कि किसानों को इससे कितना मुनाफा और कितना घाटा है, माननीय मुख्य मन्त्री जी से जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको अस्वीकार किया।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह जी आप सुन लें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आप हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात सुनी जायेगी मैंने कब कहा कि नहीं सुनी जायेगी।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आपने मुझे बुलाया था।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में जिन्होंने दिया है उनकी बात सुनी जायेगी ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, हम लोगों को भी सुन लें तो मन्त्री जी जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी इनका सुझाव है आप इन लोगों को सुन लें तब जवाब दें ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

ठीक है, मान्यवर ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस हाउस के संचालन में कुछ लोग अपनी बात कह कर जोर देते हैं कि उनका जवाब आ जायं । हम लोगों की बात सुन लें, एक साथ सब का जवाब आ जाय । मैंने कल ही कहा था कि यह सरकार किसान विरोधी है । यहां से लेकर केन्द्र तक । यह पारिवयक है जो गेहूं और जौ का समर्थन मूल्य दिया है । 157 रु0 कुन्तल गेहूं और 130 रुपये कुन्तल जौ का । मान्यवर, आज एक बोरा यूरिया 112 रुपया में है । एक कुन्तल ढाई पौने तीन सौ रुपये में । ढाई दो सौ रुपये में । गहूं का मूल्य 157 रुपया और कारखाने में बनने वाली चीजों का चाहे सीमेंट हो लोहा हो, दवा हो उनकी कीमत 50 फीसदी से एक सैकड़ा फीसदी तक बढ़ा रहे हैं । किसानों के लिये 5 रुपया कुन्तल बढ़ाया जा रहा है । जैसे भिक्षा दी जा रही हो । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में पैदावार बढ़ायेंगे और विशेष सुविधा देंगे । साढ़े 22 रुपये में बिजली दे रहे हैं, महंगा पानी, महंगी खाद दे रहे हैं । मैं चाहूंगा कि पंजाब में जिस प्रकार किसानों को बोनस दिया जाता है उत्तर प्रदेश के किसानों को बोनस देने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री करें । किसान जो उत्पादन को बढ़ाता है, गेहूं, जौ, चना, सरसों का समर्थन मूल्य बोनस के रूप में दिया जाय ।

*श्री कौशिक रमाशंकर—

गेहूं की कीमत का मामला महत्वपूर्ण है । सब लोग जानते हैं, यह सरकार भी जानती है और कहती है और कांग्रेस वाले सभी सदस्यों ने यह कहा कि किसान बड़ी सेवा कर रहा है । यह सरकार किसानों के हित में कुछ नहीं कर रही है और न करना चाहती है । गेहूं की लागत खर्च बराबर बढ़ती जा रही है । इस वर्ष तो मान्यवर यह खर्च बहुत बढ़ा है । इस बार गेहूं को 6–6, 7–7 और 8–8 पानी सिंचाई करनी पड़ी । साढ़े 22 रुपये प्रतिहार्स हावर बिजली मिल रही है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक करना पड़ रहा है । क्योंकि इनके राज्य में कीड़े बहुत हो रहे हैं । हर कास्तकार कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है । इनके राज्य में यह चीजें बहुत पैदा हो रही हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आज के उपवेशन के लिये निर्धारित कामों को रोक दें और इस विषय पर चर्चा करायें । यह सरकार किसानों का दम भरने का दावा करती है । कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने 157 रुपया कीमत गेहूं की रखी है । उत्तर प्रदेश सरकार क्या उससे अधिक कीमत किसानों को देगी ताकि किसान की लागत का भरपाई मूल्य आये । मान्यवर, इस पर निश्चित रूप से चर्चा करायें ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक अविलम्बनीय और लोकमहत्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के मामले को सदन में लाना चाहता हूं इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है बड़े पैमाने पर हर जिले में चलायी जाय। इस सम्बन्ध में जो भारत सरकार के निर्देश हैं उस मानक के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। उसमें था कि 60 और 40 के अनुपात में काम किया जायेगा जो मजदूर हैं उनको मजदूरी दी जायगी। अब एक नयी बात सामने आयी है कि सीधे ठेकेदार पार्टी से योजना का काम कराया जा रहा है, मजदूरों से काम नहीं लिया जा रहा है। श्रीमन, जब चुनाव नजदीक आये तो फर्जी क्यों दिखाया गया और फर्जी मस्टररोल बनाकर पूरे प्रदेश में एक अरब रुपये का फर्जी भुगतान कांग्रेस के लोगों ने कराया है उसी से ये लोग चुनाव लड़े हैं। चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का जोर है और यह गांव-गांव में पहुंच रहा है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं आप उनसे कहें कि इस मामले पर ध्यान दें और तत्काल बयान दे कि यह जो फर्जी मस्टररोल बनाकर भुगतान किया गया है उसकी जांच करेंगे उसमें जो कांग्रसी दोषी हैं उसकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी। अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी बैठे हुए हैं आप उनसे वक्तव्य दिलवा दें।

*श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी की भी तवज्जह चाहता हूं क्योंकि सदन की कार्यवाही चल रही है। मेरी बात सुन लें, मान्यवर। जो मामला मैं सदन में रखने जा रहा हूं इस तरह का मामला जब भी कभी सदन में आया है तो यह कभी नहीं देखा गया है कि यह बात पक्ष से आयी है या विपक्ष से। हमारे एक सदस्य शाहाबाद के श्री जागन सिंह हैं उन पर कातिलाना हमला हुआ है 10 बजे हमलावर चाऊ, राम औतार और लल्लो आये और घर पर दस्तक दी। माननीय मंत्री जी सुन लें। दस्तक के बाद जब माननीय सदस्य बाहर निकले तो यह तो बच गये लेकिन उनमें से एक साथी जो एक साथ दाखिल होना चाहते थे उनमें से एक मारा गया। जागन सिंह पर यह पहला हमला नहीं है। जागन सिंह फौरन थाने गये, वहां पर उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी और उन तीनों में एक अस्पताल में दाखिल हो गया और दो की गिरफ्तारी कर ली गयी। आपकी पार्टी के एक सदस्य ने वजन डाला इस सम्बन्ध में, लिहाजा कोई कार्यवाही उसमें नहीं हुई है। इस एम0 एल0 ए0 के घर पर गार्ड भी मौजूद हैं उन्हे 24 तारीख तक के लिए लखनऊ में एक इन्सपेक्टर भी दिया गया है यह तीसरा हादसा है चौथे हादसे में स्वयं यह सदस्य मारे जायेंगे या नहीं मारे जायेंगे।

मान्यवर, यहां तीन बातें चाहता हूं एक यह कि 302 का फर्जी मुकदमा जो एम0 एल0 ए0 के खिलाफ दर्ज किया गया है उसमें फाइनल रिपोर्ट लगायी जाय। दूसरी 24 तारीख तक के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है उन्हें सुरक्षा के तौर पर एक बाड़ी गार्ड दिया जाय। तीसरा यह कि उनके घर के सामने जो सुरक्षा दल पड़ा है, वह उस समय तक रहना चाहिये, जब तक माननीय सदस्य खुद मुतमईन न हों कि उन्हें सुरक्षा दल की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान दिलवा दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। भोपाल से भी बड़ा कान्ड उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण बोर्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अधिकारियों ने एक सर्वेक्षण करके उत्तर प्रदेश के ऐसे 76 खतरनाक उद्योगों की सूचना शासन को दी है और कहा है कि कभी भी किसी भी समय भोपाल जैसे गैस के कारखाने जैसा रिसाव उन उद्योगों से हो सकता है और प्रदेश की जनता के सामने जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भोपाल के केवल एक रासायनिक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव के कारण 15-20 हजार लोग मारे गये थे। उत्तर प्रदेश में 76 ऐसे कारखाने रहेंगे, जिनके बारे में प्रदूषण बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि कभी भी उनसे तत्काल जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है और प्रदेश की जनता की जान माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो क्या स्थिति होगी। सरकार इस बात को छुपा रही है जबकि जनता को इस खतरे की जानकारी हो गयी है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, कम से कम उन कारखानों के आस-पास की जनता असमंजस में पड़ी है कि आखिर वह कौन से कारखाने हैं जिनसे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है।

श्रीमन्, मैं आके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है जहां पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की जान माल को खतरा हो। यहां 76 रासायनिक उद्योग ऐसे हैं जिनसे कभी भी जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिये आज बजट आने वाला है, बजट जनता के लिये होता है, जब जनता ही नहीं रहेगी तो बजट किस काम का, जब जान खतरे में हो और शासन छुपा रहा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हों कि उत्तर प्रदेश की जनता की जान की रक्षा हो सके तो तत्काल आप सदन की कार्यवाही स्थगित करें और इस मामले पर चर्चा करावें कि आखिर वह कौन से 76 उद्योग हैं, जिनको शासन की रिपोर्ट मिलने के बावजूद अभी तक बन्द नहीं किया गया है और उनसे जहरीली गैस का रिसाव न हो इसके लिये प्रबन्ध नहीं किया गया। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनता की जान की रक्षा का प्रश्न है, इसलिये आप काम रोक करके इस पर चर्चा करावें।

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं बलात्कार के एक केस को कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के द्वारा माननीय सदन के समक्ष लाना चाहता हूं। मान्यवर, 16 मार्च को आगरा स्थित कैन्ट रेलवे स्टेशन के महिला प्रतीक्षालय में एक बंगाली युवती, जिसका नाम नन्दा था, उसके साथ दिन पांच बजे से ले करके रात्रि 9 बजे तक सामूहिक बलात्कार होता रहा। उस युवती नन्दा ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जी0 आर0 पी0 थाने में नामजद रिपोर्ट करवाई है। लेकिन जी0 आर0 पी0 ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर अभी तक किसी भी अभियुक्त को नहीं पकड़ा है। यह जानकारी आगरा में तेजी से फैल गई है और जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया है। एक दूसरे प्रान्त की युवती आपके प्रदेश में आयी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो और आपकी जी0 आर0 पी0 उन्हें न पकड़ सके तो इससे आपके प्रशासन और जी0 आर0 पी0 की बदनामी होगी। उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर यह एक कालिमा लगने की बात है और मान्यवर, एक महिला जाति के ऊपर यह बहुत बड़ी अवमानना है। महिला जाति के साथ बलात्कार की प्रवृत्ति इससे बढ़ती है। इसलिए यह एक बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न है और अविलम्बनीय है। यह 16 मार्च, की घटना है। इसलिए मैं आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

माध्यम से शासन से मांग करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर आप चर्चा करा दें ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पिछले दो-तीन दिनों से इस गम्भीर मसले को सदन में उठाने का प्रयास कर रहा हूं और आज आपने मुझे इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने 15 आई0 ए0 एस0 और 13 आई0 पी0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ अपराधी प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज कराये हैं । इन 28 अधिकारियों की जांच की गई और उसके बाद इन लोगों को दोषी पाया गया । अब यह मामला अदालत में भेज दिया गया है । वहां निर्णय होगा । मुझे आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को भी यह बात पहुंचानी है कि जब कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति में होता है...

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

माननीय सदस्य कृपया यह बता दें कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली । हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

इसकी जानकारी 9 फरवरी के स्वतंत्र भारत में आप देख लीजिये । इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इसे कल विधान परिषद में भी उठाया गया था । मेरा कहना यह है कि ये जो 28 अधिकारी हैं जो प्रशासन चलाते हैं, मुख्य मंत्री और मंत्री लोग उन्हीं के सहारे पर चलते हैं और उन्हीं के ऊपर शंका की नजर से देखा जा रहा है तो इस प्रदेश की क्या हालत होगी । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले को मुकदमा चलाने के लिए अदालत में भेज दिया है लेकिन अभी तक इन अधिकारियों को निलम्बित नहीं किया गया है और न उन्हें जेल में भेजा गया है और आज भी वे अपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं ।

जब यह मामला कल विधान परिषद् में उठाया गया तो सरकार ने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है । मैं इसलिए गम्भीर लोकमहत्व के प्रश्न पर जिसमें कि सारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन इम्बाल्व है, चर्चा की मांग करता हूं । मुख्य मंत्री जी जानकारी प्राप्त कर लें क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने इन अधिकारियों को दोषी पाया है । इसमें कलेक्टर भी हैं और सचिव के पद पर भी हैं, जिलाधिकारी भी हैं । यदि ऐसे कोई अधिकारी हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं निश्चय ही लुटेरों के साथ उनका हिस्सा होता है । कानपुर का एक कत्ल का केस है उसमें कुछ उच्चतम अधिकारियों को अपराधी बताया गया जिसमें यहां के आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारी भी हैं । इससे आज प्रशासन की हालत लुंज-पुंज हो गई है और इन अधिकारियों को निलम्बित नहीं किया जा रहा है । और न उन्हें जेल भेजा जा रहा है । अतः इस अविलम्बनीय और गम्भीर मसले पर मैं सदन का कार्य रोक कर चर्चा की मांग करता हूं ।

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को उठाने की मुझे आज आवश्यकता इसलिए हो गई कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक असेम्बली यहां चल रही है और कानपुर में एक अलग असेम्बली चल रही है । कानपुर में कर्मवीर रामराज्य भारत सोसाइटी समिति है जिसके अध्यक्ष बेनीराम यादव पुत्र श्री विशाल यादव हैं । इनके बारे में लोक सभा में भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चर्चा हुई है। तो, उन्होंने भी 18 केबिनेट और 18 राज्यमंत्री बना रखे हैं। क्या ऐसी उम्मीद की जाय कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में अलग मुख्यमंत्री बन जायेगा कानपुर में अलग सचिवालय बन जायेगा, कानपुर में अलग से व्यवस्था चले। मैं समझता हूं कि नारायन दत्त तिवारी की जगह वहां पर बेनीराय यादव वहां पर मुख्य मंत्री हों और पैरलल असेम्बली चल रही है? इससे बड़ी भयंकर घटना और क्या हो सकती है? संविधान का उल्लंघन इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लोक सभा में भी कल इस पर चर्चा हुई थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस अहम मसले में आवश्यक छानबीन कर इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय और सम्बन्धित लोगों को तुरन्त सीखचों में गिरफ्तार किया जाय।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में बैठकर हम तमाम सम्मानित सदस्य देश और प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं और उस कानून का पालन कार्यपालिका के माध्यम से होता है। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हम तमाम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों कि विकास की नीतियां और कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं, उसमें गड़बड़ियां हैं। इसलिए विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें बहुत असंतोष व्याप्त है और वह असंतोष प्रदेश की सरकार द्वारा उनमें किये गये कार्यों के वितरण से उत्पन्न है। कार्यों का वितरण योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर न कर जाति विशेष के आधार पर किया गया है। इस समय 55 सुपर टाइम स्केल में आई० ए० एस० अधिकारी हैं, जिनमें 17 विशेष जाति के हैं और उन 17 में से 14 सचिव पद पर नियुक्त हैं तथा 3 में से एक महत्वपूर्ण कारपोरेशन्स के अध्यक्ष पद पर तथा दो आयुक्त पद पर नियुक्त हैं। 38 शेष जाति के हैं, जिनमें 14 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनमें से केवल 3 को ही सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ 175 आई० ए० एस० अधिकारी हैं जो जिलाधिकारी बनने योग्य हैं। उनमें से 44 एक विशेष जाति के हैं और उन 44 में से 19 इस समय पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

लगभग एक दर्जन महिला अधिकारी हैं जिनको योग्यता और वरिष्ठता के अनुसार काम नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न है। जिस प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी, उनसे उनकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर काम नहीं लिया जायेगा तो निश्चय ही असंतोष उनमें बढ़ेगा और उस असंतोष की वजह से प्रदेश की प्रगति अवश्य ही अवरुद्ध होगी। मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को गम्भीरता से लिया जाय और तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, आलू के क्षेत्र में फर्रुखाबाद जनपद पूरे देश का पांचवां हिस्सा आलू पैदा करता है। लेकिन आलू काश्तकारों के साथ यह सरकार धोखा कर रही है। मान्यवर, खरीदारी के नाम पर कहने को इन्होंने 5 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है लेकिन वास्तव में अब तक सवा दो हजार टन खरीदा है जो प्वाइंट तीन भी नहीं है। मान्यवर, स्थिति यह है कि काश्तकार खेतों में खड़े आलू को खेतों में उसको जोत रहे हैं जिससे कि खाद बन जायं। जिससे

अगली फसल तैयार हो जाय। बिना सर्वे कराये हुए इस सरकार ने उसका जवाब दे दिया। मैं मान्यवर, चुनौती देता हूं, मेरे साथ मंत्रिपरिषद् का कोई भी सदस्य फर्रुखाबाद चले और वहां की स्थिति को देख ले। आलू खड़ा हुआ लोग वैसे ही खेतों में जोत रहे हैं। मान्यवर, ढुलाई, चुंगी और कृषि मंडी का टैक्स जो लगता है उसमें 20 रु0 खर्च आता है और 18 रु0 उसे मिलता है। मान्यवर, इस स्थिति में 5 लाख काश्तकार बेरोजगार हो रहे हैं। जहां तक खरीदारी का सवाल है इनके पास न तो बोरे ही हैं और न ही पर्याप्त मात्रा में रेलवे वेगन्स हैं ट्रक्स नहीं हैं यहां तक कि रुपया भी नहीं है। मान्यवर, जिस 24 लाख मीट्रिक टन आलू की बात की जा रही है उसकी कीमत एक अरब 20 करोड़ रुपया होती है। उसमें से अभी तक केवल 24 लाख रुपये का खरीदा गया है। अभी तक इन्होंने केवल 9 हजार मीट्रिक टन खरीदा है जो सम्पूर्ण उत्पादन का 0.2 परसेन्ट भी नहीं है और आज ये आंसू पोछने की बात कहते हैं। एक परसेन्ट लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। 2 महीने से ये काम कर रहे हैं, अब केवल 15 दिन शेष रह गये हैं। इसके पास न पैसा है और न बोरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करवा दें क्योंकि इस प्रदेश का 25 लाख कास्तकार बरबाद होने जा रहा है और शासन से यह भी आश्वासन दिलायें कि इन 15 दिनों के अन्दर इन्होंने कितना आलू खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने कार्य-स्थगन के रूप में प्रश्न उठाये। विशेष रूप से माननीय सदस्यों ने आलू व गेहूं की खरीद पर अपनी चिन्ता व्यक्त की मान्यवर, आलू के बारे में मैं बताना चाहता हूं, खास कर फर्रुखाबाद के माननीय सदस्य व राणा जी को, यह बात पहले भी कही गई थी इस सदन में और आज भी कह रहा हूं कि इस वर्ष प्रदेश में आलू का अनुमानित उत्पादन 60 लाख टन हुआ है, आलू की अधिक पैदावार हुई है। आलू, चाहे वह तमिलनाडु हो या आसाम हो, वहां पर दूसरे प्रदेश हमसे कम्पीट करने लग गये हैं, कर्नाटक का जब तमिलनाडु जाता है तो 15 रुपया प्रति टन पड़ता है और जब उत्तर प्रदेश का तमिलनाडु जाता है तो 60 रुपये प्रति टन पड़ता है। इसके बावजूद भी हम आलू खरीद रहे हैं। प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार 50-50 फीसदी हानि को बर्दास्त कर रही है। 50 रुपये प्रति कुन्टल के भाव से हम खरीद रहे हैं। 11 हजार मैट्रिक टन दोनों एजेन्सियों ने खरीदा है इसके बावजूद हमारी पी0 सी0 एफ0 को अभी तक 20 लाख रुपये की हानि आलू क्रय करने में हुई है। ये सारी कठिनाइयां हैं। जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी के सतत प्रयास से व कृषि मंत्री जी, जो कि अस्पताल में हैं, वहां बैठकर वे भी इसी को देख रहे हैं उनके प्रयास से हम बोरों की कमी नहीं होने देंगे, केन्द्र सरकार हमें वैगन्स उपलब्ध करवाएगी। लेकिन जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, वे अपनी जगह पर हैं।

मान्यवर, 1980-81 मे उत्तर प्रदेश में 44 लाख टन आलू पैदा हुआ था और अबकी बार 60 लाख टन पैदा हुआ है। सरकार आलू उत्पादन को अधिक करने में कोई कसर नहीं रखेगी। माननीय सदस्य मुझसे स्वयं मिलें, यदि उनका अपने यहां कोई तकलीफ हो तो मैं स्वयं उनके साथ जाने को तैयार हूं। जो आंकड़े आपको दिए गए हैं ये सभी पूर्ण सर्वे करने के बाद ही दिए गए हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जहां तक गेहूं का प्रश्न है, गेहूं के बारे में यह सही है कि दवाइयों के दाम भी बढ़े, खाद के दाम भी बढ़े, इन सभी चीजों के दाम बढ़ने के बाद भी हमने गेहूं के दाम गिराए नहीं, बढ़ाये ही। तीन दिन पहले ही प्रश्न आया था कि बाजार में 100 रुपए या 125 रुपए प्रति कुंतल गेहूं बिक रहा है मगर हमारी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 157 रुपए प्रति कुंतल कर दिया है। आपको तो आलोचना के बजाय सरकार को बधाई देनी चाहिए थी। यह सरकार किसानों की हितषी है। किसानों को लाभकर मूल्य देने के लिए सरकार बचन बद्ध है। हम किसानों की फसल को खेत में जलने नहीं देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, गेहूं की किसानों की समस्या का सवाल नहीं है सवाल है पूरे प्रदेश के किसानों की गाढ़ी कमायी की। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, तो सवाल बाजार का नहीं है सवाल है उत्पादन मूल्य का, लागत का। इस आधार पर विचार किया जाना चाहिए। 157 रुपए क्विंटल जो निश्चित किया गया है मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने रिकमेन्डेशन कितनी की थी और जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वह किस आधार पर किया गया है। जो प्रदेश की दो यूनिवर्सिटी हैं--एक कानपुर और दूसरी पंतनगर, उनका उत्पादन मूल्य क्या है। कम से कम मेरी जो जानकारी है, दो सौ रुपए से ऊपर की है। तो किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहिए था। वह तो दिया नहीं और जो लागत खर्चा है वह भी नहीं दिया। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी ने बयान दिया है, सभी माननीय नेताओं, सभी माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायें क्योंकि इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय हो नहीं सकता।

*श्री नारायन दत्त--

अभी करीब 20-25 कार्य स्थगन प्रस्ताव यहां पर आये और हर एक उसमें अति महत्वपूर्ण अवलम्बनीय है माननीय सदस्यों की राय में। श्रीमन आप जानते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव 301 का स्थान नहीं ले सकता लेकिन उसके बाद भी हमने सूचनायें सुन लीं, हम आभारी हैं, जो भी कार्यवाही होगी हम करेंगे। गेहूं के बारे में कहना चाहता हूं, माननीय नेता विरोधी दल इस तरफ की कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं, इधर बैठ चुके हैं 3 साल। उनको मालूम है कि गेहूं के दाम केवल किसानों के लिए ही तय नहीं होते, बाजार के लिए भी तय होते हैं क्यों कि इसी से सारे भाव निश्चित होते हैं। यह भी कि सस्ते गल्ले की दूकानों में किस भाव बेचेंगे। इसलिए गेहूं के दाम तय करते समय केन्द्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, प्राइज इन्डेक्स क्या होगा, मैं इसके बारे में सम्मानित नेता विरोधी दल को बताना चाहूंगा जब वह सहकारिता मंत्री थे, उस समय गेहूं का मूल्य क्या था--79 में 80 में 112.5 रुपये तय किया गया था.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

पहले उनकी बात तो सुन लें आप।

श्री विजय सिंह राणा--

बिजली, खाद, पानी का दाम उस समय क्या था....

(व्यवधान)

श्री नारायन दत्त --

1978-79 में गेहूं के दाम साढ़े 112 रुपए था दूसरे साल केवल 3 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई, 1979-80 में 115 रुपये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज 40-42 रुपए से ज्यादा 157 रुपये हैं । 1980-81 में केवल दो रुपये बढ़ा, 112 रुपये से बढ़ कर 3 साल में 5 रुपये बढ़ा । 1981-82 में 130 रुपये, 1982-83 में 142 रुपये....

1983-84 में .. 151 रु0

1984-85 में .. 152 रु0 और

अब 157 रु0 हैं ।

मान्यवर, 42 रु0 गेहूं की कीमत बढ़ी है । श्रीमन्, अब माननीय नेता विरोधी दल की पार्टी की सरकार थी उस समय जिन उसूलों को ध्यान में रखा गया था वही उसूल आज भी लागू हैं और इसमें पूरा किसानों का ध्यान रखा गया है ।

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने जिस तरह से लाल बाइज गेहूं के दाम बताये हैं उसी तरह से यह मान्यवर, खाद के, बिजली के, पानी के दाम भी बतायें । हम लोगों ने अपने समय में खाद के दाम भी घटाये थे । यह हर चीज की लागत के दाम बतायें जिस तरह से इन्होंने गेहूं के दाम बताये उसी तरह से हर चीज के दाम बतायें । उसके लिए आप मौन हैं । उसके लिए आप सारे देश प्रदेश की जनता को भ्रम में डाल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष --

सब सूचनायें शासन को ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं भेज रहा हूं ।

(विरोध पक्ष के लगभग सभी सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

(श्री बेनी प्रसाद श्री शत्रुघ्न प्रकाश, श्री सरदार सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी तथा कई अन्य सदन के सदस्य फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे कि किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी ।)

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी डायस पर रखी मेज पर चढ़कर नारे लगाने लगे और सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष --

मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं ।

(इस समय 1 बजकर 12 मिनट पर सदन 20 मिनट के लिए स्थगित हुआ । 1 बजकर 32 मिनट पर मार्शल को सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया गया है । 1 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, गेहूं के समर्थित मूल्य के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बयान दिया । स्पष्टीकरण उनके द्वारा ही आना था क्योंकि उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री इतना सक्षम नहीं है जो इसका उत्तर दे पाता ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि बहुत सी बातें सोच करके मूल्य रखे जाते हैं । मैं उनकी परेशानी से अवगत हूं यद्यपि वे उसको कह नहीं पाये । गेहूं के समर्थित मूल्य भारत सरकार सुनिश्चित करती है, यह वे नहीं कह पाये । लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकारों की यह परम्परा रही है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इसके अतिरिक्त और दो-तीन प्रदेशों में गत वर्षों में धान की खरीद की कीमत पर स्टेट की सरकारों ने 10

रु0 से 20 रु0 तक के मल्य बढ़ा दिए थे। क्या इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते थे ?

आज किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कि ये गेहूं के समर्थित मूल्य उनके लिए लाभकारी नहीं हैं, तो स्टेट चेकर से मूल्यों को बढ़ा कर देने की कृपा करेंगे ?

खाद तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह--)

श्रीमन्, सोच विचार के साथ ही लोकतन्त्र चलता है। लोकतन्त्र तो बहस की ही हुकूमत होती है, इसमें सोच-विचार की प्रक्रिया कभी बन्द नहीं होती है। जिस चीज को माननीय सदस्य ने उठाया है उसका उत्तर यह है कि किसानों की सरकार जब यहां बैठती है, किसान हित में जो कुछ काम करना होगा उसे हम हमेशा करते रहेंगे। मुख्य मंत्री ने जो कहा वह निर्णय के अधार पर कहा। जब तक हमारी मंत्रि परिषद कुछ निर्णय न ले कुछ कह नहीं सकते।

श्री राजेन्द्र सिंह--

निर्णय तो आपने सुना दिया कि कैबिनेट में डिसीजन होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लोगों की भावना के आधार पर आप इसमें विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री वासुदेव सिंह--

आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं और करता रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन मान्यवर, ये मूल्य तो केन्द्र सरकार ने निर्धारित किये हैं। यह हमारी भी इच्छा के अनुकूल नहीं है। इसलिये मैं समझता कि शायद इस पर मंत्रि-परिषद् में विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए आप इस पर अवश्य विचार करेंगे।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह सप्लीमेंटरी बजट तो हमें पास करना ही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह तीन महीने से ज्यादा के लिए पास नहीं होना चाहिये। मान्यवर, 5 महीने के लिए पास कराने से लगता है इनके मन में कुछ गड़बड़ है....

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम सरन जी आपको अनुपूरक अनुदान पर बोलना है लेखानुदान पर नहीं।

श्री राम सरन--

मैं समझ नहीं पाया आपने मेरा नाम पुकारा इसलिए मैं उठ गया। इस पर तो शतरुद्र प्रकाश जी बोलेंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह जो अनुपूरक अनुदान यहां पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में जो नियमितताएं बरतनी चाहिये थी, वह नहीं बर्ती गयी हैं। इसके पहले सितम्बर में ही एक अनुपूरक बजट पास कराया जा चुका है और उसके बाद दूसरा कल पेश किया गया है। 1984-85 के लिए करीब 1606 करोड़ रुपये से ज्यादा का है और कुल करीब 21 सौ 54 करोड़ रुपये के आस-पास यह बजट है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में चाह दिसम्बर में माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री ने जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था तब पहली दिसम्बर को 50 करोड़ रुपया निकाल लिया संचित निधि से और उसे आकस्मिक निधि में रख दिया और लोक सभा चुनाव के बाद 28 दिसम्बर, 1984 को करीब 150 करोड़ रुपया संचित निधि से निकाल कर आकस्मिक निधि में डाल दिया तो करीब दो सौ करोड़ रुपये का क्या हिसाब है, इसका कोई हिसाब नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई का दो सौ करोड़ रुपया अध्यादेशों के द्वारा ले लिया वह कहां खर्च किया गया इसका कोई हिसाब नहीं है।

लोक सभा चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने खर्च किया उसमें वह दो सौ करोड़ रुपया लगा प्रदेश में ही नहीं प्रदेश के बाहर भी वह बांट दिया गया। यही नहीं केवल लोक सभा चुनाव में ही सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर धन का दुरुपयोग नहीं किया बल्कि विधान सभा चुनावों में भी इस सरकार ने सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर दुरुपयोग किया जो ओवर-ड्राफ्ट करके दुरुपयोग किया गया जिसका नतीजा हुआ कि 8 फरवरी को रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार का कोई चेक भुगतान करने से इनकार कर दिया। जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जो उस समय भी मुख्य मंत्री थ चुनाव दौरे में निकल रहे थे तो उस समय रिजर्व बैंक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के चेक का भुगतान नहीं किया जायेगा। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की अंदरूनी गुटबाजी से हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और श्री नारायण दत्त तिवारी जो उस समय भी मुख्य मंत्री थे उनके बीच गुटबाजी का यह नतीजा था इससे सूबे का जो भला होना चाहिये था वह नहीं हो पाया और 350 करोड़ रुपया केवल चुनाव में अपने लोगों पर खर्च कर दिया गया। मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ना मिलों का 23 करोड़ रुपया कर का माफ कर दिया गया। निजी मिलों को 12 करोड़ रुपया कर्जा दे दिया गया, जितनी मिलों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने और पैसा देने का वायदा किया केवल उन मिलों को 12 करोड़ रुपये का कर्ज दे दिया गया। एक योजना बनायी गयी, तुम्हारा रुपया तुमको वापस। तो इस योजना के द्वारा क्षेत्रीय समितियों को 32 करोड़ दिया। आज प्रदेश में बिजली की हालत बहुत खराब है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री ने विधान सभा के चुनाव पर एलान किया कि 121 करोड़ रुपया दिया जायगा विद्युत् परिषद् को और परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिये 10 करोड़ रुपया सब्सीडी दे दिया और बुनकरों के लिये 6 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया, बाल कल्याण कोष के लिये 5 करोड़ रुपये देने का वायदा किया, इस तरह कुल 350 करोड़ रुपये विधान सभा के चुनाव पर बांट दिया गया, यह पैसा कहां बांटा गया, किस को दिया गया। मैं तो समझता हूं कि विधान सभा के चुनाव में अपने समर्थकों को जो वोट देने वाले रहे हैं, उनको पैसा देने का वायदा किया गया और 350 करोड़ रुपया बांट दिया गया। जब कि उसके पहले 200 करोड़ रुपया ले चुके थे, इस प्रकार 550 रुपया करोड़ तीन महीनों में बांट दिया। वह रुपया कहां गया, इसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद 1,606 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान लिया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई का इससे बड़ा कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है और सरकारी खजाने से पैसा निकालकर राजनैतिक लाभ के लिये इस्तेमाल किया गया है। इसलिये आने वाले दिनों में कोई समझदार आदमी इस पर विचार करेगा तो साफ तौर पर नतीजा निकलेगा कि श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने 550 करोड़

रुपया केवल राजनैतिक लाभ के लिये इस्तेमाल किया गया है ।

मान्यवर, जो ओवर ड्राफ्ट का सिलसिला चल रहा है, हालत है कि 120 करोड़ रुपया वेतन बिलों का बाकी है, उसको कैसे यह दे पायेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है । मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गैरमर्यादित बात कोई नहीं हो सकती है । अनुपूरक बजट जो सितम्बर में पेश किया गया, उसके बाद फरवरी तक 1,606 करोड़ रुपया अनुपूरक अनुदान में पेश कर दिया गया जब कि वर्ष में व्यवस्था है कि मुख्य बजट पेश किया जायेगा यह नहीं कर पाये और 5 महीने का लेखानुदान ले रहे हैं, तो 12 में से 5 महीने यों ही निकल जायेंगे । यह सरकार इतनी बड़ी अनियमितता कर रही है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार कम से कम वित्त के मामले में जो संसदीय परम्परायें हैं उनका पालन करती रहेगी लेकिन मैं देख रहा हूं कि अनुपूरक बजट पर भी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी सामने दिखाई पड़ रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव के मौके पर ऐसी कौन सी बात थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी चेक थे इनको रिजर्व बैंक ने भुगतान करने से मना कर दिया जब कि विधान सभा के चुनाव हो रहे थे । इसका मतलब साफ है कि श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने मनमाने ढंग से पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था और कहा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपये क्यों लिया गया ।

मान्यवर, वर्षा में बाढ़ आती है, गर्मियों में सूखा पड़ता है लेकिन दिसम्बर के महीने में क्या प्राकृतिक आपदा आ गयी थी कि 200 करोड़ रुपये संचित निधि से निकालकर आकस्मिक निधि में डाला गया । मैं समझता हूं कि 550 करोड़ रुपये अपने प्रदेश की इनकी सरकार ने खराब कर दिया । इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी बजट में सामने आ रही है जिससे मैं समझता हूं कि यह सरकार भी नहीं चल पायेगी क्योंकि यह सरकार दिवालिया हो चुकी है और केन्द्र सरकार से सहायता मांग रहे हैं चूंकि यह आत्म-निर्भर नहीं रह गये हैं । यह सरकार केन्द्र सरकार की दया की पात्र रह गयी है । यदि दया करेगी तो यहां के कर्मचारियों को वेतन दिया जायेगा, केन्द्र सरकार दया करेगी तो यहां ताप घर खोले जायेंगे और दया नहीं करेगी तो यहां कोई योजना नहीं चालू हो सकेगी। मान्यवर, मैं आवास विकास परिषद् और प्राधिकरणों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह विदेशी पैसों पर चल रहे हैं, हडको और विश्व बैंक पैसा न दे तो यह दोनों संस्थायें एक दिन भी न चल सकेंगी और कर्मचारियों को वेतन देने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है । लेकिन जो मकान बनाने की योजनायें हैं यह सारी की सारी योजनायें विदेशी शर्तों पर विश्व बैंक की शर्तों पर और हडको की शर्तों पर चलाई जा रही हैं।

जल निगम की भी जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं करोड़ों रुपयों की योजनाएं वे भी डच सहायता के माध्यम से विश्व बैंक और हडको के माध्यम से, उनके धन और उनकी शर्तों से चलाई जा रही हैं । यह स्वावलम्बी सरकार नहीं है, जनता के पैसे की इज्जत करने वाली सरकार नहीं है । जनता के पैसे से जो राजस्व आता है उसको यह इज्जत की दृष्टि से नहीं देखती है बल्कि हडको विश्व बैंक और डच गवर्नमेंट की सहायता से जो धन आता है या फिर यह केन्द्र सरकार अपनी शर्तों पर दिया करती है, उसके भरोसे यह सरकार चल रही है और यह सरकार अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रह गई है । मैं समझता हूं कि जो सरकार अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती है पैसों के

मामलों पर दूसरों पर निर्भर करती है, वह सरकार बुनियादी तौर पर सूबे की समस्याओं को हल ही नहीं कर सकती है। क्योंकि अब इनको अगर बिजली की समस्या को सुलझाना होगा, शिक्षा नीति से आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा या फिर बड़े या छोटे उद्योग लगाने होंगे तो दिल्ली की सरकार का मुंह ताकना होगा। यदि दिल्ली की सरकार ने दया न की होती तो इनके एक चेक का भी भुगतान न हुआ होता। चूंकि यह सरकार अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रह गई है, इसलिए यह किसी भी जनतान्त्रिक आदमी की सरकार नहीं हो सकती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में माननीय सतरुद्र प्रकाश जी ने काफी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उसी सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि लोकसभा और विधान-सभाओं के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जिस प्रकार धन की बर्बादी की है, उसकी कोई इन्तहा नहीं है। झूठी घोषणाओं के द्वारा मंत्रियों के अच्छे-अच्छे प्रोग्राम रखकर जिस तरह फिजूलखर्ची पर पैसा खर्च किया गया है, उसके चलते आज इनको अनुपूरक बजट पेश करना पड़ा है। यह जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को, खून पसीने की कमाई का बहुत बुरी तरह से बहा रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से इनका कोई ध्यान नहीं जाता है।

इस संबंध में मैं स्वरोजगार योजना का उदाहरण देना चाहता हूं, उस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों द्वारा धन की बेईमानी की गई है। मैंने अपने क्षेत्र के दो-ढ़ाई सौ लोगों के नाम दिये हैं। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो मतदाता सूची में नहीं हैं अब दुनियां में जिन्दा नहीं हैं, मर चुके हैं, जिनका कहीं नामोनिशान नहीं है, उनको आपने स्व रोजगार योजना के अन्दर ऋण दिया है। यह हाल हमारे क्षेत्र फिरोजाबाद में हुआ है और जब मैंने इसके बारे में बैंक से जानकारी की तो मालूम हुआ और मैंने उसके लिए मांग उठाई थी, वहां के तत्कालीन इंका विधायक ने एक नौजवान के नाम पर 25 हजार रुपया उस योजना में ले लिया और फोटो दूसरे का लगा दिया और उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी। बाद में जिसके नाम से प्रनर्थना-पत्र था उसके पास वसूली होने के लिए गया तो मालूम हुआ कि नाम और है, फोटो किसी दूसरे का लगा है और रुपया कोई तीसरा ले गया है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्व रोजगार योजना में इस सरकार ने जिसमें हमारे प्रोफेसर साहब भी हैं अपने इंका के उन लोगों को जो बेरोजगार होकर दलाली करके अपना घर बनाना चाहते हैं को धंधा देने का कार्य किया गया है। यह मेरा सरकार पर खुला आरोप है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आपके सरकार में हिम्मत हो नैतिकता हो तो मैंने जो फिरोजाबाद के संबंध में प्रश्न उठाया है उसकी जांच करें कि फर्जी नाम की तस्दीक किस विधायक ने की थी। यदि यह साबित हो जाय कि फर्जी ढंग से पैसा लिया गया तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हुकूमत को इस शर्मनाक कांड के लिये इस्तीफा दे देना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतः रोजगार योजना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी जरूरत मंद व्यक्ति को पैसा नहीं दिया गया। जिसको पैसा मिलना चाहिये उसको पैसा नहीं मिला है। इसकी जांच करानी चाहिये। आपने पीने के पानी के लिए जल निगम के संबंध मे धनराशि की मांग की है। मैं माननीय सदस्यो का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में जाकर देख लें कि कितने हैंड पाइप लगे हैं। जो हैंड पाइप लगे हैं उसमें से 80 प्रतिशत जिस दिन बने हैं उस दिन से बंद पड़े हैं। उनको दोबारा चालू करवा कर ठीक करने के संबंध में आपकी योजना के अन्तर्गत

कोई प्रावधान नहीं है। जिला आगरा और फिरोजाबाद में लगभग 80 सैकड़ा हैंड पाइप जो बनाये गये थे उनमें से वह बेकार पड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जिस जल निगम ने 10 हजार रुपये 15 हजार रुपये में एक हैंड पाइप लगाने की योजना बनाई है तो अगर एक गांव में 10 हजार रुपये से एक कुंआ बनाया जाता तो कम से बाल्टी और रस्सा लेकर पानी तो पी सकते थे। लेकिन हैंड पाइप में 16 हजार रुपये लगाकर उसके रख-रखाव और देखभाल के लिए एक पैसा भी स्वीकृत न करके आपने कौन सी विभूति दी है जिसकी क्रांतिकारिता और उपयोगिता का आप बखान करना चाहते हैं और जल निगम के खाते में आप पैसा चाहते हैं। मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि जल निगम की ओर से जो हैंड पम्प उत्तर प्रदेश भर में लगे हैं उसकी जांच एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बैठकर करवायें और जो दोषी हों उनको दंडित करें। अगर आप में हिम्मत है तो जरूर इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी एक बार इटावा में उद्घाटन करने गये थे। वहां पर एक भी अधिकारी उनके स्वागत में और उद्घाटन में कमी और बसूली पकड़वाने वाला मौजूद नहीं था। मुख्य मन्त्री को गुस्सा आया और वह हेलीकाप्टर से वापस चले आये। उस उद्घाटन के बाद उस पुल का क्या होगा, उस सड़क का क्या होगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे जनपद में किसी भी जगह पर आप चले जायें। पिछले 5 साल के दौरान किसी सड़क पर मिट्टी और गिट्टी नहीं पड़ी है लेकिन आपके ग्रामीण अभियंत्रण संस्था ने पी0 डब्लू0 डी0 ने फर्जी आंकड़े बनाकर सड़क की लम्बाई नाप कर दे दी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से फिरोजाबाद और आगरा में देखा है वहां सड़कों की बहुत बुरी हालत है। उन लोगों ने कहा है कि हमारे पास धन नहीं है जिस धन को निकालकर हम सड़क में लगा सकें। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो हालत उत्तर प्रदेश की हो गयी है। दिवालियापन पर आपने प्रदेश को खड़ा कर दिया है, ओवर ड्राफ्ट लेकर जो घाटे की अर्थ व्यवस्था आपने पैदा कर दी है। तो आप सक्षम नहीं हैं कि आपको इस सदन के अंदर एक पाई भी दी जाय।

आपकी फिजूलखर्ची ने प्रदेश को बरबाद कर दिया है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस सरकार को एक पाई का भी बजट अनुदान न दिया जाय। मैं माननीय प्रोफेसर साहब से कहना चाहता हूं कि आप अपने अन्तर्गत खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अन्तर्गत जितनी भी दूकानें उत्तर प्रदेश में चलती हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जो इसके अध्यक्ष हैं बाल्टी बाबा जिनके नाम पर सारे उत्तर प्रदेश में हंगामा खड़ा हुआ है, वहां पर कितना भ्रष्टाचार है। सरकारी कर्मचारी दूकानों के मालिक बन गये हैं और निगम बर बर घाटे में चल रहा है। दूकानों में कपड़ा आया और आने के बाद उसमें कागजों पर आग लगा दी जाती है और झूठी रिपोर्ट लिखवा दी जाती है और इस तरह से दूकानों को खत्म करने का काम किया जाता है। जो सस्ता कपड़ा गरीब लोगों के लिए आता है जो अनाज, चावल, मिट्टी का तेल और पाम आयल आता है। वह ब्लैक में बिक जाता है। आप इसको रोकने के लिए सक्षम नहीं हैं और इस निगम के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के रहते हुए एक पाई भी देना हमारे माननीय सदस्य अब स्वीकार नहीं करेंगे।

मान्यवर, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में परिवहन निगम चल रहा है, जिस खस्ता हालत में बसों में बैठने के लिए जो स्थान है, वह ऐसा है, जिसमें लोग बैठ नहीं सकते, छत चू रही है, शीशे टूटे हुए हैं, हवा जोर मार रही है,

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता कुंवर रेवती रमण सिंह पीठासीन हुए ।)

लोग सिकुड़-सिकुड़ करके बैठे हैं और जो अनुबन्धित बसें आपने ली हैं, वह मुनाफे से चल रही हैं और अच्छी हालत में हैं । ये दो रुपये बीस पैसे प्रति किलो मीटर निगम को पैसा देते हैं और निगम इन्हें दो रुपये देता है, तब भी अनुबन्धित बस वाले लोग मुनाफे में जाते हैं और आपकी बसें घाटा देती हैं । ऐसी सूरत में आपको पैसा देना उपयुक्त नहीं है । अनुबन्धित बसों को जब बिल का भुगतान करते हैं, उस पर उसे रिश्वत देनी पड़ती है । उस रिश्वत के बाद भी वह मुनाफे से जाते हैं । आप कहीं रिश्वत नहीं देते, तब भी आप घाटे में जाते हैं । इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार ।

कहीं पर स्टेशनों पर बैठने के लिए जगह नहीं है और न कहीं पर शौचालय और स्नानागार हैं । पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है । आपको सवारियों की सुख-सुविधा का कोई ध्यान नहीं है और जब बस सवारियां चलती हैं, तो चारों तरफ से हवा और पानी आता है । सवारियां सिकुड़-सिकुड़ कर बैठती हैं । तो यह परिवहन निगम की यह खस्ता हालत है । उसके लिए आप फिर से अनुदान मांग कर प्रदेश के पैसे को घाटे में डालेंगे और रुपये का दुरुपयोग करेंगे । इसलिए यह जो आपका अनुपूरक अनुदान आया है, इसे पास नहीं किया जाना चाहिए । आपने चुनाव के दौरान कुछ वायदे किये थे, लेकिन उन वायदों की तरफ एक मिनट भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है । आप उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार के कगार में भेजने के लिए उतावले बैठे हैं । जो आजकल सबसे महत्वपूर्ण मसला है, उत्तर प्रदेश में आलू किसानों का उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादन करने वालों का, आज आलू किसान अपनी आलू शीतगृहों के बाहर ट्रैक्टर, ट्राली, खड़खड़ियां, बुग्गी आदि में लिए बाहर खड़ा है । शीतगृहों की एक यूनियन है, वे लोग किसानों का शोषण करते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो इस मद में अनुदान मांगा है, किसानों की बुरी हालत को देखते हुए, क्योंकि आपकी नियम साफ नहीं है और किसानों को राहत देने वाली नहीं है, इसलिए यह अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए । अगर हमारे उत्तर प्रदेश का हिसाब लगाया जाय, तो आपने 24 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की घोषणा की है । अभी तक जो आपने खरीद इन दो महीने में किया है, वह 20 हजार मीट्रिक टन मात्र हो पाया है, जिसका प्रतिशत 3 आता है । तो आप फिर यह पूरी खरीद कैसे कर पायेंगे, जिसमें आपकी चाल इतनी धीमी है ? आपने जो आलू काश्तकारों का खरीद मूल्य घोषित किया है, उस मूल्य पर आलू खरीदने की आपकी नियत नहीं है ।

आप उत्तर प्रदेश के आलू के किसानों को बरबाद करना चाहते हैं और झूंठी घोषणा करके किसान हितैषी बनना चाहते हैं । आपकी नियत पर हमको काफी शक और संदेह है । उत्तर प्रदेश के किसान को आप उचित एवम् मुनाफे का मूल्य देना नहीं चाहते हैं । मैं आपके सामने प्रोफेसर वासुदेव सिंह साहब से निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए कि आप खाद्य मंत्री हैं । एक किलो गेहूं पैदा करने में आपका जो कृषि विभाग है, उसका आंकड़ा है एक किलो गेहूं पैदा करने में 2 रु0 35 पै0 खर्च करना पड़ता है और आपके भारत सरकार के कृषि मूल्य आयोग ने प्रति किलो खरीद मूल्य तय किया है 1 रु0 57 पैसे । यह शर्म की बात है । कल कारखाने की पैदावार की व्यवस्था मुनाफे की है और खेती की व्यवस्था घाटे और टोटे की बना दी है । इन दो अर्थ-व्यवस्थाओं के रहते किसान कैसे जिन्दा रह सकता है । उसकी आमदनी घाटे की और कल कारखाने की मुनाफे की, इन दो अर्थ-नीतियों के

रहते आप उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जन-जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं। इन दोनों के रहते हुए हम आपको कैसे समर्थन दें। उत्तर प्रदेश के किसान की हालत को सुधारने में आप अक्षम हैं। कम से कम खाद्य मंत्रालय को, जिसको आपने सम्भाला है, उत्तर प्रदेश में डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में रह कर आपने जो दीक्षा ली है, और सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलनों में आपने इस दोहरी मूल्य नीति का विरोध किया। उन सिद्धान्तों और आस्थाओं के तहत आप ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लें कि किसान की पैदावार की कीमत मुनाफे से जुड़े और अब वह घाटे की अर्थनीति से छुटकारा पावे आप इस नीति को चलायें, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत सुधरेगी और आपके मंत्रि परिषद् की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, आज जो परिस्थितियां इस मुल्क में पैदा हो गयी हैं, उनमें आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में हिन्दुस्तान के किसानों को मुनाफे की कीमत से जोड़ने के लिए यह विचार करेंगे। प्रोफेसर साहब आप खाद्य मंत्री हैं और मुझे आप पर गर्व है कि आप उत्तर प्रदेश के किसानों के हित के लिए कार्य करेंगे। आपसे किसानों को बहुत सी अपेक्षायें हैं। क्योंकि आप किसान के पुत्र हैं। आप किसानों को घाटे की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठाकर मुनाफे की अर्थव्यवस्था देंगे। आप इस संशोधन को भेजकर, हिन्दुस्तान के किसानों को गेहूं की कीमत मुनाफे में दिलाने की कृपा करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से, कि आज की हालत में हम आप अनुदान देना उचित नहीं समझते। क्योंकि आप किसानों का हित नहीं करना चाहते हैं। आज सारे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में और समूचे प्रदेश में जो हालात पैदा हो रहे हैं उन हालातों को देखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसानों के हित के लिए विचार करें। श्री राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि उत्पादन लागत में और बिक्री की लागत में एक आने और डेढ़ आने से अधिक का फर्क नहीं आना चाहिए। उस नीति को आपने अपने भाषण में भी कहा था। आज यहां बैठकर आप उस नीति पर अमल न करें तो आप पुराने सिद्धान्तों के साथ, पुरानी नीतियों के साथ विश्वासघात करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के बजट में जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया है, उसमें आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनपूरक बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस पर मैं आपत्ति प्रस्तुत करता हूं। और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज माननीय वित्त मंत्री जी, जिन्होंने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है उनको यहां रहना चाहिए था। विशेषकर इस मौके पर, इस परिस्थिति में जबकि वह उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई, साढ़े 21 अरब रुपया वह ले जा रहे हैं और उस पर हमारी और माननीय सदन की स्वीकृति चाहते हैं, तो उनको सुनना चाहिए था। साढ़े 21 अरब रुपया कहां खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, इससे पहले माननीय सदन से वह साढ़े पांच अरब रुपये की स्वीकृति ले चुके हैं। जो पुस्तिका हमारे सामने रखी है उसमें विवरण दिया है। उसे देखने से मालूम होता है कि जितने धन का दुरुपयोग यह कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। मान्यवर, यह पहला मौका है जब साढ़े 21 अरब का अनुपूरक अनुदान वित्त मंत्री जी ले रहे हैं। मैंने इसको सरसरी नजर से देखा तो मुझे यह मालूम हुआ

कि यह कुछ ऐसी मदों में खर्च किया गया है जिसको फिजूल खर्ची कह लीजिए बदमाशी कह लीजिए, अय्याशी कह लीजिए, इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है ।

मान्यवर, कोई नहीं चाहता था, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रदेश में लूट-पाट की घटना हुई और जो लोग प्रभावित हुए उनको ढ़ाई करोड़ धनराशि दी गई, सहायता की गई यह अच्छी बात है । माननीय स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो जो उत्पीड़ित हुये उनकी सहायता होनी चाहिये, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मऊनाथ भंजन में जो अल्प संख्यकों के साथ उत्पीड़न हुआ और जो लोग उसमें उत्पीड़ित हुये, उनकी इस तरह की कोई सहायता नहीं की गई । यह दोहरा मापदन्ड क्यों अपनाया गया । यहीं पर रहने वाले लोगों को जो उत्पीड़ित होते हैं, क्षति-ग्रस्त होते हैं, उनको एक पैसा का अनुदान न दिया जाय और यहीं पर रहने वाले दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनुदान दी जाय ; यह दोहरा मापदन्ड क्यों ?

मऊनाथ भंजन के लोगों के लिये एक पैसा की व्यवस्था नहीं की गयी । जिन लोगों के लिये व्यवस्था की गयी है, अच्छा किया गया है । जिन लोगों के लिये नहीं किया गया है उनके लिये भी किया जाना चाहिये । इस दोहरे माप दन्ड का मैं विरोध करता हूं । इसके अलावा हमने देखा प्रदर्शनी के नाम पर करोड़ों रुपया, रामायण मेला के नाम पर करोड़ों रुपया, अमेठी के विकास के लिये अरबों रुपया, सुलतानपुर के विकास के लिये अरबों रुपया ऊसर सुधार के नाम ऐसी मदों पर यह पैसा खर्च किया गया है जिस पर हमारे सदन को एक पैसा की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये यह अनुपूरक अनुदान ऐसी परिस्थिति में किये जाते हैं जो योजनायें चल रही हैं, उनका खर्च बढ़ जाय या ऐसे काम हमारे सामने आ जाय जो वार्षिक आयव्ययक में, जिनकी व्यवस्था न हो । योजनाओं की बढ़ोत्तरी के लिये अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किये जाते हैं । यह सारी धनराशि उस मद में खर्च हुई है, जो अनुत्पादक है जिनसे कुछ रिटर्न नहीं होना है । इससे देश और प्रदेश की आर्थिक विकास की कोई प्रगति नहीं होना है ।

मान्यवर, पैसा खर्च किया गया है वी0 आई0 पी0 हेलीपैड बनाने पर, हेलीकाप्टर खरीदने पर । मान्यवर, आप इस किताब को देखें जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हेलीपैड और हेलीकैप्टर खरीदने पर खर्च किया गया है । उसके कलपुरजे खरीदने पर किया गया है । मन्त्रियों के साजसज्जा, ताम-झाम पर खर्च किया गया है । मन्त्रियों की सुखसुविधा के नाम पर खर्च किया गया है । मान्यवर, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है । साढ़े 21 करोड़ का अनुपूरक अनुदान हमारे जो वित्त मंत्री वित्त के विज्ञ हैं अनुभवी हैं और हमारे मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री दोनों हैं, ऐसे मन्त्री से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि साढ़े 21 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश की जनता की खूनपसीने की कमाई का दुरुपयोग करेंगे । न तो उत्तर प्रदेश की जनता यह उम्मीद करती थी न सदन के माननीय सदस्य करते थे । मैं जो निगम घाटे में चल रहे हैं उनका जिक्र नहीं करूंगा । लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि जो रुपया खर्च किया गया है, उसमें एक पैसे की स्वीकृति सदन को नहीं देनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी आपत्ति व्यक्त करता हूं और सदन से चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान में एक पैसे की स्वीकृति न दी जाय ।

श्री समर पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुपूरक अनुदानों

की मांगों का समर्थन करता हूं। यह बजट एक संशोधित प्रक्रिया है जब वर्ष समाप्त होने को होता है तो फरबदल होता है और यह अनुपूरक मांगों के जरिये से सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है और स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यह कोई नई बात नहीं है चाहे वह कोई सरकार का मामला हो किसी संस्था का है किसी निगम का हो सभी जगह यह होता है। क्योंकि कोई भी इतना विद्वान इतना दूरदर्शी नहीं हो सकता जहां करोड़ों रुपये और अरबों रुपये के आंकड़े हैं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। बजट अनुमान से बनाये जाते हैं इसलिए मान्यवर, यह अनुपूरक मांग इतने बड़े बजट के सामने कुछ नहीं है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि किस तरह से इतने रुपये खर्च किये गये हैं मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य उसको पढ़ने की चेष्टा करते तो समझ में आ जाता। पहले तो एक ही जगह दिया हुआ है फिर विस्तार से हर विभाग का अलग-अलग दिया हुआ है। इसमें से एक रुपया भी बिना किसी कारण के खजाने से नहीं निकाला जा सकता है तो कैसे उसका इलेक्शन में या किसी दूसरे मद में उपयोग किया गया है। मुख्य मन्त्री ने जो घोषणा की थी वह सब सार्वजनिक हित में थी। माननीय विरोधी सदस्य अभी ऐसा व्यवहार कर रहे थे, जैसे वह ही सार्वजनिक हित के रक्षक हों, बाकी सदस्य कुछ भी नहीं हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह सरकार किसी भी क्षण अपने इस दायित्व से उऋण नहीं हो सकती जैसा कि उसने जनता के सामने वादे किये थे जो रुपया किसानों के लिए वापिस किया गया। उसे तो मैं समझता हूं अधिष्ठाता महोदय स्वयं और हमारे माननीय सभी सदस्य जानते होंगे कि उस रुपये का कितनी जल्दी उपयोग किया गया और प्रत्येक गांव में वह रुपया बांट दिया गया था और जिनसे सम्पर्क मार्ग बना दिये गये।

यह जो इतनी बड़ी पुस्तक आपके सामने प्रेषित की गयी है इसमें कृषि के सम्बन्ध में सारी की सारी बातें दिखाई गयी हैं। एक मोटी सी बात बता देना चाहता हूं गन्ने का मूल्य किसानों को फैक्टरियों ने पिछले वर्ष समय से पेमेन्ट नहीं किया था। इस सरकार ने वह रुपया कर्ज देकर किसानों को दिलवा दिया था। यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि किसानों की कितनी रक्षा करती है यह सरकार। अगर मूल्यों की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि मूल्य की नीति न होती तो हमारे व्यापारी वर्ग के जो सदस्य हैं तो वह 150 की जगह 130 रु0 में गेहूं खरीदते। कुछ ने ऐसा भी किया है कि 130-135 रु0 में गेहूं खरीदते रहे और किसानों के नाम से वही गेहूं परचेसिंग सेन्टर पर सप्लाई कर दिया है जो पकड़ भी गये हैं। हमारा सतर्कता विभाग इस बात में बड़ा सतर्क था हमारे क्षेत्र में 10-12 ऐसे आदमी पकड़े गये थे जिन्होंने सस्ता गल्ला खरीद लिया है था और बाद में सेन्टर में सप्लाई किया था। सरकार ने जो करना चाहिए था वह करती रही है। इन शब्दों के साथ में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि सदन इनको बिना बहस के स्वीकार कर ले।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, जो अनुपूरक बजट की स्वीकृति के लिये माननीय मन्त्री जी ने मांग रखी है, उसके संदर्भ में और पिछले बजट के संदर्भ में देखने से मान्यवर, ऐसी आशंका महसूस होती है कि जिस तरह से पिछले बजट का बहुत से मुद्दों में दुरुपयोग किया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, उसी तरह से इस बजट का भी दुरुपयोग हो सकता है। मान्यवर, इस पुस्तिका को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी कुछ मदें थीं जिनमें एहतियात बरतने से इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया बचाया जा सकता था, लेकिन उन मदों पर रुपया खर्च करके विकास की योजनाओं को नुकसान पहुंचाया गया है। मान्यवर, हमें खुशी इस बात की होती कि समाजवाद का नारा देने वाली यह लोकप्रिय सरकार कुछ ऐसी मदों के लिये धन सुरक्षित करती, जिससे इस प्रदेश के करोड़ों बेरोजगारों के लिये कुछ आशा मान्यवर, बंधती। मान्यवर, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और यहां के शिक्षित युवकों में निराशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है और बहुत से ऐसे शिक्षित युवक, जिनके पास कोई साधन का जरिया नहीं है, मान्यवर, कानून और व्यवस्था तोड़कर अपराधी जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं। मैं चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि इस बजट के तहत अगर सरकार बेरोजगारों के लिये बेरोजगारी का भत्ता देने का प्राविधान करती, तो ठीक रहता। लेकिन, ऐसा कोई प्राविधान न करके ऐसे मुद्दों पर रुपया खर्च किया जायगा, जिसका जन-जीवन से बहुत अधिक ताल्लुक नहीं होगा। मान्यवर, एक तरफ तमाम मदों में पिछले बजट में दुरुपयोग किया गया था और इस बजट का भी मान्यवर, बहुत सी मदों में दुरुपयोग किया जायगा।

इसी समय मान्यवर, मैं शासन का ध्यान इस प्रदेश के किसानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय बैंक कर्जों के बकाया वसूली पूरे प्रदेश में जोर जबर्दस्ती से की जा रही है। काश्तकारों को पकड़ कर, हरिजनों और अल्पसंख्यकों को पकड़ कर तहसील की हवालात में बन्द किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे दमनकारी रवैया को बन्द करने के आदेश तुरन्त भेजें और जो बकायेदार पूरा पैसा एक साथ देने में असमर्थ हैं, उनको किस्तों में वसूली का प्राविधान करें। मान्यवर, जल निगम को जल आपूर्ति की योजनाओं के लिये करोड़ों रुपया दिया गया है, लेकिन मान्यवर, बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि विद्युत फेल होने से बांदा में ही नहीं पूरे प्रदेश में इतना भयंकर जल संकट, बांदा शहर में उत्पन्न हुआ है कि जिससे मान्यवर 3-3, 4-4 रुपये बाल्टी पानी मिल पाता है। एक तरफ जब-जब आपूर्ति योजनाओं के लिये अरबों करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, उस समय भी यह विभाग जनता को पानी नहीं दे सकता है। मैं शहर की बात कर रहा हूं गांवों की बात करना तो निरर्थक है।

मान्यवर, इसी प्रकार हमारे जनपद में सिंचाई की समस्या है जिसके बारे में कल भी मैंने ध्यान में लाने की कोशिश की थी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय। हमारे यहां मान्यवर, समपरा पम्प कैनाल है, जिसके न चलने से हमारी गेहूं और चावल की फसल नष्ट हो रही है। बिजली न आने के कारण नहरें नहीं चल पा रही हैं और हाथ में ली गयी सिंचाई की योजनाएं नहीं लागू हो पा रही हैं और किसान की गाढ़ी कमाई की फसल नष्ट हो रही है। इसी प्रकार तमाम विभागों में मान्यवर, बहुत से फर्जी काम कराए जा रहे हैं। मान्यवर, काम होता नहीं है, फर्जी व्यापारी पेश करके धन का दुरुपयोग करते हैं। उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसी तरह से आर० ई० एस० की सड़कों की स्थिति है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में हजारों कि० मी० सड़कों मार्गों का निर्माण हुआ था, लेकिन उन सम्पर्क मार्गों के बनने के पश्चात् उनके रखरखाव का या उन पर चलने वाले वाहनों की कमी की ओर ध्यान नहीं

दिया गया, जिससे वह सड़कें ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि उन पर आवागमन और भी अवरुद्ध हो गया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सारे प्रदेश के अन्दर योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का सर्वेक्षण होना चाहिये । और जिन सड़कों को पक्का कराने की आवश्यकता हो या जहां पर पुलियों की आवश्यकता हो, वहां उस हिसाब से तुरन्त ही कार्य प्रारम्भ करा देना चाहिये ।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों में जितना-जितना जो बजट विभाग को दिया जाता है, उसका सही इस्तेमाल न होने से भी प्रदेश की विकास की गति अवरुद्ध होती है । पी0 डब्लू0 डी0 में जो धनराशि जिस काम के लिये दी जाती है, उसका दुरुपयोग किया जाता है और, बहुत सी धनराशि तो बिना उपयोग के ही वापस कर दी जाती है । मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं चाहे तो पिछले अभिलेखों को ही देख लें, ऐसे बहुत से विभाग हैं, जिनका बजट विकास के लिये निर्धारित किया जाता है, ग्रामीण योजनाओं के लिये निर्धारित किया जाता है, वे उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं करते हैं और धनराशि अन्त में सरेंडर करते हैं । मान्यवर, इस स्थिति से समस्त जनपदों का विकास अवरुद्ध सा हो जाता है । मान्यवर, मुख्यमन्त्री जी सदन में आ गये हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । कल भी मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद से जुड़े एक अहम मसले की ओर आकृष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसे गौर से सुना नहीं था । माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आज कृपया मेरी बात पर तवज्जो देने का कष्ट करें । मान्यवर, हमारे जनपद में केन नहर सिस्टम मध्य प्रदेश से विवाद के कारण बहुत गम्भीर स्थिति में पहुंच गया है । हमारे यहां की 90 प्रतिशत सिंचाई केन नहर से होती है । मध्य प्रदेश से यह विवाद सन् 1977 के चल रहा है, जिस कारण हमको पूरा पानी नहीं मिल पा रही है । सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इसको प्राथमिकता के आधार पर हल कराने की कोशिश की जाय, नहीं तो हमारा जनपद बिल्कुल रेगिस्तान में बदल जायेगा ।

अन्त अपनी बात समाप्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह मांगे सदन को पेश की गयी हैं, उनका पूरा-पूरा सदुपयोग किया जाना चाहिये ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, यह जो अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारे भारत के संविधान में व्यवस्था है कि अनुपूरक बजट में उन मुद्दों को शामिल किया जाता है, जिनका आकलन जब मूल बजट बन जाता है, उस समय नहीं किया जा सकता है । इसलिये वर्ष के बीच से आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर उसको देख लिया जाता है । परन्तु, जो पूरा पोथा मिला है, उसको देखा जाय तो केवल एक पांच प्रतिशत ऐसा खर्चा जरूर है, जिसके बारे में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह वह खर्चा है, जिसका आंकलन पहले से नहीं लिया जा सकता था । जैसे बार-बार स्वर्गीया प्रधानमन्त्री जी यह घोषणा करती रहीं लोकसभा के चुनाव समय पर किये जायेंगे । लेकिन, लोक सभा के चुनाव पहले करा दिये गये, तो उसके खर्च का आंकलन नहीं हो सकता था, उसके खर्चे के बारे में प्राविधान इसमें हो जाये, तो बात समझ में आती थी । इसके अलावा, जितने भी खर्चे दिखाये गये हैं, कुछ खर्चे तो ऐसे दिखाये गये हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी । हेलीकाप्टर की मरम्मत है, विदेश से उसके लिये पुर्जे मंगाने हैं, इसकी क्या जरूरत थी । आपका यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशाल बहुमत, इसके आधार पर कोई बात पास करा लें, यह बात अलग है, लेकिन जो हमारे संविधान में वित्तीय आवश्यकता की बात कही गयी है, उसका पूरा-पूरा दुर्लक्ष्य होगा।

क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की बात कही जाती है, लेकिन मान्यवर, जो कार्यकलाप हैं, उनके आधार पर क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगी ही। मैं जो उदाहरण देना चाहता हूं वह इस बात का प्रतीक है कि विकास आवश्यकताओं के बारे में स्थानों का चयन नहीं हुआ है, बल्कि आवश्यकता का निर्धारण इस आधार पर होता है कि वहां का प्रतिनिधि कौन है। मान्यवर, जो जनतंत्र की भावना के खिलाफ है विधान सभा के चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल द्वारा यह बात कही गई थी कि चूंकि आप लोगों ने केन्द्र में सरकार बनायी है इसलिये प्रदेश में भी बनाओ, अगर प्रदेश का विकास चाहते हो। मान्यवर, यह जो फेडरल टाइप आफ कांस्टीट्यूशन है, उसकी भावना के खिलाफ है। मान्यवर, जो विकास होगा अमेठी, सुल्तानपुर रायबरेली। मान्यवर, एक शुक्ला बाजार में विद्यालय है, उसमें इन्टर साहित्य की मान्यता प्रदान करने के लिये 10 हजार रु0 दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी/वित्त मंत्री जी यह कौन सी आवश्यकता पड़ गयी थी कि आकस्मिक निधि से रुपया निकाल कर उस स्कूल की मान्यता के लिये दिया जाय। मान्यवर, न जाने इतने कितने ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में जहां 15-16 कि0 मी0 तक पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में बैठने का स्थान नहीं है। लेकिन यह सौभाग्यशाली शुक्ल बाजार का विद्यालय है जहां पर इन्टर साहित्य के लिये मान्यता प्रदान करने के लिये आकस्मिक निधि से पैसा जा रहा है।

मान्यवर, इसी तरह से एक टाउन एरिया के एकीकृत विकास के लिये 13 लाख 85 हजार रुपया दिया जा रहा है। सुल्तानपुर और रायबरेली की नगरपालिकाओं को 87 लाख रुपये दिये गये हैं। जब मान्यवर, मैंने यह सब देखा तो मैं अपने सीतापुर जनपद को भी खोजने लगा कि शायद उसका भी नाम पुस्तक में आया हो। लेकिन मान्यवर, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी को छोड़कर कोई नगरपालिका सौभाग्यशाली नहीं थी जिसको की आकस्मिक निधि से पैसा मिल रहा हो। मान्यवर, 400 नगरपालिकायें यहां पर हैं। मान्यवर, क्या और नगरपालिकाओं को पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, क्या और जगहों से मांग नहीं आयी होगी लेकिन, नहीं। जैसा कि पहले भी मैंने कहा मान्यवर, आवश्यकता का चयन इस बात पर नहीं होता कि वहां अत्यधिक आवश्यकता है बल्कि इस बात पर होता है कि वहां का प्रतिनिधि कौन है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सीतापुर में सीवरेज के लिये तीन वर्षों से योजना पास है, लेकिन उसमें धनराशि का आवंटन नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से पुनरीक्षित पेयजल योजना भी स्वीकृत है, लेकिन उसमें भी पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है विरोध पक्ष से सम्बन्धित हूं, इसलिए ध्यान न जा रहा हो। मैं फिर कहना चाहता हूं कि सौभाग्यशाली स्थानों का चयन होता है, यह इसकी मूल भावना है। मान्यवर, इससे निश्चित रूप से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि पैसे के निर्धारण व इसकी आवश्यकता को आप देखा करें, जो हमारी उचित आवश्यकतायें हैं उन्हें आप पूरा करें।

योजनाओं पर यहां चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत गांवों को लिंक रोडों से जोड़ने की बात कही गई। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें कहा गया है कि एक हजार से अधिक की आबादी वाले गांव रोड से लिंक किये जायेंगे। विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पी0 डब्लू0 डी0 के दफ्तर गये। वहां मुख्य अभियन्ता ने बताया होगा कि रेवेन्यू विलेज तक हम

गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। अब मुझे आपत्ति यह है कि एक किलोमीटर पहले या डेढ़ किलोमीटर पहले जहां तक रेवेन्यू के खेत हैं, वहां तक गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा और सड़क गांव के एक किलोमीटर दूर बगल से निकल जायेगी मगर आपके कागज में वह गांव सड़क से जुड़ा होगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की सड़कें आपकी बनेंगी तो गांव वालों को उन सड़कों पर चलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पायेगा। मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें और जिन गांवों की आबादी एक हजार है, उन सभी को आप सड़कों से जोड़ें, यह नहीं कि रेवेन्यू विलेज तक आप सड़कों से उन्हें जोड़ें।

मान्यवर, पुलिस कर्मियों की बात इन्होंने की। जो चीज तारीफ करने योग्य है, उसकी तारीफ की जाय। ड्यूटी पर अगर कोई पुलिस कर्मी आहत हो जाता है, तो सरकार उसकी व्यवस्था करे, उसे वे सारी सुविधायें दी जायें जो उसे नौकरी के दौरान मिलती थी जब तक कि उसका रिटायरमेंट का समय नहीं आ जाता है। हमने होमगार्ड की बात कही कि उसकी भी वही ड्यूटी है जो एक पुलिस कर्मी की है, उसके बारे में हमने कहा और आपने हमारी बात मान ली।

सीतापुर के सदस्य जानते हैं, मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि चुनावों के दौरान आपके मंत्री व आपके जो प्रत्याशी थे जीप पर बैठकर चुनाव प्रचार में मदान्ध थे, वह बात दूसरी है कि वे बाद में चुनाव हार गये, मैं बल के साथ कहता हूं कि उनमें से कुछ लोग जेल जाते हैं और ड्यूटी पर तैनात सिपाही से कहते हैं कि चाबी दो हम जेल लूटना चाहते हैं मगर वह कर्तव्यपरायण सिपाही था, उसने चाबी नहीं दी और उसे आपके लोगों ने गोली मार दी और वह मर गया। अगर मेरा यह दावा गलत है तो सीतापुर के माननीय सदस्य कह दें और मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उस बेचारे सिपाही का गौना किए हुये अभी केवल 3 दिन हुए हैं, उसकी पत्नी के पीले हाथ अभी धुल भी नहीं पाये हैं। आप क्या इसकी जांच कर रहे हैं, आप क्या कोई प्रोटेक्सन दे रहे हैं? आप व्यवस्था की बात करते हैं। क्या इस हत्या की सूचना आपके पास आई। मुख्य मन्त्री जी ने अपने कोष से उसे क्या कोई सहायता देने की बात कही। ला एण्ड आर्डर, आज इस तरह से जेलों को लूटे जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि उसके साथ वही सलूक किया जाये, जैसा कि सर्विस के दौरान जब तक कि उसकी रिटायरमेंट की अवधि नहीं आ जाती, वेतन, ग्रेच्युटी आदि उसे दी जाती थी, वे सभी चीजें उसके घरवालों को दी जायं।

मान्यवर, नलकूप निगम की बात आप कहते हैं। पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी। मान्यवर, 7 साल से सीतापुर में नलकूप निगम काम कर रहा है और अब उसे आप सिंचाई विभाग में ट्रान्सफर करने जा रहे हैं मगर सिंचाई विभाग कह रहा है कि हम अच्छे-अच्छे नलकूप लेंगे वह भी सही कह रहा है। सही का मतलब यह है कि जो नलकूप चालू हालत में है। मेरे यहां तीन क्षेत्र हैं जिनके नाम नलोही, सहसापुर और बिहड़ा हैं, वहां पर नलकूप बन्द पड़े हैं। मेरे पास कुछ लोग आये और कहने लगे कि साहब उधर हमारे साथ चले चल। दो गांव हैं भरहा व मड़हीं। जहां पर दो नलकूप लगाये गए। 1978 में पम्प हाऊस बन गये, लेकिन बिजली उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से वे बन्द पड़े हैं। यह तो आपके विभाग की हालत है। इस पर भी आपको विचार करना होगा। आप जो योजना बनाते हैं, चाहे उसे आप किसी भी विभाग से करवायें, उसके लिए आप पैसे की व्यवस्था करें। जो नलकूप खाली पड़े हुए हैं, उन्हें ठीक किया जाये। भोपाल दुर्घटना की बात कही

गयी और 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की बात कही गयी। ठीक है जो पीड़ित हैं, उसे सहायता दी जाय, परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। यह तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें उत्तर प्रदेश का बजट कहां से आ गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद आपकी पार्टी के लोगों ने साजिश कर इस देश के टुकड़े करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में जो आहत होता है तो उनको आप कितना पैसा दे रहे हैं, इसकी लिस्ट आपके पास है।

मान्यवर, मैं सीतापुर से चुनकर आया हूं। वहां एक आई हास्पिटल है। एक लाख रुपया भी दिया है। माननीय चिकित्सा मन्त्री हैं नहीं, क्या वह रीजनल इन्स्टीट्यूट बनाने के लिए तैयार हैं, जहां तक मैं जानता हूं इसके लिए स्वीकृति नहीं दी है। जो मशीनें आयी हैं, मैंने इसके पहले भी आरोप लगाया था, मशीनों के पैकेज खोले नहीं गये हैं और आप रुपया देते चले जा रहे हैं। अगर शासकीय हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो रुपया क्यों देते चले जा रहे हैं। पहली जो बात है, उसकी चिन्ता करें कि क्या रीजनल इन्स्टीट्यूट में बदलने को तैयार हैं यदि हैं तो रुपये की व्यवस्था की जाय।

यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 को 10 करोड़ रुपया दिया लेकिन उसकी हालत क्या है। इसकी चर्चा यहां बाहर हुई है। केवल एक बात कहना चाहता हूं। इस विधान सभा के भीतर और बाहर कई बार चर्चा हो चुकी है। 25 फीसदी किराया बढ़ा दिया था और उस समय जो परिवहन मन्त्री थे, ने इस बात को सदन में और सदन के बाहर स्वीकार किया था कि किराया बढ़ाने के बाद भी हमारा टोटल रेवेन्यू घटा है। यह भी घोषणा की थी कि जो 25 फीसदी बढ़ा दिया है अगर यात्रियों को सुविधा नहीं दी जा सकी तो उसे वापस ले लेंगे। लेकिन यहां वह सरकार भी खतम हो गई दूसरी आ गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके वायदे की क्या हालत है। 10 करोड़ रुपया फिर देने जा रहे हैं। जब तक यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था न हो जाये रुपया न दें। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अण्डरटेकिंग की बसों को चलावें। इससे अच्छी बसें चलेंगी और आपको रेवेन्यू भी मिलेगा।

सीतापुर में सूर्यकुण्ड के लिए पैसा दिया। अच्छी बात है। लेकिन उसी तरह से मिसरिख है, नैमिषारण्य है जहां महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का त्याग किया था, वहां के लिए भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सारे हिन्दुस्तान, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से लोग वहां पर तीर्थ के लिए आते हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी, अगर आप वहां जा कर देखें, जो क्षेत्रीय विधायक हैं वहां के, मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं, तीर्थ टूटा पड़ा है, हर गांव के लिए आपने पैसा दिया, ठीक है, मेरा सुझाव है आप मिश्रिख के लिए भी कोई योजना बनावें। महर्षि दधीचि की याद में कोई मन्दिर बनाने की शुरुआत होनी चाहिए। इसमें मुसलमान या हिन्दू की बात नहीं है। दधीचि ने अपनी अस्थियों का त्याग क्यों किया था, दानवों से लड़ने के लिए किया था। इससे आगे आने वाली संतानों को प्रेरणा मिलेगी, त्याग की भावना पैदा होगी।

मुख्य मंत्री जी, जब अपना बजट भाषण कर रहे थे उस समय कहा था यह पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आगे की जो योजनायें हैं उन पर विचार करना होगा लेकिन जब तक समुचित रूप रेखा निश्चित न हो, कार्यान्वयन के लिए अवधि सामने न हो, तो शक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और आप से आग्रह करता हूं कि इन्होंने जो बजट रखा है उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं उन सभी मा० सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इन अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। श्रीमन्, यह अनुपूरक अनुदान हमारे संविधान में एक मान्य वित्तीय पद्धति है और शायद ही कोई ऐसा देश संसार में हो, प्रजातांत्रिक देश हो, जिसके विकासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य मदों पर होने वाले व्यय, अपरिहार्य व्यय के लिए अनुपूरक अनुदानों का उपयोग न किया जाता हो। श्रीमन्, इतने वर्ष हो गये, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, जब अनुपूरक अनुदान न पास किए गये हों। ऐसा भी मुझे स्मृति नहीं है कि किसी भी प्रदेश में अनुपूरक अनुदान न आये हों। यदि किसी मा० सदस्य को ऐसा लगा कि यह अनुपूरक अनुदान बेकार हैं या नहीं आने चाहिये तो मैं उनसे यह कहूंगा कि वे कृपया संविधान की मंशा और प्रजातंत्र को जो वित्तीय परम्परायें हैं, पद्धतियां हैं, उनका अध्ययन करने की कृपा करें तो उनको लगेगा कि अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करना कोई किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं है बल्कि एक मान्य परिपाटी है जिसके बिना कोई भी शासन सही ढंग से अपने कार्य कलापों को संपादित करने में कठिनाई महसूस करेगा। यदि एक ही बार बजट प्रस्तुत होगा, अनुदान प्रस्तुत होंगे तो वह शासन जड़ शासन मात्र रह जायेगा और किसी नये व्यय की व्यवस्था कहीं कर पायेगा। कोई नया व्यय, जिसकी आवश्यकता है वह नहीं हो पायेगा।

कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती लेकिन जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जिनकी अपरिहार्य आवश्यकता पड़ती है, जिन पर खर्च करना आवश्यक होता है इसलिए संविधान में इस बात की गुंजाइश रखी गई है। माननीय सदस्य, वाराणसी ने संचित निधि से आकस्मिकता निधि में धन डालने की बात कही। श्रीमन, आकस्मिकता निधि से संचित निधि की प्रतिपूर्ति भी होती रहती है। ऐसा आकस्मिकता निधि का नाम ही है कि जो आकस्मिक व्यय हो, जिसकी आकस्मिकता पड़ जाय और उनकी आवश्यकता के अनुसार खर्च हो इसीलिए उसका नाम ही इस प्रकार का है, आकस्मिकता निधि। श्रीमन्, यह कोई बुराई नहीं है। जब किसी देश या प्रदेश में तेजी से विकास होता है तो हमें बजट में उपलब्ध सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिये जिससे विकास में तेजी हो। बजट विकास के लिए है, विकास बजट के लिए नहीं। नियम तीव्रता लाने के लिये तीव्रता में बाधा डालने के लिए नहीं। अगर कोई बजट के नियम, प्रक्रियायें, हमारे विकास की योजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक हो, जिससे हमारे विकास की योजनाओं को गति मिल सके, विकास के मार्ग में निरन्तर वृद्धि हो सके तो उसे माना जा सकता है। साधक की साधना के रूप में बजट के हथियारों का हम प्रयोग कर सकें, यह शक्ति देना चाहिये।

यह एक साधक की साधना है और विधि के प्रतिकूल हम सभी साधक हैं, बाधक नहीं हैं, अनुरोधक नहीं हैं। मैं तो यह सोचता था कि हमें यह बता या जायगा कि हमें किन तथ्यों की ओर प्रदेश को ले जाना चाहिये। हम सोचते थे कि हमें योजना के बारे में बताया जायगा कि योजना की रूप-रेखा क्या हो। श्रीमन्, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे सम्मानित सदस्यों के द्वारा कोई मार्ग-दर्शन नहीं मिला कि किस प्रकार योजना में हमारी क्या प्राथमिकतायें हैं, सातवीं योजना हमारे सामने है। यह दिशा दिखाता है कि हमारी प्राथमिकतायें क्या हों। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उन दिशाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बताया गया, प्राथमिकतायें बतायी गयीं। उन प्राथमिकताओं को अगर इस सदन के सम्मानित सदस्य या विरोधी दल के सदस्य समझते हैं कि नयी प्राथमिकतायें होनी चाहिये, तो उन्हें बताया जाना चाहिये था। सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी ने सुझाव दिया तो मिश्रिख का विकास जरूर होगा, नैमिषारण्य ऐतिहासिक तीर्थ है, उसका भी विकास होगा। यह मैंने वहां भी कहा था, यहां भी दोहराना चाहता हूं, लेकिन उसके अलावा बुनियादी विकास किस आधार पर हो, उसके लिये यह अनुपूरक बजट है। इसका महत्व इसलिये है कि यह एक बड़ी छठी योजना के अन्तिम अनुपूरक अनुदान का अन्तिम बजट है। यह इसलिये है कि छठी योजना की लक्ष्य पूर्ति हेतु धन का प्रबन्ध करे। सातवीं योजना को लेने के वर्ष के पहले रखा जाने वाला अनुपूरक बजट है। इसका यह भी लक्ष्य है कि छठी योजना से सातवीं योजना में निरंतरता की ओर चलाने वाला यह बजट है। इसलिये इसका आकार प्रकार बड़ा है इसलिये कि सैकड़ों योजनायें चली हैं और जिनकी भूमिका के रूप में यह आवश्यक है, जिसका आर्थिक प्राविधान करना आवश्यक है, जिन पर सदन की मंजूरी होनी आवश्यक है, उनका प्राविधान किया गया है।

मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में भाषण का स्तर बड़ा ऊंचा रहा, मैंने बधाई दी, लेकिन इस समय बधाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे वह रोशनी नहीं मिली। यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव के फण्ड में शायद यह धन चला गया। अगर यह धारणा बन गयी हो तो मैं क्या कह सकता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कौन कर सकता है। यह परिकल्पना प्रचारात्मक अधिक है, जब कि अब प्रचार की आवश्यकता नहीं है। अब चुनाव के वातावरण से दूर प्रदेश की रचना में लग जायं। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि प्रचार का माहौल गया, अब हम सब मिलकर ठोस, रचनात्मक और विकासात्मक कार्यों में जुट जायं। अब हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब चुनाव 5 साल बाद होंगे। उप चुनाव तो होते ही रहते हैं, वह ठीक है, लेकिन अब हमें प्रचार जैसी चीजों से ऊपर उठकर वास्तविकता के दायरे में विचरण करना चाहिये। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके लिये हम कृत संकल्प हैं, सहयोग करेंगे और सहयोग चाहेंगे भी।

मैं आपको बताता हूं कि इसकी मुख्य मदें क्या हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि निवेशों, क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत, दवा की व्यवस्था, पशुओं के लिये निःशुल्क चारे तथा दवाओं की व्यवस्था तथा सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों की विशेष मरम्मत के लिये 32.80 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। इसी के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के लिये 1.22 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। कुल मिलाकर 34 करोड़ 10 लाख रुपया हुआ। राज्य का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वरक वितरण की व्यवस्था हेतु 24.50 करोड़ रु0 का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट।)

राज्य में पूर्वी भागों में चावल उत्पादन की विशेष योजना हेतु, यह ट्रेनिंग विजिट सिस्टम के अन्तर्गत है, मैं चाहूंगा कि विरोधी दल के लोग इसमें हिस्सा लें क्योंकि यह खाद की योजना है, इसका प्रारम्भ है, इसके लिये 1 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है।

कृषि ऋण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को दो गयी 2.56 करोड़ रु0 की आर्थिक

सहायता की व्यवस्था भी अनुपूरक मांगों में सम्मिलित की गयी है।

किसानों को गन्ने की मूल्य के बकाया भुगतान हेतु 15.17 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत और अधिक अनाजों की खरीद के लिये 86.33 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से बुन्देलखंड क्षेत्र में सिंचाई हेतु 2.81 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

टेहरी बांध परियोजना एवं व्यासी बांध परियोजना के लिये 24.50 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था सम्मिलित की गयी है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु 3.59 करोड़ रु0 तथा नलकूप निगम को विभिन्न कार्यों के लिये कुल 2.71 करोड़ रु0 की व्यवस्था सम्मिलित की गयी है।

नलकूपों एवं डाल सिंचाई योजनाओं की विद्युत् ऊर्जा के लिये 4.08 करोड़ रु0 का अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

राज्य में विभिन्न सहकारी कताई मिलों में अंशपूंजी विनियोजन के लिये 13.37 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है।

इसी प्रकार विभिन्न सहकारी चीनी जिलों के अतिरिक्त रिसीवरशिप की तथा राज्य चीनी निगम के अधीन मिलों में अंशपूंजी विनियोजन तथा आर्थिक सहायता हेतु लगभग 18 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है।

भदोही वूलेन मिल के अंशपूंजी विनियोजन के लिये 2 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन तथा राज्य वस्त्र निगम को कपास की खरीद हेतु 5 करोड़ रु0 उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम के लिये 7 करोड़ रु0 की व्यवस्था कार्यशील पूंजी के रूप में की गयी है।

प्रदेश में 6000 किलो मीटर ग्रामीण सड़कों के खड़न्जा स्तर तक निर्माण हेतु 27.45 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है।

विभिन्न स्थानीय निकायों के सड़क निर्माण हेतु विशेष अनुदान हेतु 14.70 करोड़ रु0 की व्यवस्था सम्मिलित की गयी है।

पर्वतीय क्षेत्र के सामरिक व सीमावर्ती क्षेत्र में मार्ग/पुलों के निर्माण हेतु 5.34 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

राज्य में निर्माणाधीन 7 पुलों के लिये 3 करोड़ रु0 तथा उन्नाव जनपद में लखनऊ-बिल्हौर मार्ग पर गंगा नदी पर पुल के निर्माण हेतु 1 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आधुनिक मशीनों, रोड रोलरों आदि के क्रय हेतु 6.88 करोड़ रु0 का प्राविधान सम्मिलित किया गया है। तो सड़कों के लिए हमने नयी नीति बनायी है श्रम शक्ति चलती रहे लेकिन श्रम शक्ति की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाय उसमें आपने देखा होगा आधुनिक मशीनें हाट मिक्सर, रोड रोलर आदि प्रयोग हो रहे हैं। बनारस से गाजियाबाद, आगरा से गोरखपुर तक जो विभिन्न स्थानों में सड़कें बन रही हैं उनमें यह मशीनें काम कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि इससे मजबूत सड़कें बन रही हैं जिसमें यह मशीनें सहायता कर रही हैं। एक नये ढंग से

सड़कें बन रही हैं । अगर इस सदन का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में प्रदेश में मजबूत सड़कें बनेंगी ।

जिला परिषदों को प्राइमरी/जूनियर स्कूलों की मरम्मत सड़कों तथा पुलों के निर्माण, रखरखाव आदि के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपया दिया जायेगा ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के ग्रामीण एवं नागर क्षेत्रों में प्राथमिक एवं मिश्रित शिक्षा हेतु विभिन्न मदों के लिए 58·37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । यहां पर कहा गया कि अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है ।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायता हेतु 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है । संस्कृत तथा अरेबिक पाठशालाओं को सहायक अनुदान हेतु एक करोड़ का प्राविधान है ।

कंप्यूटर साइंस को आज कोई रोक नहीं सकता चाहे कोई सरकार हो । मेरे सहयोगी हेगड़े साहब की कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार है वहां भी इसको मानते हैं । कंप्यूटर साइंस की बढ़ती हुई उपयोगिता को देखते हुए राज्य की डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में कंप्यूटर साइंस में बी0 ई0 पाठ्यक्रम आरंभ किये जाने के लिए 2·07 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे प्रदेश में अभी तक नहीं था जो अब संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है उसके लिए 6·50 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता के लिए दिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के लिए 21·85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है ।

त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम के लिए 8·18 करोड़ रु0 रखा गया है तथा पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामों को पेयजल सुविधा के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है ।

हथकरघा तथा खादी वस्त्रों की बिक्री पर दी गयी छूट के लिए 5·17 करोड़ का प्राविधान है ।

सहकारी ऋण संस्थाओं के नान ओवरड्यूज जिनको वह दे नहीं पा रहे थे उसके लिए 2 करोड़ रुपये की ऋण व्यवस्था की गयी है ।

समदेश क्षेत्र विकास प्राधिकारियों को प्रक्षेत्र विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए 8·20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । जिसमें कमांड एरिया आथॅरिटी शारदा सहायक, गंडक और रामगंगा आदि का काम ढीला पड़ा था, उसमें इससे तेजी आयेगी ।

राज्य मंडी परिषद् द्वारा मंडियों के विकास के लिए 12 करोड़ 9 लाख रुपये का प्राविधान किया है ।

श्रीमन्, नगरपालिकाओं पर बिल का बकाया था तो इसमें नगरपालिकाओं जल संस्थानों पर जून, 1984 तक के बकाया विद्युत् बिलों के भुगतान हेतु 14·03 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान स्वीकार करने के लिए रुपया दिया गया है । तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रुपया मिल नहीं रहा था उनके बिल एरियर में थे । इस प्राविधान से विद्युत् परिषद् की पूंजी बढ़ेगी ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन हेतु 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । परिवहन निगम को नयी बसों की आवश्यकता थी । वह आई0 डी0 बी0 आई0 से ऋण नहीं ले पा रहा था क्योंकि अंश पूंजी के आधार पर ही उनसे ऋण मिलता है । तो इससे निगम की अंश पूंजी बढ़ेगी और जो नयी बसें न मिलने की शिकायतें थीं वह दूर होंगी । तो मैं यह हिसाब बता रहा हूं कि यहां पर जो बात कही गयी कि ओवर ड्राफ्ट ज्यादा लिया गया है । तो उसका यह हिसाब है वह रुपया कहां खर्च किया है । यह सब बताना मेरा कर्तव्य है और आपका अधिकार है पूछने का कि वह रुपया कहां गया ।

अध्यक्ष, ओबरा में आग लग गयी। प्लान्ट वहां पर क्षतिग्रस्त हो गये उनकी मरम्मत तथा विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए 22 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए व्यवस्था की गयी है ताकि मशीनें, ट्रान्सफारमर आदि खरीदे जा सकें। इसका प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति के कक्षा 9 और 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति देने की योजना घोषित की गयी थी तो उसके लिए 7·50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन, निर्बल व्यक्तियों के भवन निर्माण के लिए 5·90 करोड़ रुपया, निराश्रित विधवाओं, नेत्रहीन विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देने हेतु 2·37 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बतायें कि यह फिजूलखर्ची है या चुनाव के लिये खर्च है या आवश्यक मदों पर खर्च किया गया है, इसका निर्णय आप कर दें।

(हंसी)

मान्यवर, यह अपरिहार्य आवश्यक मदों के लिये व्यवस्था की गयी थी। और सदन इतनी शक्ति दे कि हम और साधन जुटा सकें और बिना साधन जुटाये खर्च नहीं हो सकता है। हमें और साधन जुटाने होंगे जो आसान नहीं है, कोई शार्ट कट नहीं है जिससे बिना साधन के विकास हो जाये उसमें चाहे हमारी सरकार हो, या आपकी सरकार हो, हमें साधन जुटाने होंगे। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सबको मिल-जुलकर सोचना है। बहुत बड़ी आवश्यकता है साधनों को जुटाने की। इसके लिये मिलजुलकर काम करने की जरूरत है। एक दूसरे को बेईमान बताने की जरूरत नहीं है। राजनीति में बेईमान बताने की होड़ हो रही है जिससे कोई लाभ नहीं होगा। बल्कि इससे प्रजातंत्र में अविश्वास बढ़ेगा। लेकिन हम सब एक दूसरे को बेईमान बताते रहे, सभी बेईमान हैं कहते रहें तो क्या होगा। इसलिये आग्रह है कि अनुपूरक अनुदान को पारित किया जाये और आगे मिलकर काम करना है।

(मेजें थपथपायी गयीं)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, टिहरी डैम कब पूरा हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त--

मान्यवर, टिहरी डैम काफी बड़ी योजना है, एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की योजना है, इसलिये भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि 75 प्रतिशत बिजली के भाग का व्यय भार लेने के लिये यह तैयार हो जायं, इसके लिये टिहरी डेवलपमेंट एथारिटी बनने की बात चल रही है और आशा है कि इस पर अंतिम निर्णय भारत सरकार ले लेगी, और सिंचाई पर हम व्यय करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, ओवरड्राफ्ट की बात कही गयी मैं तो कहता हूं कि आप और लें और प्रदेश के हित में खर्च करें, तो अच्छा होगा लेकिन उन्होंने जो कहा कि निर्माण में नियम बाधक हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हरियाणा मे बंसी लाल जब मंत्री थे तो लिखित आदेश किये थे कि यदि अधिकारियों को कोई नियम निर्माण के कार्यों में बाधक हैं तो भी काम करें और हमको सूचित करें। इसी प्रकार आप इस प्रकार के आदेश क्या जारी करेंगे कि सही काम निर्माण का हो तो नियम बाधक हैं तो भी काम किया जायेगा।

श्री नारायन दत्त--

मान्यवर, मैं अपनी बात को शायद ठीक से स्पष्ट नहीं कर सका था, मैंने नहीं कहा था कि नियम सब बाधक हैं

बल्कि मैंने कहा कि हमें बाधक नहीं होना चाहिए बल्कि साधक होना चाहिए, मैंने नियम के लिये नहीं बल्कि व्यक्ति के लिये कहा था। नियमों का ऐसा इन्टरप्रिटेशन है कि वह बाधक नहीं, साधक हों।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने जो अनुपूरक बजट पर अपनी बात कही है, मैं समझता हूं कि उनकी जो भावना है, और जो उद्देश्य है, उस पर किसी प्रकार का शक नहीं है, लेकिन हमारा बुनियादी मतभेद है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा मतभेद इस मायने में है कि वह कोई भी सरकार तब तक विकास नहीं कर सकती है जब तक वह आत्मनिर्भर होकर नहीं चलेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आप स्पष्टीकरण ही पूछें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अगर कोई भी कार्य ऐसा किया जाय जिसका कोई तर्क नहीं होगा, आधार नहीं होगा, तो उस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पिछले सितम्बर में आपने अनुपूरक बजट पास कराया और उसके बाद अब मार्च में...

श्री अधिष्ठाता--

आप केवल स्पष्टीकरण कर लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आपने ही कहा है कि इस दिशा में क्या होना चाहिए आप पुराने समाजवादी हैं, संसदीय लोकतन्त्र में यकीन करते हैं कि जो आपने शिक्षा पर 4 सैकड़ा से भी कम का प्राविधान किया है और उसी तरह से जो प्राविधिक शिक्षा पर एक फीसदी का भी खर्च नहीं किया है, उसके चलते क्या यह प्रदेश विकास कर सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से प्रदेश का कतई विकास और उत्थान नहीं हो सकता है। जब तक बजट का 40 से 50 फीसदी तक गांवों पर न खर्च किया जाय। केवल 20-25 सैकड़ा वहां पर खर्च हो रहा है, प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। तो आपको साफ तौर पर इस बात का प्राविधान करना चाहिए कि 40 से 60 सैकड़ा तक सब तरफ से मिलाकर, केवल गांवों पर खर्च किया जायेगा। तब ही प्रदेश का विकास हो सकता है।

श्री नारायन दत्त--

जो सम्मानित सदस्य ने बात कही है यह सही है कि प्रत्येक राज्य को बजट में संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर होने की चेष्टा करनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि जब कभी हम संसाधनों को इकट्ठा करने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे तो उसमें हमें विरोधी दल की ओर से पूरा सहारा मिलेगा। लेकिन आज के युग में और हमारे संविधान के अन्तर्गत जहां पर संसाधन की एक थैली नहीं है, केन्द्र की भी अपनी थैली है जो दूसरी थैली है, वहां कोई भी राज्य अपने से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। केन्द्र की सहायता आवश्यक है और इसके लिए फाइनेन्स कमीशन और प्लानिंग कमीशन बनता है और वही राज्यों को सहायता देता है। क्योंकि एक्साइज और इन्कम टैक्स आदि जो मुख्य आमदनी के साधन हैं वह केन्द्र को मिलता है। केन्द्र से सहायता राशि हमें फाइनेन्स कमीशन और प्लानिंग कमीशन के माध्यम से मिलती है। तो आत्मनिर्भर हम हो जायेंगे अपने से यह कहना सत्य और वास्तविकता से परे होगा। लेकिन फिर भी यह करने का प्रयास करना चाहिये लेकिन संसाधनों को जुटाने में हमें उनकी सहायत आवश्यक है। संसाधनों को जुटाने और बढ़ाने के लिए हमने पर्सला के चेयरमैनशिप में एक समिति बनाई है उसकी रिपोर्ट आने पर हम सदन में रखेंगे। हमें अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होना चाहिए और इसमें आपको भी मदद मिलनी चाहिये।

श्री गौरीशंकर भइया--

चूंकि उन्होंने बलिया जनपद का जिक्र किया, इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 7 वर्ष से और 4 वर्ष से हमारे यहां दो सरकारी बोर्ड टंगे हुए हैं। एक रसड़ा स्पीनिंग मिल का है, लेकिन केवल वहां पर अब तक खड़ंजा बिछा है तो उस पर कब तक आप काम शुरू कर देंगे ?

(व्यवधान)

उस पर काम शुरू है।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर ? दूसरी बात यह है कि घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए पुल की बात है। 7 वर्ष से विवाद चल रहा है। माझी घाट पर पुल बनना है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आदेश जाता है कि इस पुल का निर्माण करेंगे लेकिन वास्तव में पुल बनना शुरू नहीं किया जाता है। तो मैंने जो दोनों बातें कहीं हैं उन पर रोशनी डालने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

आप मुख्य मन्त्री जी को यह लिख कर भिजवा दीजिए। आप मिल भी लीजिएगा। आप की बात का समाधान करेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, 301 में लिखकर दिया है।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री नौजवान राजीव बांधी जी हैं।

एक सदस्य--

मान्यवर, अलीगढ़ के संबंध में जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप लिखकर भिजवा दीजिएगा मुख्य मन्त्री जी को।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

आप के दल में भी बहुत से नौजवान जीतकर आये हैं। आपने इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में इसमें कुछ नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि मैं कल से मुख्य मन्त्री जी को सुन रहा हूं। मुख्य मन्त्री जी ने आजमगढ़ जनपद जहां से मैं जीतकर आया हूं वहां के लिए एक शब्द भी नहीं कहा है। हमारा इलाका पिछड़ा इलाका है, मुख्य मन्त्री जी ने उसके लिए कुछ नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह अपने सुझाव लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजें। उस पर वह विचार करके आवश्यक कार्यवाही अवश्य करेंगे।

वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग के अन्तर्गत 85,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 85,61,000

रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 84,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग के अतर्गत 84,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)--

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 7,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 7,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 19,26,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 19,26,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 19,76,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 19,76,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग
(लेखन सामग्री और मुद्रण)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,11,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,11,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 22,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 22,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 3,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 3,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग
(औद्यानिक विकास)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,89,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,89,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग
(कृषि)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह

प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 29,70,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 29,70,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 88,70,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 88,70,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 82,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 82,53,000 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 35,20,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 35,20,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार)

जेल मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के

अन्तर्गत 4,28,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 4,28,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस)

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 39,21,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 39,21,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय)

जेल मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत 5,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत 5,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 34,86,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 34,86,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन्, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 17,79,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 17,79,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन्, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 38,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 38,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन्, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 8,30,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 8,30,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 33,43,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 33,43,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

श्रीमन्, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 86,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 86,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

जेल मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 6,14,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 6,14,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 से लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 50,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 50,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मो0 सफीउर्रहमान अंसारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 1,05,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 1,05,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग

वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,37,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,37,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग

ग्राम विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 4,05,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 4,05,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30--"पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 11,73,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 11,73,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 10,65,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 10,65,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,31,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,31,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 24,31,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 24,31,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग

पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 6,45,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 6,45,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 11,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 11,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह

प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 4,72,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 4,72,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग

पशुधन मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 32,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 32,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग

शिक्षा मन्त्री (श्री सिद्दते रजी—)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,89,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,89,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरीशंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,43,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,43,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मो० शफीउर्रहमान अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 7,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 7,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46—वन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—वन विभाग के अन्तर्गत 64,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—वन विभाग के अन्तर्गत 64,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,35 00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 60,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 60,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 3,79,45,000 रुपये के अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 3,79,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 30,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 30,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 8,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 8,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 35,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 35,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 78,56,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 78,56,40,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मन्त्री (श्री सईदुल हसन)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,54,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,54,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मन्त्री (श्री सईदुल हसन)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,64,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,64,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 88,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 88,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल के सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 11,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 11,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 60,00,000

रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 77,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-88 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 77,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग

वन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 18,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 18,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग

सहकारिता मन्त्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 27,07,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 27,07,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—संस्कृतिक कार्य विभाग

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री सफीउर्रहमान अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 17,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 17,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 9984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,70,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,80,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 9,21,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक) के अन्तर्गत 9,21,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 3,77,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 3,77,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,29,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,29,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 63,43,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन के अन्तर्गत 63,43,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 13,82,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 13,82,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 63,15,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 63,15,19,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग के अन्तर्गत 3,33,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग के अन्तर्गत 3,33,48,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 24,25,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 24,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 2,83,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 3,83,63,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 14,75,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 14,75,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 8,20,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 8,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 1985

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रतियां वितरित कर दी जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 को पुरः-स्थापित करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985

31 मार्च, 1985 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम; 1985 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त निधि में से वर्ष 1984-85 के लिए 16,06,18,41,000 रुपयों का दिया जाना विनियोग

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1985 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 16,06,18,41,000 रु0 (सोलह अरब, छः करोड़, अठ्ठारह लाख, इकतालिस हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो ।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1985 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

विधान सभा

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1	आबकारी विभाग	राजस्व	74,69	..	74,69
		पूंजी	10,92	..	10,92
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	19,03	..	19,03
		पूंजी	65,50	..	65,50
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	7,91	..	7,91
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	8,82,28	..	8,82,28
		पूंजी	10,44,38	..	10,44,38
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	5	19	24
		पूंजी	19,76,82	..	19,76,82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	1,11,19	..	1,11,19
7	ऊर्जा विभाग	पूंजी	22,10,00	..	22,10,00
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	3,54	..	3,54
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,64,13	52	1,64,65
		पूंजी	24,89	..	24,89
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	9,61,76	40	9,62,16
		पूंजी	20,08,99	..	20,08,9
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	1,91,96	..	1,91,96
		पूंजी	86,78,62	..	86,78,62
12	गन्ना विकास	राजस्व	82,53	5	82,58
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	15,16,99	..	15,16,99
		पूंजी	20,03,81	..	20,03,81
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	4,28,04	13	4,28,17
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	39,21,86	55	39,22,41
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3,10,00	..	3,10,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17	गोपन विभाग	राजस्व	5,01	..	5,01
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	34,81,54	..	34,81,54
		पूंजी	5,00	..	5,00
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	17,79,12	39	17,79,51
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	38,85	..	38,85
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	8,30,49	..	8,30,49
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	33,43,05	..	33,43,05
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	86,71	..	86,71
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	6,14,14	..	6,14,14
26	नियोजन विभाग	राजस्व	50,49	..	50,49
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	45,45	..	45,45
		पूंजी	59,60	..	59,60
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	2,37,26	..	2,37,26
29	न्याय विभाग	राजस्व	3,81,88	41,61	4,23,49
		पूंजी	23,76	..	23,76
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	11,73,34	..	11,73,34
31	परिवहन विभाग	राजस्व	65,24	..	65,24
		पूंजी	10,00,00	..	10,00,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	19,24	3,63	22,87
		पूंजी	1,11,91	..	1,11,91
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	9,24,16	3,13	9,27,29
		पूंजी	15,07,61	..	15,07,61
34	पशुधन विभाग	राजस्व	5,97,10	7	5,97,17
		पूंजी	48,68	..	48,68
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	11,93	..	11,93
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	4,02,28	..	4,02,28
		पूंजी	70,00	..	70,00
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	32,61	..	32,61
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1,73	..	1,73
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2,89,62	15	2,89,77
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	16,43,09	75	16,43,84
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	4,34	4,34
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	7,62	..	7,62
46	वन विभाग	राजस्व	63,97	..	63,97
		पूंजी	75	..	75

उत्तर प्रदेश विधान सभा

47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	10,00	6,60,64	6,70,64
		पूंजी	5,25,00	8,23,28,66	8,28,53,66
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	60,26	..	60,26
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	3,79,45	..	3,79,45
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	30,56	..	30,56
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	8,40	31,92	40,32
53	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	..	35	35
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	35,65	..	35,65
55	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	5,00	..	5,00
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	78,56,40	..	78,56,40
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	1,54,18	13	1,54,31
58	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	2,64,63	..	2,64,63
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	2,43	..	2,43
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	88,90	..	88,90
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	11,97	..	11,97
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	60,00	..	60,00

*भारित विनियोग के सम्बन्धित क्रम संख्या ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	77,56	..	77,56
65	सर्तकता विभाग	राजस्व	18,55	33	18,88
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	89,40	38,19	1,27,59
		पूंजी	26,17,69	13,75	26,31,44
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	17,72	..	17,72
69	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2,97	..	2,97
70	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	2,18	..	2,18
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,70,49	..	5,70,49
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	1,03,75	..	1,03,75
		पूंजी	8,17,38	1,63	8,19,01
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	2,19	..	2,19
		पूंजी	3,75,51	..	3,75,51
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	1,29	..	1,29
		पूंजी	4,28,52	..	4,28,52
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	17,61,41	..	17,61,41
		पूंजी	45,82,01	..	45,82,01

उत्तर प्रदेश विधान सभा

76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,28,04	..	5,28,04
		पूंजी	8,54,06	..	8,54,06
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	14,33,90	1,02,97	15,36,87
		पूंजी	48,81,29	1,35,67	50,16,96
78	सूचना विभाग	राजस्व	2,32,48	..	2,32,48
		पूंजी	1,01,00	..	1,01,00
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	24,25	2	24,27
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	2,83,63	..	2,83,63
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	14,75,02	..	14,75,02
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	4,90,00	..	4,90,00
		पूंजी	3,30,00	..	3,30,00
	योग ..	राजस्व	4,08,84,54	8,90,46	4,17,75,00
		पूंजी	3,63,63,70	8,24,79,71	11,88,43,41
	कुल योग	..	7,72,48,24	8,33,70,17	16,06,18,41

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं--"31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1985 में "1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" के विवरण, जो 21 मार्च, 1985 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-4 में दिये हुये प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 19,53,89,04,000 रुपये से अधिक न हो ।"

[इस समय 4 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।]

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1985 में "1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" के विवरण, जो 21 मार्च, 1985 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-4 में दिये हुए, प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 19,53,89,04,000 रुपये से अधिक न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3 अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985

1 अप्रैल, 1985 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985 कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो एक अप्रैल, 1985 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 24,99,59,09,000 रुपये (केवल चौबीस अरब, निन्यानबे करोड़, उनसठ लाख, नौ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश समेकित निधि में से वर्ष 1985-86 के लिए 24,99,59,09,000 रुपयों का दिया जाना

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं। विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग	राजस्व	1,26,25	4	1,26,29
		पूंजी	1	..	1
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	72,98	2,48,33	3,21,31
		पूंजी	..	1,21,60	1,21,60
3	उद्योग विभाग (खान और खनिज)	राजस्व	49,81	2	49,83
		पूंजी	.	..	..
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	11,12,41	1,23,05	12,35,46
		पूंजी	..	1,02,67	1,02,67
5	उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2,38	1	2,39
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6	उद्योग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	5,60,98	..	5,60,98
		पूंजी	8,99	..	8,99
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	38,03	..	38,03
		पूंजी	1,74,29,50	..	1,74,29,50
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	17,69	..	17,69
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	3,38,70	2,35	3,41,05
		पूंजी	1,18,67	..	1,18,67
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	15,63,05	88	15,63,93
		पूंजी	18,52,90	21	18,53,11
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	5,77,84	94,13	6,71,97
		पूंजी	2,16,88,33	16,46,04	2,33,34,37
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	2,88,83	92	2,89,75
		पूंजी	2,50,00	2,02	2,52,02
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	6,58,45	5,58,05	12,16,50
		पूंजी	1,66,67	..	1,66,67
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	5,89,41	1	5,89,42
		पूंजी	1	..	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1,03,17,06	11,83	1,03,28,89
		पूंजी	4,29	10,04	14,33
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3,89,31	..	3,89,31
		पूंजी	..	..	..
17	गोपन विभाग	राजस्व	12,08	..	12,08
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास	राजस्व	1,34,21,20	4	1,34,21,24
		पूंजी	85,70	..	85,70
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	52,02,93	19	52,03,12
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	25,08,75	16	25,08,91
		पूंजी	2,31,29	..	2,31,29
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	18,31,38	2	18,31,40
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	17,15,45	4	17,15,49
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	49,26	..	49,26
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	4,58,54	..	4,58,54
		पूंजी	..	..	..
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	1,75	..	1,75
		पूंजी	..	..	..
26	नियोजन विभाग	राजस्व	2,08,89	..	2,08,89
		पूंजी	10	..	10
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	59	..	59
		पूंजी	..	..	..
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	3,19,28	..	3,19,28
		पूंजी	..	..	..
29	न्याय विभाग	राजस्व	9,12,61	1,34,37	10,46,98
		पूंजी	..	..	..
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	19,57,32	9	19,57,41
		पूंजी	..	..	..
31	परिवहन विभाग	राजस्व	11,95,25	5	11,95,30
		पूंजी	1	..	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	16,92	..	16,92
		पूंजी	..	..	..
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	11,25,96	3,81	11,29,77
		पूंजी	18,77,43	2,16	18,79,59
34	पशुधन विभाग	राजस्व	8,88,81	2	8,88,83
		पूंजी	..	..	..
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	45,73	2,00	47,73
		पूंजी	..	2,50	2,50
36	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	9,19	..	9,19
		पूंजी	..	..	..
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	6,24,22	1	6,24,23
		पूंजी	57,50	..	57,50
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	93,27	1	93,28
		पूंजी	..	..	..
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	10,48	1,14	11,62
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	9,63,67	10	9,63,77
		पूंजी	..	..	..
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	5,21,09	6,85,15	12,06,24
		पूंजी	71,37	8,36	79,73
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	35,38,53	58,24	35,96,77
		पूंजी	30	1,32,13	1,32,43
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	12,96	12,96
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	18,80	..	18,80
		पूंजी	63	..	63
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	57,06	57,06
		पूंजी	..	..	..
46	वन विभाग	राजस्व	18,59,53	8	18,59,61
		पूंजी	7,79	..	7,79
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	41,67,51	1,76,86,98	2,18,54,49
		पूंजी	3,41,92	3,17,28,19	3,20,70,11
48	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	43,56,75	5,63	43,62,38
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
49	वित्त विभाग (कोषागार और लेखा प्रशासन)	राजस्व	1,79,52	..	1,79,52
		पूंजी	..	..	..
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	16,96,33	.	16,96,33
		पूंजी	..	..	..
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	3,16,41	2	3,16,43
		पूंजी	..	..	..
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	77,84	2,67,21	3,45,05
		पूंजी	..	..	..
53	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	40,22	1,33	41,55
		पूंजी	..	..	..
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	1,28,93	1,54	1,30,47
		पूंजी	..	..	..
55	विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग	राजस्व	1,50,79	..	1,50,79
		पूंजी	..	..	..
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	2,73,44,79	4,82,53	2,78,27,32
		पूंजी	25,83	..	25,83
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	5,59,44	2	5,59,46
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

58	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	4,32,73	8	4,32,81
		पूंजी	..	..	..
59	संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	42	..	42
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	10,35	2	10,37
		पूंजी	1	..	1
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	6,09,13	17	6,09,30
		पूंजी	..	..	..
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	33,21	..	33,21
		पूंजी	..	..	..
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	1,24,27	2	2,24,29
		पूंजी	..	..	..
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	6,40,51	2	6,40,53
		पूंजी	..	..	..
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	74,58	3,48	78,06
		पूंजी	..	..	..
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	2,03,98	1,72,44	3,76,42
		पूंजी	5,20,82	1,87,43	7,8,25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
67	सहायता और पुनर्वासन विभाग	राजस्व	31,02	2	31,04
		पूंजी	10,47	21	10,68
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	35,71	1	35,72
		पूंजी	..	..	..
69	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	3,11	1	3,12
		पूंजी	..	..	..
70	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	6,18	..	6,18
		पूंजी	..	..	..
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	23,11,96	2	23,11,98
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	2,47,41	7	2,47,48
		पूंजी	9,59,60	42	9,60,02
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	1,45,64	7,32	1,52,96
		पूंजी	6,29,89	21	6,30,10
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	28,82	8	28,90
		पूंजी	18,25,32	1,35	18,26,67

उत्तर प्रदेश विधान सभा

75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	79,11,62	4	79,11,66
		पूंजी	68,69,00	21	68,69,21
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	16,99,58	4	16,99,62
		पूंजी	20,20,65	..	20,20,65
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1,28,08,63	1	1,28,08,64
		पूंजी	1,39,11,33	1	1,39,11,34
78	सूचना विभाग	राजस्व	1,20,05	..	1,20,05
		पूंजी	..	..	..
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	33,96	1	33,97
		पूंजी	..	..	..
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	59,88	..	59,88
		पूंजी	..	..	..
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	16,16,76	1	16,16,77
		पूंजी	..	..	..
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	..	..	..
	योग ..	राजस्व	12,44,22,29	2,06,24,29	14,50,46,58
		पूंजी	7,09,66,75	3,39,45,76	10,49,12,51
	कुल योग ..		19,53,89,04	5,45,70,05	24,99,59,09

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 पारित किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह आज जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय अतिरिक्त मंडी शुल्क लगाकर मंडी समितियों की आय बढ़ायी गयी थी और वह आय 1983 से अभी तक इकट्ठी होती रही लेकिन उसको कहां खर्च किया जाये, इस सम्बन्ध में उस समय इस सरकार ने विचार न करके अपनी अदूरदर्शिता और अक्षमता का परिचय दिया है । मान्यवर, यह विधेयक जो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, यह तो प्रवर समिति में जाना चाहिए लेकिन मैं मंत्री जी से 2-3 बातें इस अननुमोदन के जरिये निवेदन करना चाहूंगा ।

मान्यवर, हमें यह शंका है कि आज मंडी समितियों के प्रबन्ध की व्यवस्था मंडी समिति के प्रशासकों और डिपूटेशन पर भेजे गये सचिवों के हाथों में है । आज की परिस्थिति में प्रशासक और सचिवों की, वहां जो दुकानें बनी हैं उनकी, सुविधा के स्थान बन गये हैं । मंडी समितियों के स्थल के निरीक्षण और उनके निर्माण के सम्बन्ध में बिना काश्तकारों और व्यापारियों की जानकारी के निर्माण कार्य शहरों से काफी दूर करा दिया जाता है जिससे उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे मंडी स्थल खाली पड़े हैं या उनमें सुअर या असामाजिक तत्व ठहरते हैं । इसलिये निवेदन है कि जब तक मंडी समितियों में प्रशासक और डिपुटेशन पर भेजे गये सचिव रहते हैं तब तक मंडी समितियों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । यदि उनकी सब को निर्माण की व्यवस्था फिर से उनके हाथ में सौंप दी गई तो मंडी में जो पानी की व्यवस्था है, ठहरने के लिए व्यवस्था है, अनाज रक्षा की बात है, वह सब अधूरी रह जायेगी । इसलिए मैं मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विधिवत् रूप से मंडी समितियों का निर्वाचन करके, उनका गठन प्रारम्भ करें और जब उनका गठन पूर्ण हो जाय और आप प्रशासकों के हाथों से उनको मुक्त कर दें और चुने हुए लोगों के हाथों उनको सुपुर्द कर दें, उसके बाद ही आप यह विधेयक लाते तो जो आपकी भावना है वह ज्यादा अच्छी मालूम पड़ती । डेपूटेशन पर भेजे गये सचिव और प्रशासक परगनाधिकारी हैं उनके रहते जो दुर्दशा है, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

हमारी अपनी मंडी समिति में जब एक परगनाधिकारी बदलकर दूसरा आया, तो उस क्षेत्र से मंडी समिति का कूलर उठाकर अपने घर पर ले आया। मंडी सचिव अब अलग घूम रहा है और हमारे मंडी दफ्तर का टेलीफोन परगनाधिकारी के आफिस का टेलीफोन बनकर रह गया है। मंडी दफ्तर जुए का घर बन गया है। जब पहले यह मंडी समितियां नामजद हुए व्यक्तियों के हाथों में आयी थीं, तो उस समय मंडियों की आमदनी 50 फीसदी बढ़ गयी थी, लेकिन आज पुनः मंडी समितियां प्रशासकों के हाथ में अतिरिक्त शुल्क लगने के बावजूद उनकी आमदनी घटती जा रही है और यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गयी है। मंडी समितियों में जो सबसे बड़ी लूट है, वह गेहूं की आवत और जावत है। इसको रोकने के लिए हमारी मंडी परिषद् ने कोई कदम नहीं उठाये हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती। किसानों के लिये कौन से सम्पर्क मार्ग बनें, उन्हें कौन सी सुविधा मिले, इसका प्रबन्ध चुने हुए प्रतिनिधि अच्छी तरह से कर सकेंगे। जो शासन के सामने दिक्कत है वह फिर पैदा न हों, इसके लिए मंडी समितियों का निर्वाचन और उसके बाद उसका कार्य उनके सुपुर्द करना जनतान्त्रिक परम्परा के अनुसार आवश्यक होगा। तत्काल मुख्य मंत्री और सम्बन्धित मंत्री इस बात की घोषणा करें कि हम मंडी समितियों का निर्वाचन करके चुने हुए आदमियों के सुपुर्द उसको कर देंगे, तब ही उनकी यह भावना ज्यादा अन्दर योग्य हो सकती है। लेकिन हमारे मंत्री महोदय उनके निर्माण से बराबर कतराते जा रहे हैं और यदि आप निर्वाचन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम अपने ही बल के लोगों को नामिनेट करके आप मंडी समितियों का निर्माण करें। फिर मंडी समितियों की योजनाओं को कार्यान्वित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। विधेयक की जो मंशा है वह तभी पूरी होगी जब उनका संचालन चुने हुए लोगों के हाथ में हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज उनकी क्या हालत है। मैनपुरी की मंडी समिति, जहां से हमारे जेल मंत्री आए हैं, कितने साल से खाली पड़ी थी। औरैय्या की मंडी की क्या हालत है, छाता मंडी, जनपद मथुरा की क्या हालत है? आगरा में जो मंडी स्थल बना है उसकी जो हालत है वह मैं आपसे बताना चाहता हूं। वहां 1 करोड़ 27 लाख रुपये लगाने के बाद भी एक भी व्यापारी आज वहां पर नहीं जाता। अगर आप इस धनराशि से वहां शेड बनायें तो भी वहां मंडी स्थल पर कोई सामान बेचने नहीं जा रहा है। इसलिए आप मंडी समितियों द्वारा निर्माण कार्य कराने की घोषणा न करें। उनके हाथ में निर्माण कार्य देने से अहित होगा। जहां तक सम्पर्क मार्गों का प्रश्न है उसमें एक बाधा जरूर आयेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि मंडी समिति सम्पर्क मार्गों का निर्माण नहीं कर सकेंगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारे फैसलों को दृष्टिगत रखते हुए आप मंडी समितियों की घोषणा करके ही इन सारे व्यय की तरफ जायें। इन शब्दों के साथ मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है। इससे इस बात का प्राविधान किया है कि 1984 के पारित अध्यादेश के माध्यम से जो अतिरिक्त मंडी शुल्क लगाया गया था उत्पादकों के ऊपर और उस अवधि के दौरान जो पैसा वसूल हुआ था उसको किस प्रकार से व्यय किया जाय, केवल उस शुल्क को व्यय

करने का अधिकार इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने दिया है। अगर माननीय सदस्य ने केवल उद्देश्य ही पढ़ लिया होता तो समझ में आ जाता। यह एक छोटा सा विधेयक है। बार-बार विरोध पक्ष से मांग की गयी कि इसमें संशोधन किया जाय और अधिकार प्राप्त किया जाय कि हम कृषकों के, जनहित के कार्य मंडी समिति के पैसे से कर सकें। तो इसकी उपधारा (9) में संशोधन करके यह अधिकार प्राप्त किया गया है। इसमें सम्पर्क मार्गों और अन्य जनहित के कार्यों के लिए खर्च करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त में मंडी शुल्क के संबंध में आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। अध्यादेश के माध्यम से उत्पादकों के ऊपर मंडी शुल्क लगाया गया था जिस बात का विरोध किया गया और दोनों पक्षों से आवाज उठायी गयी तो सरकार ने जनहित में और लोकतंत्रीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए यह अध्यादेश व्यपगत हो जाने दिया और विधेयक नहीं बनाया। तो अतिरिक्त मंडी शुल्क को व्यय करने का अधिकार इसके द्वारा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि विरोध पक्ष के माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

निर्वाचन के बारे में भी बता दें ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपसे कम चिंता इस संबंध में हमको नहीं है कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं और जो सरकार दूसरी पार्टी की आयी है उनके सामने भी यह कठिनाइयां रही हैं। जब इन कठिनाइयों का निराकरण कर लिया जायेगा तो इनका गठन कर दिया जायेगा।

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

*मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, जहां तक बिल का जो उद्देश्य है वह ठीक है। इसमें जो क्लाज 9 में जोड़ा गया है उसमें कहा गया है कि मन्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, शेड, गाड़ी खड़ी करने की जगह इसके अलावा सम्पर्क सड़क, पुलिया पुल का निर्माण, अनुरक्षण आदि की व्यवस्था की गयी है। तो यह बातें ठीक हैं। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट हुयी थी। जब सरकार ने पुल और सड़क के निर्माण के लिए मंडी शुल्क का पैसा दिया था तो जो व्यापारी लोग थे वह एक रिट लाये थे कि हमारा पैसा मंडी स्थल पर खर्च किया जाय। सड़क और पुलों पर हमारा पैसा न खर्च किया जाय और वह रिट स्वीकार हुई थी दो-ढ़ाई साल पहले आपने जब इसमें संशोधन किया है, तो जो पहले मद जोड़े हैं, पानी के लिए और पशुओं के शेड वगैरह-वगैरह के लिए तो उनको नहीं जोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी रिट का मतलब था कि हम उन सड़कों पर पुलियों पर पैसा खर्च नहीं होने देंगे वह पैसा मंडी स्थल पर खर्च होना चाहिए। तो आपको यह क्लाज 9 का आधा हिस्सा ऊपर वाला नहीं जोड़ना चाहिए था। वह ऊपर वाला हिस्सा मंडी शुल्क से बनना चाहिए और जो मंडी शुल्क है, उससे पुलियों और सड़कों का निर्माण होना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं जैसा मेरे दूसरे साथियों ने भी कहा कि जो मंडी बनी वह किसानों के लिए बनी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मंडियों की हालत पूरे प्रदेश में अच्छी नहीं है, उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारीकरण ऐसा हो गया है कि पूरे प्रदेश की मंडियां एस0 डी0 एम0 के हाथ में हो गई हैं। उनको निकाल कर जनता के हाथ में दें। मंडी समिति का चुनाव हम भी नहीं करा पाये आप मंडी समितियों का चुनाव करा पावें या न करा पावें जो राजनैतिक कार्यकर्ता थे, उनकी वजह से 30 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक आमदनी उसमें बढ़ी थी आप चाहे कोई भी आदमी बैठा दीजिए, चाहे आप अपने ही आदमी को बैठा दीजिए, उससे आमदनी बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और जो मेरे सुझाव हैं उनको मान लें।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मंडी समितियों का शुल्क बढ़ाया गया था, तब ये व्यापारी लोग स्टे ले आये। मंडी समिति की जो सड़कें बनी थीं, वे उसी स्थिति में पड़ी हुई हैं, उनमें आगे कोई भी काम नहीं हुआ। जिस तरह से अपने नगर-पालिकाओं और नगरमहापालिकाओं की सड़कों को पी0 डब्लू0 डी0 को दिया है, उसी तरह से मंडी समितियों की सड़कें हैं, जो वैसे की वैसी पड़ी हैं, उनको बनवा दें, जिससे वे सड़कें काम में आवें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान मंडी समितियों की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री ने बहुत जोश में कहा है कि सड़कों के निर्माण की व्यवस्था है। मान्यवर, आज से 6 साल पहले मंडी समितियों ने पैसा दिया था सार्वजनिक निर्माण विभाग को मंडी समिति से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए। हमारे यहां रानीगंज बाजार से इब्राहिमाबाद होकर मठजोगेन्दर गिरि तथा दूसरा मार्ग मशौवा, दधौला गांव घाट गांव में काम शुरू हुआ, वह काम अधूरा पड़ा हुआ है, 4 साल से कोई भी काम नहीं हो रहा है। वह काम मंडी समितियों के पैसे से पी0 डब्लू0 डी0 ने शुरू किया था, वह काम अधूरा पड़ा हुआ है, उस काम को तो आप पूरा करवाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी आप विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के (बलिया) ग्राम नगरा में मंडी समिति का निर्माण कराने की कृपा करेंगे?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं मंडी समितियों के विधिवत् निर्माण एवं सड़क आदि के निर्माण को पी0 डब्लू0 डी0 को देने के लिए बल देता हूं और इसका अननुमोदन करता हूं।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे माननीय साथियों ने जो सुझाव दिए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो अपने प्रस्तावित धारा-9 में संशोधन की बात कही है उसका आप विस्तार से अध्ययन कर लें। इसमें वर्तमान उपधारा के अन्तर्गत क्रय कर्ता से वसूल किया हुआ मंडी शुल्क एवं उत्पादक से वसूल किया हुआ मंडी शुल्क, दोनों इस पर खर्च किए जा सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां सुझाव दिए हैं, जो रास्ते अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। अभी एक योजना सरकार ने चलाई है उसमें जो खोई हुई कड़ियां हैं, जिन रास्तों से सम्पर्क नहीं हो सकता है उस जगह की सूची आप अपने यहां के अधिशासी अभियन्ता को दें, पहले उन्हीं मार्गों का निर्माण कराया जायगा, जिनका निर्माण अभी अधूरा पड़ा है। मैं समझता हूं कि अब सदन के बाद सब माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों में जायेंगे, अपने क्षेत्रों में देखेंगे, जो अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं उनकी सूची अधिशासी अभियन्ता को दे देंगे उनको तुरन्त बनवाया जायेगा। वे

में आपको बता दूं सड़कों के निर्माण के पैसे का सदुपयोग हो चुका है आपके क्षेत्र में आदेश जा चुके हैं। सड़कों के निर्माण का कार्य चाहे किसी भी विभाग द्वारा कराया गया हो, पहले उन्हीं सड़कों को पूरा किया जायेगा जो अधूरी पड़ी हैं। मैं समझता हूं कि आप इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें और अपने क्षेत्रों की जानकारी देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आश्वासन पूर्ण हैं, और आप अब अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 22 दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 19 में, उपधारा (3) में—, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 19 का संशोधन

(क) खंड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(9) मंडी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लददू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, शेड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल जैसी सुविधाओं और सुख-साधन की व्यवस्था करने पर और मंडी क्षेत्र में कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी हैं, व्यय ;"

(ख) प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 40 सन् 1983

'अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अधीन अतिरिक्त मंडी शुल्क के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि का उपयोग मंडी क्षेत्र में केवल खंड (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किया जायगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1984

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड-2, खंड-3, खंड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—

श्रीमन, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, तीसरी चौथी बार इस प्रकार का विधेयक इस सदन में लाया गया है । जनता पार्टी शासन में आयी थी, उसके शासन में आने से पहले भी इन्होंने चुनाव कराना बन्द कर दिया था । जनता पार्टी शासन में आयी तो ऐक्ट में संशोधन करके सहकारी समितियों का चुनाव करा दिया । पुनः 80 में ये शासन में आये तो जो ऐक्ट में संशोधन किया गया था फिर से इन्होंने संशोधन का संशोधन कर दिया । फिर चुनी हुई समितियों की जगह प्रशासक नियुक्त कर दिया । 80 से आज तक यह चुनाव नहीं करा पा रहे हैं । इसके पहले जो विधान सभा थी उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि सहकारी समितियों का चुनाव करा देंगे । चुनाव की तिथि घोषित हो गयी, पर्चा दाखिला हो गया, कहीं-कहीं तो भूमि विकास बैंक में वोट पड़ रहे थे तब बन्द करा दिया कोर्ट से स्टे लाकर सरकारी पक्ष के लोगों ने । पुनः एक साल का समय मांगा, फिर 82 में एक साल का समय मांगा, फिर 83 में एक साल का समय मांगा, 84 में एक साल का समय मांगा और 85 में फिर एक साल का समय ले रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो नये सहकारिता मन्त्री बने हैं वह हमारे मित्र हैं और ईमानदार तथा साहसी हैं, साहसी तो पहले वाले मन्त्री भी थे । मैं समझता था कि निश्चित रूप से यह सरकार के कहने के बावजूद निष्पक्ष तरीके से सहकारी समितियों का चुनाव कराकर जनता के हाथों में उसको दे देंगे ।

महाराष्ट्र में सहकारी समितियों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है । जितने विकास के काम हैं, गांव में एक समिति होती है, गांव में सड़क बनाने का काम हो, स्कूल बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो खेलकूद के मैदान के प्रबन्ध करने का काम हो, जितनी भी विकास सम्बन्धी बातें होती हैं सब सहकारी समितियों के माध्यम से होता है । सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है । उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों में जो धन है उसको लूटने का काम किया जा रहा है । विकास के कार्य से कोई ताल्लुक नहीं है । जितने भी इनके सहकारिता मन्त्री रहे जिन्होंने सहकारी समितियों का खून मांस खाने के बाद उसके हड्डी चूसते रहे । वर्तमान मन्त्री जी को कंकाल के रूप में सहकारिता विभाग सौंपा गया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने को एवं अपनी छवि अच्छे रूप में अगर

प्रदेश के सामने रखना चाहते हैं तो निश्चत रूप से सहकारी समितियों का चुनाव करा दें और जनता के हित में साथ दें। मैं आपके माध्यम से यह सारी बातें कह रहा हूं श्रीमन, आप सुन लीजिये, जो प्रशासक नियुक्त किये हैं हमारी पार्टी के नेता श्री जनार्दन प्रसाद ओझा उनके विषय में इसके पहले वाली विधान सभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव ले आये थे कि यह प्रशासक जो नियुक्त किये गये सहकारी समितियों के कौन और किस तरह के आदमी हैं। तत्कालीन मन्त्री श्री काशीनाथ मिश्र ने इस विधान सभा में कहा था कि जो सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं वह सहकारी समितियों के सदस्य न होने के साथ ही इनमें 95 प्रतिशत लोग निरक्षर भी हैं और दूसरे दिन मान्यवर, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर घोषणा किया कि सहकारी समितियों में जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं उनमें 50 प्रतिशत हिस्ट्रीशीटर हैं। यह वक्तव्य है तत्कालीन मन्त्री श्री काशीनाथ मिश्र के, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में जहां 50 प्रतिशत हिस्ट्रीशीटर लोग हैं इस विभाग के आप मन्त्री क्यों बने और बने तो आप अपनी जिम्मेवारी छुड़ाने के लिये कम से कम इस विधेयक को वापिस ले लीजिये और चुनाव की घोषणा कर दीजिये। 2 अप्रैल को चुनाव होने वाले थे बैलेट बक्स बन गये थे मतदाता सूची तैयार हो गयी थी अधिसूचना जारी हो गयी थी सब काम कम्पलीट हो गया है उसके बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि इसमें एक साल का समय बढ़ायें। क्या कठिनाई हो रही है।

यह जो प्रशासक नियुक्त हैं यह जनता को मिट्टी का तेल आदि सप्लाई करने की बात नहीं करते हैं। वह सचिव से कहते हैं कि 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी चीनी और 10 टिन किरासिन आयेल बेंच दो उसमें हमको 60 [illegible] दे दो, मैं मन्त्री जी का खास आदमी हूं। यदि प्रशासक इन मन्त्रियों को रखने ही हैं तो प्रशासक की जगह प्रशासक मंडल का प्राविधान कर दें। इसमें 10-5 लोगों की एक कमेटी रहेगी उसमें एक एक अध्यक्ष होगा और वह कमेटी का संचालन करेगा। लेकिन प्रशासक मंडल की नियुक्ति न करके जो भी मंत्री रहे हैं अपने खास लोगों को नियुक्ति करके प्रशासक अपने सचिवों के माध्यम से केवल पैसा कमाने का कार्य किया है जनता के हित का कोई कार्य नहीं हुआ है आपके विभाग से जनता का सीधा सम्बन्ध है। अधिकांश चीजें इससे जो सस्ते दर पर उपलब्ध होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। जो भ्रष्ट प्रशासक हैं वह पैसों के लिए सचिवों का स्थानान्तरण करवाते रहते हैं इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासक कब तक चलेंगे। आपके विभाग का कोई भी प्रतिनिधि जो चुनकर आयेगा विभाग में वह जनता के हित में काम करेगा।

यह आपके बगल में जो भूमि विकास बैंक है इस भूमि विकास बैंक में करोड़ों रुपये का घोटाला जो वहां के अधिकारी हैं, किये हैं और वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने इसका पर्दाफाश किया। जांच बैठ गयी और जो करोड़ों रुपये के घपले का मामला था वह प्रकाश में आ गया। हुआ क्या कि उस अधिकारी ने उन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया और सेवामुक्त कर दिया। खुद ही चोरी करें और कोतवाल को डांटें जिसने घपला पकड़ा उसको निलम्बित किया सेवामुक्त किया और जो डकैत हैं, वह पूरे प्रदेश के पैसे को खा करके बहाल हो करके बैठे हैं हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इन कर्मचारियों को पुनः सर्विस में वापस ले लिया जाय और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आर्डर को यह ताक पर रख करके बैठे हैं और वह कर्मचारी दर-दर भटक रहे हैं। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अन्त

माननीय राजीव गांधी के पास गये, तब उनके, प्रधान मंत्री के निर्देश पर पुनः जांच बैठाई गयी और पुनः जांच में उस अधिकारी के ऊपर करोड़ों रुपय का घपला प्रकाश में आया, घपले का पर्दाफाश हुआ। लेकिन आज तक फिर भी मामला दबा है क्योंकि जनतांत्रिक तरीके से समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं, बैंकों के चुनाव नहीं हुए हैं।

आपसे पहले जो मंत्री आए उनको पैसे से मतलब रहा है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, पुराने मंत्रियों को काम से कोई मतलब नहीं रहा, उनसे अधिकारी जो कहते थे, उसे वे मान लेते थे। आपमें राजनीति की ललक है और राजनीति वही आदमी कर सकता है जिसमें जनता की सेवा करने की भावना हो। राजनीति वही कर सकता है जो सक्रिय रूप से जनता की सेवा करना चाहता है, यदि आप चाहते हैं तो तत्काल इस विधेयक को वापस ले लीजिये और तत्काल चुनाव कराने की घोषणा कीजिये। इन शब्दों के साथ में अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

सहकारिता मन्त्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, जो मंत्री जी यह संशोधन लाए हैं एक साल का, क्योंकि अध्यादेश था 30 जून के लिये इसलिये अब 31 दिसम्बर तक का समय इन सहकारी समितियों के चुनाव के लिये ले रहे हैं। मान्यवर, मालूम नहीं पड़ता कि 30 जून तक के लिये कहा कि रिकवरी होगी, कोई अभियान चलाया जायगा, इसलिये चुनाव सम्भव नहीं हैं। यदि 30 जून तक सम्भव नहीं हैं तो फिर आगे यदि 30 जून कहेंगे कि बरसात हो रही है, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, फिर जिला परिषद् के चुनाव होंगे, उसके लिये भी दिसम्बर तक का समय मांगा है, और फिर उसके बाद कहेंगे कि यह नहीं हो सकता है और चुनाव नहीं करा पाएंगे। आप म्युनिसिपलिटी, जिला परिषद् और सहकारी समिति किसी के भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। ऐसे ही कहते रहेंगे आपने दो और चार अप्रैल की तारीख सहकारी समितियों के चुनाव के लिये लगा दी थी लेकिन अब उसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, नीयत साफ करके यह जनतन्त्र की रक्षा की बात कहते हैं, इनकी अगर जनतंत्र में आस्था है, ये महसूस करते हैं कि विधान सभा और मंत्रिमण्डल के जरिये ये नीचे तक के काम कर लेंगे तो यह सम्भव नहीं है। यह कभी सम्भव नहीं हो सकता है।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सहकारी समितियों में आपने नियुक्ति की है प्रशासकों की, मान्यवर, ठीक है आपको अधिकार है नियुक्ति करने की, लेकिन जिस तरीके के लोगों की नियुक्तियां की गयी हैं उनमें से अधिकांश सोसाइटी के मेम्बर भी नहीं हैं और यह भी नहीं देखा गया कि अगर मेम्बर हैं तो वे कहीं बकायेदार तो नहीं हैं। मान्यवर, इसको अवश्य देखा जाना चाहिये था। अगर, वह डिफाल्टर हैं तो उनको सोसाइटी में नहीं लिया जाना चाहिये था। मैं कहना चाहता हूं कि

उन्हीं को नियुक्त करते हैं जो आपके आदमी हैं। हम कहेंगे हमारे इस आदमी को कर दीजिये, नहीं करेंगे इसलिये कहेंगे भी नहीं। लेकिन, कम से कम नियुक्तियों में नैतिकता और सदाचार के सिद्धान्त को तो अपनाना चाहिये था। कम से कम यह तो देख ही लेना चाहिये था उनके ऊपर कोई ऋण तो बकाया नहीं है। उसको आपने देखा नहीं और धड़ाधड़ नियुक्तियां कर दी। प्रशासक जो कार्य भी कर रहे हैं, उसे पब्लिक अच्छी तरह जानती है। भारत में जिस दृष्टि से, जिस भावना से सहकारिता आंदोलन चलाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य चल रहा है वह बिल्कुल ही निकृष्ट स्थिति का दिखता है और उसमें उत्तर प्रदेश का यह एक नमूना है।

मैंने महाराष्ट्र की सोसाइटियां देखी हैं, गुजरात की देखी हैं। वहां सरकारी हस्तक्षेप लेश मात्र भी नहीं है सोसाइटी में। और, वे निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। गुजरात में दूध का तमाम व्यापार कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से होता है और वे सक्सेसफुल हैं। इसी तरह से शुगर मिल्स महाराष्ट्र की सोसाइटीज के हाथ में हैं, वहां सरकारी हस्तक्षेप नाम की चीज नहीं है। लेकिन, यहां प्राइमरी सोसाइटी में भी सरकार के मन का आदमी हो उनका चहेता हो, तब ही सोसाइटी चलेगी। मान्यवर, परेशानी तो कभी-कभी आयेगी ही, कभी कोई बहाना होगा कभी कोई। लेकिन, मेरा निवेदन है कि जब आप चुनाव 2-4 तारीख को करवा ही रहे हैं तो उसको होने दें। यह सोचना कि जो बकायेदार हैं जो कर्जदार हैं उनके कारण चुनाव नहीं हो सकते, यह न सोचें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वसूली के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे होने दें। अंत में मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें और जो चुनाव तय हैं, उनको होने दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बुलाया। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मान्यवर, मुझे खुशी इस बात की है कि यह विभाग अब की दफा एक ऐसे मंत्री के हाथ में आया है जो कि नौजवान हैं और जिसको हम प्यार से मुन्ना कहते हैं। मान्यवर, अगर मुन्ना चाहे ईमानदारी से, जैसा कि वह है भी, तो 30 जून तक इसके चुनाव करा सकता है। मान्यवर, सहकारी समितियों के चुनाव कराना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो समितियों के सदस्य हैं किसी गांव में 10 हैं तो किसी में 50 हैं, तो वोटर लिस्ट बनाने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।

मान्यवर, इसमें एक साल का समय मांगा जा रहा है। मान्यवर, इस महकमे के लोग अच्छे आदमियों को एक महीने नहीं रहने देना चाहते हैं। और, जो गन्दे से गन्दा आदमी है, भ्रष्ट है, उसको इसे सुपुर्द कर देते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने कोई काम किया या नहीं किया हो अपने कार्यकाल में लेकिन, सहकारी समितियों के चुनाव एक साल के अन्दर करा दिये थे। लेकिन, मैं देख रहा हूं कि यह सरकार इसे टाल रही है। जब मैं विधान परिषद् में था तब भी देखता था कि एक विधेयक ले आये मियाद बढ़ाने के लिये और वह प्रक्रिया लगातार चल रही है।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

इसमें भी एक ही साल का समय है।

श्री राम सरन—

मंत्री जी, आपको तो इतनी जल्दी थी कि जो विधान सभा के चुनाव जून में होने चाहिये थे, उन्हें आपने होली से पहले ही करा दिया, होली भी लोगों को ठीक से नहीं मनाने दी। आपके अन्दर तो आग लगी हुई थी इस कुर्सी पर आने की।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अच्छा मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो पुराने लोगों की परवाह मत करो। मैंने सुनील शास्त्री जी से भी कहा था कि यदि आप अपने बाप की परम्परा को कायम करना चाहते हो तो पुराने लोगों से हटकर काम कीजिए और एक नया काम कीजिए ताकि देश में तुम्हारा नाम चले।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन जी आपने जवानों को बुजुर्गों से कैसे अलग कर दिया।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं अपने नौजवान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में जितने भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी थे, उन सभी को अच्छी पोस्टों पर बैठा दिया गया। ए0 आर0 के लिए 50-50 हजार रुपये की रिश्वत माननीय मंत्री ने लिया है। डेली-वेजेज पर काम करने वाले से 300 रुपए रिश्वत के के रूप में लिया है। यह जो पिंजड़ा आपके सुपुर्द कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि आप इसमें एक नई जान डालें क्योंकि सहकारिता एक ऐसा विभाग है जिसे सुधारा भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। मेरा आपसे सर्वप्रथम यह निवेदन है कि जितने भी बेईमान किस्म के अधिकारी इस विभाग में पहले से बैठे हुए हैं, उन सभी का आप इसी महीने में ट्रांसफर कर दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप बदनाम हो जायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो यह संशोधन लाये हैं, उसे वापस ले लें। काम के आगे जाया करते हैं पीछे नहीं।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से चन्द बातें कहना चाहता हूं। श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने इस पर विस्तार से कह दिया है। आपने 31 जून, 1984 को अध्यादेश जारी किया अगर आपकी नीयत होती तो आप 6 महीने में इन समितियों का चुनाव करा देते तो यह 31 जुलाई तक यह बंध हो जाता। इस बीच में आप चुनाव करा सकते थे। परन्तु आज उसके लिए आप यहां पर विधेयक लाये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आप साल भर तक इन समितियों का चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। आपने ड्रामा किया और कहा कि बैलेट बाक्स तैयार करा लीजिए और समिति के सदस्यों की लिस्ट ठीक करा लीजिए, समितियों का चुनाव होने वाला है। कल ही आप जायेंगे और कहेंगे कि एक साल और चुनाव नहीं हो सकते हैं।

मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता हूं यदि आप इजाजत दें तो कुछ लोगों के नाम लूं। इस सहकारिता आन्दोलन में बनारसी दास और बच्चा पाठक जैसे लोग सब माल खा गये और आपके लिए पत्तल छोड़ गये।

श्री अधिष्ठाता—

आपको नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री गौरी शंकर भइया—

मेरे जिले में सचिव की नियुक्ति हेतु 5 हजार रुपए का रेट फिक्स है, जो तौलता है, उसकी नियुक्ति हेतु मेरे जिले में 2 हजार रुपए का रेट फिक्स है। लेकिन मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि जो सहकारिता के आंदोलन से जुड़े लोग नहीं हैं, अगर राजनैतिक

कार्यकर्ता हैं तो आप उन्हें इसमें रख लीजिए, इनका उन्हें प्रशासक बना दीजिए । भले ही वे आपके ही दल के लोग हों । यदि आप और उदार हो सकें तो जो एम० एल० ए० हैं, और उनके क्षेत्र में आप कमेटी बनाना चाहते हैं तो, वहां के एम० एल० ए० की राय भी ले लें । चोर, भ्रष्ट व नालायक लोग जो प्रशासक बना दिये गये हैं । यदि आप भोजपुरी में सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार है ए-भाई ए चोर बेईमान हाटि हान के हटइब कि ना तइसनी के हटाद ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन गुन्डों बदमाशों से, जो बलिया में बूथ कैपचरिंग का काम करते हैं, राजीव जी ने एक अच्छा काम किया, आप तो कुछ कर सके नहीं उन्होंने उनका टिकट काट दिया । तो आप मेहरबानी कर के ऐसे लोग जो गुन्डई को प्रश्रय दे रहे हैं, उनको इन समितियों से, मुक्त करें, उनसे उत्तर प्रदेश की जनता का गला छुटा दें । विदेश में आप हमारे साथ थे, क्यूबा में, अगर आपमें जोश है, हौसला बाकी है तो आप को फैसला देना होगा । अपने काशीनाथ मिश्रा जी इसका फैसला लेना चाहते थे लेकिन उन गुन्डों को हटा नहीं पाये । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कम बेईमान हैं, कम चोर-बदमाश हैं, ऐसे लोगों को आप इसमें रखें । यही मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, जो संशोधन सहकारिता मंत्री जी लाये हैं, मैं इसका घोर विरोधी हूं । मान्यवर, इस कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग को 1976 के 19 अप्रैल और 25 जून, दो तिथियों में उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 31, 34 35, 37 में संशोधन करके सहकारिता विभाग को सहकारिता विभाग नहीं रहने दिया । यह सरकारिता विभाग हो गया है । सहकारी आन्दोलन या सहकारिता की डिफिनीशन क्या है ? अगर इसको देखें, तो उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग इसमें आता ही नहीं। यदि हमारे नवयुवक मंत्री जी, जो पहले संशोधन कर के सहकारिता विभाग को सरकारिता विभाग कर दिया गया है, अगर इसको फिर से बदल कर सहकारिता विभाग बनाने का संशोधन लाये होते तो मैं उनका स्वागत करता । श्रीमन्, संशोधन के माध्यम से कार्यकारिणी समितियों को 80-81 में भंग करके आज तक लगातार समय बढ़ाया जा रहा है । चुनाव कराने के लिये वर्ष 1982 मार्च में बजट के समय इसी सदन में श्रीमन्, तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एक वर्ष के अन्दर चुनाव करा दिये जायेंगे प्रोसिडिंग्स हैं, देख सकते हैं । वर्ष 1982 के मार्च से लेकर आज तक वह एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है । 30 जून तक अध्यादेश था जो ऐक्ट ला रहे हैं उसमें 31 दिसम्बर कर रहे हैं । अप्रैल में जो चुनाव हो जाने चाहिए थे । यही एक ऐसा समय था जब सही रूप में चुनाव हो सकते थे । यह सही है कि जून में आपकी वसूलियां शुरू हो जायेंगी, जून में चुनाव करा नहीं सकते । अप्रैल में चुनाव होते तो 25 अप्रैल तक समाप्त हो जाते । चूंकि 30 जून के बाद बरसात शुरू हो जायगी, बाढ़ आने लगेगी, उसके बाद गेहूं...

(व्यवधान)

गेहूं की बुआई शुरू हो जायगी । जुलाई में बरसात रहेगी, बाढ़ रहेगी, चुनाव करा नहीं पायेंगे नवम्बर-दिसम्बर में करा नहीं पायेंगे फिर जनवरी-फरवरी आ जायगी । तो यही एक समय था जब समुचित रूप से चुनाव करवाये जा सकते थे ।

मैं इससे कत्तई सहमत नहीं हूं कि जो माननीय मंत्री जी इसका 31 दिसम्बर तक समय बढ़ा रहे हैं इसमें यह चुनाव करवा पायेंगे । मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं माननीय

मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि बजाय इस संशोधन के यदि वह दूसरा संशोधन लाये होते तो उसका स्वागत किया जाता ।

श्री समर पाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आदर्श स्थिति तो यही है कि चुनाव होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां मजबूर करती हैं कि इसका अपवाद भी हो । पिछले मंत्रि-मन्डल के मंत्रित्व काल में क्यों चुनाव नहीं हुए, यह तो मैं नहीं बता सकता । मैं कोआपरेटर होने के नाते और मेरे मित्र श्री दिवाकर विक्रम सिंह भी कोआपरेटर रह चुके हैं, वह भी जानते हैं कि यह कोआपरेटिव के सबके हित में है । सब जानते हैं इस बात को कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने में और समाप्त करने में कितना समय लगता है । प्राथमिक कार्यवाही में ही एक-दो महीने का समय लग जायेगा और उनका एक साल समाप्त हो जायेगा । मेरे मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जुलाई से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो दिसम्बर तक सारी समितियों के चुनाव हो जायेंगे । प्राथमिक समितियां, केन्द्रीय समितियां आदि सभी समितियों के चुनाव हो जायेंगे । मुझे अपने माननीय मंत्री जी की नीयत पर बिल्कुल सुबहा नहीं है कि वे चुनाव नहीं करवायेंगे । परिस्थिति विशेष के कारण वह केवल समय मांग रहे हैं । कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता कि वे चुनाव न करवायें । जो सहकारी सदस्य चुने जायेंगे उनको तीन साल का पूरा समय अपने कार्य को समाप्त करने के लिए मिलेगा ।

मैं कुछ माननीय सदस्यों के इस आरोप से बिल्कुल असहमत हूं कि सहकारी समितियों में सब गुन्डे और बदमाश भरे हुए हैं । यह एक ऐसा ब्लैंकेट रिमार्क है जिसकी भर्त्सना करना चाहिए समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं, शरीफ भी और बदमाश भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो चुनाव से आयेंगे सब शरीफ ही होंगे । हम यहां देखते हैं कि इस विधान सभा में कितने ही ऐसे लोग आये हैं जो जेलों में रह चुके हैं । जिनके चुनाव से जीतकर आने वाले आदमी होंगे, सब भले होंगे, यह आप नहीं कह सकते । मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं । नम्बर दो बात यह है कि सहकारिता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी हर आदमी आलोचना कर सकता है । कहीं पर कम्पनी एक्ट के साथ ऐसा होता है तो उस पर कोई आलोचना नहीं करता है क्योंकि वहां पर तो पहले ही शपथ ले ली जाती है । सहकारिता की तो खुली किताब है जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार सभी लोग कुछ न कुछ कह देते हैं । मैं अपेक्षा करूंगा अपने माननीय सदस्य से कि वे इस बात पर जरा जिम्मेदारी से बात करें और इस तरह गुन्डा और बदमाश कह देना ठीक नहीं है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसे आप चुनाव के जरिये लायें वह ठीक ही काम करें और जिसे शासन नियुक्त करे वह ठीक न हो, ऐसा नहीं हो सकता । प्रशासक जनता के प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं न कि सरकारी अफसर हैं । मेरे मित्र जब कोआपरेटर थे शायद उन्होंने भी यह प्रस्ताव किया था कि फेडरेशन का चेयरमैन केन कमिश्नर हो ।

सारे उत्तर प्रदेश में जितने भी अध्यक्ष हैं, सब चुने हुए आदमी हैं । इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिम्मेदारी के साथ जुलाई से चुनाव प्रारम्भ करा दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

अभी एक सदस्य बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रशासकों में गुण्डे और लफंगे नहीं हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं । जो मन्त्री पद की शपथ

लेगा, वह असत्य नहीं बोलेगा, ऐसा ही समझता हूं। अगर ऐसा है तो भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री काशी नाथ मिश्र जी की कही बात की जांच करवा लें। अगर सारे देवरहवा बाबा हों तो बात और है। कहने का अर्थ यह है कि जो लफंगे हों, गुन्डे हों, चोर हों, जिनके खिलाफ पुलिस में केसेज दर्ज हों, उनको हटवा दीजिये, अगर सही हों तो रखिये, यही मेरा कहना है। अगर मन्त्री जी कह दें कि मैं बेईमानों को हटा दूंगा तो मैं संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री त्रिलोक चन्द—

मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं। सभी को मैंने गुन्डे और बदमाश नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि जिसकी छवि खराब हो, उनको हटाने की बात थी। जैसा रजिस्ट्रार ने निश्चित कर दिया है, चुनाव 2 और 4 अप्रैल को विधिवत होने दें।

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को और सम्मानित सदन के जो भी साथी इसमें अपनी इच्छा या जिज्ञासा व्यक्त किये हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आदमी को आशान्वित होना चाहिये, निराश भावना से किसी भी चीज का विकल्प तय नहीं होता। आस्था बनी रहनी चाहिये, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि चुनाव हो ही नहीं सकते, तो मैं कहता हूं निश्चित ही चुनाव होगा। मैं इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो अवधि मांगी है, उसके अन्दर ही चुनाव सम्पन्न हो जायगा। कुछ प्रशासनिक अड़चनें भी, लोक सभा के चुनाव हुए, विधान सभाओं के चुनाव हुए। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि सहकारी वर्ष का यह अन्तिम त्रैमासिक स्वरूप है, ऋण की अदायगी और वसूली के लिये अभियान इस समय तेज चलाया जाता है, उसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण की अदायगी हो जाय और जो भी सम्मानित सदस्य इस चयन की प्रक्रिया में आना चाहते हैं, वे छोटे से लम्हों के लिये भी अपने चयन की प्रक्रिया से कहीं वंचित न रह जायं, डिफाल्टर लिस्ट में न आ जायं, थोड़ा मौका और हो जाय और चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोगों को पूर्ण रूप से सही ढंग से शिरकत करने में पर्याप्त समय मिल सके।

अभी कुछ नये ब्लाकों का सृजन हुआ है जिसके कारण अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जैसे श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने कहा है कि उनके यहां की क्षेत्र समितियां कट कर इधर और उधर चली गयी हैं। यह इसी कारण से हुआ है। उनका लिमिटेशन करा कर चुनाव कराये जायेंगे, इसीलिये समय बढ़ाने की मांग की गयी है।

जो भी हमारे साथी हैं इस सदन में जैसे श्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा यह विभाग कंकाल रह गया है और यह विभाग जर्जर हो गया है। आदमी को कभी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिये। यदि सहकारिता विभाग में समय के साथ कुछ कमियां आ गयी हैं, तो जिम्मेदारी के साथ उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिये। सहकारिता आन्दोलन प्रदेश में सहकारिता को गति देने का प्रयास करेगा। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जो आप उदाहरण दे रहे हैं गुजरात का, महाराष्ट्र का उसके अनुरूप सहकारिता विभाग को बनाने के लिये हम और आप शासन को सहयोग दें। मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं कि यदि आपका स्नेह, प्रेम एवं सहयोग मिलते रहेंगे तो सहकारिता आन्दोलन को बल मिलेगा। इस विभाग में जो गड़बड़ियां आ गयी हैं उनको दूर करने के लिये हम सहायक हो सकेंगे। इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें तथा सहकारिता आंदोलन को बल दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण आपस में बराह-रास्त बातें न करें, जब मैं यहां बैठा हुआ हूं तो मेरे माध्यम से अपनी बात को कहें ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि सहकारी समितियां घाटे में हैं तो जिनके कारण यह हानि हुई है, उनसे यह पूरा करने का वादा करते ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 2, 3, 4, खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खन्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे । धारा 35 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27, सन् 1984

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खड 2 से 4 तक, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

श्रीअरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985†

श्री गौरी शंकर भइया—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मुझे इस बात की खुशी है कि किसी स्टैपनी को यह काम नहीं दिया । मैं तीन दिनों से एक निवेदन कर रहा हूं जिस दिन यह विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश यहां सदन में टेबुल किया जा रहा था, उस दिन भी मैंने इसका विरोध किया और जब वह बिल लाया गया तब भी मैंने सदन में विरोध किया और आज भी बड़े दुख के साथ विरोध में कहना पड़ रहा है । यों तो देखने में यह बड़ा अच्छा है जिस बात के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक समय-समय

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृ0 155 पर)

से मांग कर रहे थे कि उनकी प्रोन्नति के नियम आसान बनाये जायें उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने उधर ध्यान दिया। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का जो झगड़ा था कि प्रोन्नति आसान हो, उसके लिए यह अध्यादेश लाये। लेकिन जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं आपने कार्यवाही में पढ़ा होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें तीन अध्यापकों को सुविधा हो सकती है लेकिन जो विद्यालयों के अध्यापक हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं गया है 33 हैं उनकी तरफ भी आपकी तवज्जह जानी चाहिये। श्रीमन्, आप इस विधेयक की धारा 31 क-(1) को देखें "इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जायं, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।"

यह काम आपने किया, लेकिन जो काम आपने नहीं किया उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके पूर्व जो शिक्षा मन्त्री थे या ज यहां पर लेडी बैठी हुई हैं उनके जमाने में डिग्री कालेजेज के अध्यापकों की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी और उन्होंने एक बड़ा लम्बा चौड़ा जुलूस निकाला था और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने जाकर गांधी जी के स्तूप के पास उनके बीच बैठ कर उनको आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करने का काम किया जायेगा। उसके बाद माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री हुए उन्होंने भी उनसे बात की। उन अध्यापकों की मांग थी कि योग्यता के आधार पर, नियुक्ति की तिथि के आधार पर उनकी प्रोन्नति को आसान किया जाय। हमें दुख है कि दुबारा यह विधेयक लाया गया लेकिन डिग्री कालेजेज के अध्यापकों को जिन पर पढ़ाई का भार अधिक पड़ता है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

यूनिवर्सिटी से डिग्री कालेजेज के अध्यापकों पर पढ़ाई का दबाव ज्यादा पड़ता है। यह दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी एक केन्द्र बिन्दु हो जाती है जहां पर सारी सुविधायें केन्द्रित होती हैं जो वी० सी० होता है उसको ज्यादा ताकत रहती है। लेकिन गांवों में डिग्री कालेजेज में जो अध्यापक होते हैं उन पर दबाव ज्यादा रहता है उनके पीटे जाने की स्थिति भी रहती है तथा बेइज्जत होने की स्थिति भी रहती है। तो अगर वह किसी मांग को उठाते हैं, तो वह उचित है। आज जो इस विधेयक में सुविधा देने की कोशिश की जा रही है उसमें उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जोर देकर कहूंगा इसमें उनको भी सुविधा मिले। हालांकि जब खंडशः विचार होगा उसमें जहां विश्वविद्यालयों के लिए किया गया है उसमें महाविद्यालयों को भी जोड़ने के लिए हमने संशोधन दिया है लेकिन मैं जानता हूं उसमें वह नहीं कर पायेंगे। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो इसमें ज्यादा व्यय आने वाला नहीं है। आप इस बिल को गम्भीरता से लें, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। डिग्री कालेजेज के टीचर्स को भी इस तरह से प्रोन्नति का लाभ दिया जाय, जिस तरह से आप विश्वविद्यालय के अध्यापकों को देना चाहते हैं। इसलिये इसमें जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं।

मान्यवर, यह धारा 50 का संशोधन करना चाहते हैं, इसमें पहले

धारा थी "उत्तर प्रदेश राज्य विश्व-विद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50 में राज्य सरकार को राज्य विश्व-विद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां बनाने और 31 दिसम्बर, 1984 तक उसमें संशोधन करने की भी शक्ति प्रदान की गयी है। चूंकि आज तक जो शिक्षा मन्त्री यहां हुये वह विश्व-विद्यालय में सुधार और सुविधा की बात करते रहे और बैठ कर मौज करते रहे, यह विश्वविद्यालयों में सुधार की उनमें क्षमता नहीं थी कि कैसे सुधार करें। और आज जबकि इनके प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी शिक्षा में परिवर्तन और आयोग बैठाने की बात करते हैं, उसके बावजूद मौजूदा मन्त्रि मंडल सुधार की बात के लिये 6 महीने का और समय हाऊस से चाहता है, यह नितांत भ्रामक है, इसलिये 6 महीने का समय नहीं एक-दो महीने का तो किया जा सकता है। इसलिये तत्काल प्रधान मंत्री जो अमलीजामा पहनाना चाहते हैं जिससे दोनों में परिवर्तन हो जाये। इसलिये मैं दोनों चीजों पर बल देते हुए अनुरोध करता चाहता हूं कि इनका यह विधेयक पूर्ण नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण रूप से विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को इसमें नहीं रखा है, इसलिये मेरे अननुमोदन का प्रस्ताव पारित किया जाय और दुबारा ऐसा विधेयक लायें जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से सम्बद्ध हो और बराबर को सुविधा देता हो तभी हाऊस में मान्यवर, टेबिल करने की इजाजत मिलनी चाहिए।

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

शिक्षा मन्त्री जी, आप कुछ कहेंगे।

श्री सिब्ते रजा—

बाद में कहूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन) विधेयक 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

श्रीमन्, मन्त्री जी यह संशोधन विधेयक लाये हैं कि प्राध्यापकों को उपाचार्य के पद पर और उपाचार्यों को आचार्य के पद पर समयबद्ध पदोन्नति दी जायेगी और प्रतिबन्ध लगा दिया है कि इसका प्रभाव जो सीधी भर्ती होगी, उस पर नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, एक तो विधेयक पर पूरा खर्च करके विधेयक लाये और माननीय सदस्यों को भ्रम में डाल रहे हैं। एक तरफ लालच दिखला रहे हैं जिससे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक और उपाचार्य प्रसन्न हो जायें कि हमारे प्रोमोशन के लिये सरकार चिंतित है, लेकिन वहीं सरकार कहती है कि इसका प्रभाव सीधी भर्ती पर नहीं पड़ेगा। तो सरकार अपनी मनमानी करेगी और जब किसी प्राध्यापक को उपाचार्य होना होगा लेकिन इनका कोई खास आदमी होगा तो उसकी योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती कर देंगे। यदि किसी उपाचार्य का प्रोमोशन ड्यू होगा और इसका कोई खास आदमी होगा तो उसको यह आचार्य के पद पर तुरन्त नियुक्त कर देंगे। इस तरह से यह विधेयक लोगों को भ्रम में डालने वाला है। और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। या तो सीधी भर्ती वालों को ही लाभ देते। पूरा इनका शिकंजा विश्वविद्यालय पर हावी हो जाए, वह स्वतन्त्र बाडी न रह जाय, इसलिए इन्होंने इसमें ऐसा प्राविधान कर दिया है कि डायरेक्ट भर्ती का इस पर असर नहीं पड़ेगा।

यदि आप इस प्रकार का बिल लाते जो सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र के लिये होता यानी टीचर, अध्यापक, लेक्चरार, प्रोफेसर, उपाचार्य और आचार्य सबको इसमें शामिल करते। उपाचार्य और आचार्य को तो आपने कर दिया, लेकिन नीचे के टीचर्स को कोई लाभ नहीं हुआ है, लेक्चरार को कोई लाभ नहीं हुआ है इस विधेयक से। वे सभी लाभ से वंचित रह जाते हैं। इससे केवल दो श्रेणी के लोग लाभान्वित होंगे और वह भी यदि उस पर आपका शिकंजा पड़ा तो वह भी पिसकर रह जाएंगे। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है, क्योंकि विश्व-विद्यालयों में उपाचार्य और आचार्य की प्रोन्नति का मामला ही नहीं है, लेक्चरार तथा प्रोफेसर को भी प्रोन्नति देनी है। कई-कई प्रोफेसर जिसकी एक ही योग्यता है और प्रमोशन ड्यू है, उनको आप कैसे प्रोन्नत कर सकेंगे। दोनों उपाचार्य अगर प्रमोट होने होंगे तो आप उसको कैसे करेंगे, यदि दोनों उपाचार्य एक से हैं, एक ही नियुक्ति की तिथि है और एक ही योग्यता आदि है। उनके बीच से आप कैसे करेंगे ?

आज अधिकांश विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित हैं, नियमित नहीं हैं, परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं हो रही हैं और न उसमें पढ़ाई नियमित रूप से हो रही है। उपाचार्य और आचार्य की आपको चिन्ता हो गई, छात्रों की चिन्ता कौन करेगा। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि सत्र नियमित हों, परीक्षाएं नियमित हों, कि छात्र समय पर पास हों और समय पर पुनः कहीं पर प्रवेश लें। इन तमाम बातों के साथ जो इसमें तमाम त्रुटियां रह गई हैं और जो सरकार ने अपना शिकंजा इस पर बरकरार रखा है, उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि इसको आप वापस लें, और बाद में इसको शिक्षा शास्त्रियों से जानकारी करके अच्छे बिल के रूप में यहां ले आवें। इसलिए मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं विधेयक के उद्देश्य और कारण के पहले पैराग्राफ में जो दिया गया है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि—राज्य के विश्वविद्यालयों के अध्यापक काफी समय से उच्चतर पदों पर समयबद्ध पदोन्नति के लिए सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। उनकी इस मांग पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को, उनकी अनुमोदित, पूर्णकालिक, नियमित और निरन्तर सेवा की विहित अवधि के पूरा होने के पश्चात् और सरकार द्वारा विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति का लाभ दिया जाय।" उद्देश्य और कारणों में यह दिया गया है। किन्तु संशोधन जो है उसमें अध्यापकों की बात कहीं नहीं कही गयी है। उद्देश्य और कारण में जो दिया गया है उसके अनुसार प्रस्तावित धारा 31-क की उप धारा (1) की चौथी पंक्ति में, मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक के पहले यदि अध्यापक शब्द जोड़ दिया जाता और जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जायं, क्रमशः प्राध्यापक उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है। मान्यवर, यदि यह होता तब तो जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उससे कुछ मेल खाती। बात अध्यापकों की मांग को लेकर की गयी है और जो संशोधन लाया गया है अध्यापकों को उससे कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है।

प्रोफेसर और उपाचार्य को आप सुविधा देते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अध्यापकों के आन्दोलन से

प्रभावित होकर आप यह संशोधन विधेयक लाये हैं। इसलिये मंत्री जी की मंशा पर मुझे किसी प्रकार का शक नहीं है लेकिन जो उनकी नियत है, भावना है संशोधन लाने की, मान्यवर इस संशोधन से वह पूरी नहीं होती। इसलिये ज्यादा समय न लेकर मैं चाहूंगा कि जो उद्देश्य और कारण में आपने दिया है और जिस भावना से प्रेरित होकर यह संशोधन विधेयक आप लाये हैं वह पूरी तरह से सार्थक हो इसके लिये आवश्यक है कि या तो आप इसे वापस लेकर फिर समुचित संशोधनों के साथ इस विधेयक को लायें या जैसा माननीय सदस्य, बलिया ने कहा इसको प्रवर समिति को दे दें ताकि जो आपकी मंशा है वह पूरी तरह से चरितार्थ हो सके और सारे लोगों को जिनको आप लाभ देना चाहते हैं वह लाभांवित हो सकें।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आपका भी इसकी चिंता है कि पूरे शिक्षा जगत में काम करने वाले लोगों के लिये एक तरह की सहूलियतें दी जायं। जैसा कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में दिया जाता है, बहुत दिनों से उन अध्यापकों को जो विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं उनकी मांग थी, बुनियादी तौर पर जो भी अध्यापक हैं, जो पढ़ाने के काम में हैं, चाहे वह प्राइमरी स्कूल के हों या चाहे यूनिवर्सिटी के हों, गुरु, अध्यापक, उस्ताद की श्रेणी में लिये जायेंगे। मान्यवर, इसी भावना को देखते हुए कि पर्सनल प्रमोशन की कोई व्यवस्था इसमें सन् 73 का जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे जो लेक्चरार हैं, उपाचार्य हैं और प्राचार्य हैं, उनको पदोन्नति मिल सके इसलिये यह व्यवस्था की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन ने बड़ी सहानुभूति-पूर्वक विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसी व्यवस्था सारे लोगों पर देनी चाहिये जो विश्वविद्यालय में काफी दिनों से काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ वह स्टैंडर्ड जो सेलेक्ट कमेटी का था, वह भी बनाये रखने की कोशिश की गयी है।

मान्यवर, अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिये हमने अक्तूबर, 1984 में एक अध्यादेश के जरिये इसकी प्रस्तावना को और उसके पश्चात् उसी के जरिये हमने इसमें एक ऐसा प्रावधान लाने का यहां पर प्रस्ताव रखा है जिससे कि पर्सनल प्रमोशन की व्यवस्था हो जायगी।

मान्यवर, ये तमाम अध्यापकों के हित के लिए ही यह संशोधन लाया गया है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनसे मेरा मतलब है।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

इसमें अध्यापक शब्द लिखा ही नहीं गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य पहले बोलने दें, उसके बाद जो बात हो, तब पूछ लें।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, ये बोल क्या रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप उन्हें बोलने दें।

श्री सिब्ते रजी—

जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, उनके अध्यापकों के लिए लागू होना चाहिए, तो मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रोफेसर और रीडर के पद नहीं हैं। इसलिए इसका कोई रिश्ता बनता नहीं है। यह एक अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, हिन्दी में संशोधन लाये हैं, आप प्रोफेसर और लेक्चरर शब्द का हिन्दी बता दें।

(व्यवधान)

श्री सिब्ते रजी—

आचार्य, उपाचार्य।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

प्रोफेसर की हिन्दी क्या है और लेक्चरर की हिन्दी क्या है?

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शान्त रहिये। माननीय शिक्षा मंत्री को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, लेक्चरर की हिन्दी बता दें।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया उनको बोलने दें और शांति बनाये रखें।

श्री सिब्ते रजी—

लेक्चरर की हिन्दी प्रवक्ता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात कही है, उससे हम पूरी तरह से अपने को जोड़ने की कोशिश करेंगे। विश्वविद्यालय, यू० जी० सी० में जो हैं, वहां पर जो भी फैसला होगा, उसको हम लागू करेंगे। जहां तक इसे प्रवर समिति में भेजने की बात हमारे माननीय सदस्य ने कही है, मैं समझता हूं कि यह अब इस स्तर की कोई बात नहीं रह गई है और शासन ने तमाम पहलुओं पर गौर कर लिया है, जिसके बारे में आपने चिन्ता व्यक्त की है। आपने यह कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों पर अंकुश कराती जा रही है, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की पूरी स्वायत्तता बनी रहे और उसको बनाये रखने के लिए हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मान्यवर, यह जो संशोधन है, कृपया इसे आप वापस लें।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे कोई भाषण नहीं करना है, एक निवेदन मैं माननीय मंत्री से करना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि प्राध्यापक जो होंगे, उनको भी हम सुविधा देंगे। तो मान्यवर, इस विधेयक को आप देख लें कि इसमें लेक्चरर को सुविधा देने की बात है ही नहीं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपकी लेक्चरार को सुविधा देने की मंशा है तो आप विधेयक में एक शब्द बढ़ाने की कृपा करें।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, यह व्यवस्था है कि जो हमारे प्राध्यापक हैं उनको उपाचार्य के पद से रीडर होने की पूरी व्यवस्था है।

(व्यवधान)

[समय 3 बजकर 57 मिनट]

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी खुद विधेयक को पढ़कर नहीं आए हैं और इनको मालूम ही नहीं कि विधेयक में किस चीज का प्राविधान किया गया था। विधेयक में साफ लिखा गया है कि प्रोफेसर, उपाचार्य आचार्य इन्होंने प्राइमरी स्कूल से विश्वविद्यालय तक कह दिया है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि माननीय मंत्री जी की प्रवर समिति में भेजने की मंशा है। यह चाहते हैं कि जो लाभ यह देने जा रहे हैं। वह सारे टीचर्स को, प्रोफेसर को, रीडर्स को, उपाचार्य को दिया जाए, इनके मन के विरुद्ध यह विधेयक रखा गया है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा-संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 में नयी धारा 31-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात :—

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

"31-क—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी इतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जायं, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जायं, दी जायगी।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

श्री गौरी शंकर भइया--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 के खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 31-क की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "विश्वविद्यालय" के पश्चात् शब्द "एवं सम्बद्ध महाविद्यालय" रख दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 के खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 31-क की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "विश्वविद्यालय" के पश्चात् शब्द "एवं सम्बद्ध महाविद्यालय" रख दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर भइया--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 के खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 31-क की उपधारा (2) को निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 के खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 31-क की उपधारा (2) को निकाल दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

3--मूल अधिनियम की धारा 50 में, :-- धारा 50 का संशोधन

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक '31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1984 और संख्या 28 सन् 1984

4-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

(2) धारा 2 दस अक्तूबर, 1984 को और धारा 3 इकतीस दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सिब्बे रजी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय 6 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

चुनार-मिर्जापुर में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मद संख्या 36 पुकारे जाने एवं किसी मन्त्री के खड़े न होने पर ।)

श्री मान्धाता प्रसाद पाण्डेय—

कोई मन्त्री वक्तव्य के लिये तैयार नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

[प्रदेश में सार्वजनिक फेरीज का प्रबन्ध नार्दर्न इंडिया फेरीज एक्ट, 1878 के अनुसार किया जाता है, जो केन्द्रीय अधिनियम है । फेरीज नियमानुसार पट्टे पर दी जाती है जिसके इकरार-नामे के साथ लगे मैनुअल फार्म 28 के परिशिष्ट-3 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार "घाट के जरिये नदी पार करने वाले ऐसे सब व्यक्ति, मवेशी और गाड़ियां जबकि वे जिला बोर्ड द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्य में लगे हों या भेजे गये हों, एवं काश्तकार मय अपने मवेशियों और औजारों के (जिनमें शक्कर के मिल इत्यादि सम्मिलित हैं,) लकड़ी काटने

नोट :—[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

वाले, घास काटने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे और इसी प्रकार के उन लोगों को, जिन्हें अपने काम की वजह से ऐसी शर्तों पर जो प्रत्येक दशा में मजिस्ट्रेट या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा निर्धारित कर दी गयी हों, रोजाना नदी पार करना पड़ता है" घाटकर देने से मुक्त हैं। इस प्रकार के जो लोग नियमानुसार फेरीज पर घाटकर देने से मुक्त हैं उनकी सूची घाट पर लगी रहती है।

2--यदि प्रश्नगत पान्टून पुल को पथकर से मुक्त घोषित किया जाता है तो इसे वर्षा काल में विभागीय प्रणाली द्वारा सुरक्षापूर्वक चलाने के लिये तुरन्त दो शक्तिशाली पावर चार्ज की आवश्यकता होगी जिससे क्रय पर लगभग 10 लाख रुपये का व्यय भार आयेगा तथा इसको चलाने एवं वार्षिक मरम्मत के लिए लगभग पचास हजार रुपय प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नीलामी द्वारा ठेकेदार से जो धनराशि पट्टे के रूप में शासन को प्राप्त होती है उससे भी शासन को वंचित होना पड़ेगा। जहां तक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार चुनार के पीपे का पुल पथकर समाप्त करने तथा पिछले 5 वर्षों से सविनय अवज्ञा आन्दोलन में लगे दर्जनों मुकदमों को समाप्त किये जाने का प्रश्न है, इस विषय में विनम्र निवेदन है कि आवश्यक विवरण अधीनस्थ कार्यालयों से मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

3--इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत फेरी को जन आन्दोलनों को दृष्टि में रखते हुए कर मुक्त किया जाता है तो प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अन्य फेरीज को कर मुक्त किये जाने की मांग होने लगेगी एवं जन आन्दोलन का क्रम आरम्भ हो जायेगा और यदि इन सभी जन आन्दोलनों का सम्मान करते हुए प्रदेश की सभी फेरीज को कर मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया तो शासन के सम्मुख राजस्व की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि फेरी के निकट निवासी तथा वे व्यक्ति जो दैनिक कार्य से रोजाना नदी पार करते हैं नियमानुसार कर मुक्त हैं जिनकी सूची घाट पर लगी रहती है।]

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, वाराणसी डिवीजन में रामनगर में गंगा पर जो पीपे का पुल है उस पर पथकर माफ है तो फिर चुनार में गंगा पर बने पीपे के पुल का पथकर न माफ करने का क्या कारण है। जबकि उसका जो लागत है वह पथकर से वसूल हो चुका है।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा --

मान्यवर, वक्तव्य में दिया हुआ है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार चुनार के पीपे के पुल का पथकर समाप्त करने तथा पिछले 5 वर्षों से सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में लगे दर्जनों मुकदमों को समाप्त किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विवरण अधीनस्थ कार्यालयों से मांगा गया है। जैसे ही सूचना आ जायेगी, विचार किया जायेगा। जो माननीय सदस्य ने रामनगर के पुल का जिक्र किया है उसके बारे में यह कहना है। यह पुल मान्यवर, 1-12-71 से टोल के लिए शुरू हुआ था और इसके बाद इसको पी0 डब्लू0 डी0 चला रहा है पी0 डब्लू0 डी0 इसका पूरा भार वहन करता है। इसके पूर्व इसका काशीनरेश से सम्बन्ध था और जब सवाल आ गया है कि विभाग इसको चला रहा है जो पूरा व्यय होता है वह विभाग का होता है तो इस तरह से अगर सारे जन आन्दोलनों को ध्यान में रखते हुए उन पर पथकर समाप्त कर दे तो एक बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी और खर्चा चलाना मुश्किल हो जायेगा।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे जिन लोगों पर सविनय अवज्ञा के मुकदमे चल रहे हैं उनकी अवधि क्या है। क्या एक माह के अन्दर इन सारे मामलों पर शासन निर्णय ले लेगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के बाद चुनार के पीपे के पुल का पथकर समाप्त करने तथा पिछले 5 वर्षों में सविनय अवज्ञा आन्दोलनों को समाप्त किये जाने का प्रश्न है इसमें मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना मांगी गयी है जैसे प्राप्त होगी उस पर निर्णय ले लिया जायगा।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, यह कमिश्नर की देख-रेख में होता है। रामनगर में काशीनरेश हैं राजाओं को इन्दिरा जी ने खत्म कर दिया आज कोई राजा नहीं है। रामनगर के पीपे का पुल है उसी डिवीजन में पीपे के पुल का पथकर माफ है तो क्या कारण है कि चुनार में उसी डिवीजन में उसी कमिश्नरी के अन्तर्गत उसी कमिश्नरी में जब कि आप कुछ लोगों को माफ किये हैं मान्यवर, आपको ध्यानाकर्षित करते हुए बता रहा हूं कि उससे भी वसूल किया जाता है नतीजा के तौर पर अब कोई ऐसी बुनियाद नहीं रह गयी है स्वयं पंडित जी का चुनार विधान सभा क्षेत्र पड़ता है। अगर राम नगर में पीपे के पुल का पथकर माफ हो गया तो चुनार में भी पीपे के पुल का पथकर माफ करने का कष्ट करें।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो बात कही है वह क्षेत्रीय दृष्टिकोण से अवश्य विचारणीय है लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा श्रीमन्, आपके द्वारा अपने अन्य माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह जो प्रदेश में आवश्यकता है उसके अनुरूप सोचना है। अगर हम आधुनिक ढंग नहीं अपनायेंगे सड़कों के अनुरूप पुलों के अनुरूप तो हम पिछड़ जायेंगे यदि हम अन्य प्रदेशों को देखें तो पायेंगे कि अच्छी सड़कें और अच्छे पुल बढ़ रहे हैं उद्योग बढ़े रहे हैं। वही समय हमारे प्रदेश में भी आ गया है अगर नहीं आया है तो भविष्य में आ रहा है जो हमारी ग्रांड ट्रंक रोड है उसमें 12 हजार ट्रकें चलती हैं। इसलिये मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि वह पथकर का जो प्रस्ताव है वह समाप्त तो नहीं करता हूं लेकिन हम लोगों पर जो दबाव पड़ता है उस पर अवश्य विचार करें।

श्री यदुनाथ सिंह—

आवागमन में कोई पैसा नहीं लगना चाहिये। यह निश्चित रूप से एक प्रकार का जजिया कर है।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

मान्यवर, मैं अनेक समाजवादी देशों में हो आया हूं और मैंने वहां पर भी यही देखा है। पहले नहीं गया था तो मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। यदि नयी तरह की सड़कें, नयी तरह की सुविधाएं प्राप्त करनी हैं तो फिर उसके लिये योगदान तो देना ही पड़ेगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा उसके बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उनका यह मत तो सही है कि मजबूत सड़कें होनी चाहियें, पुल होने चाहिये, यह सही है कि विदेशों में सब काम मशीनों से होता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां मैन पावर बहुत ज्यादा है, यहां अगर इतनी ज्यादा मशीनें इस्तेमाल होंगी तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। आज करोड़ों पढ़े-लिखे

और कम पढ़े-लिखे नौजवान घूम रहे हैं। यह योजना कि मशीनीकरण करना है, अच्छी सड़कें बनानी हैं, अच्छे पुल बनाने हैं, यह तो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन, इस बात का ध्यान रखना होगा कि आखिर इस मैन पावर को कहां लगाया जाय। 50 आदमियों का एक दिन का काम मशीन एक घंटे में कर देगी। पथकर लगना चाहिये, इसका विरोध नहीं होना चाहिये। बिना इसके पुल और सड़कें नहीं बन सकती। इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पथकर अवश्य वसूल कीजिये लेकिन डिपार्टमेन्ट में हिसाब नहीं आता और यह काफी समय तक चलता रहता है। तो इसको आप रिवाइज करायें। जहां इसकी अवधि समाप्त हो गयी हो और जहां पैसा वसूल हो जाय, पान्टून ब्रिज की बात तो दूसरी है, उसमें तो हर साल चार-पांच लाख रुपया खर्च होता है, लेकिन बाकी में रिवाइज कर दीजिये तो अच्छा रहेगा।

प्रदेश के कई जिलों में मस्तिष्क ज्वर से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जायगा। (कोई आपत्ति न होने पर वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

[वर्ष 1984 से अब तक इस प्रदेश के किसी भी जिले में मस्तिष्क ज्वर से न तो किसी के ग्रसित होने और न ही मृत्यु होने की कोई सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रदेश के किसी भी जिले में मस्तिष्क ज्वर से उत्पन्न कोई संकट पूर्ण स्थिति नहीं है। तथापि इस वर्ष कुछ जिलों में बुलन्दशहर और मथुरा में गर्दन तोड़ बुखार के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई है। उसके रोकथाम तथा उपचार हेतु समुचित व्यवस्था कर दी गई है। किन्तु मस्तिष्क ज्वर का इस प्रदेश के किसी भी जिले में कोई प्रकोप नहीं है।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के वक्तव्य के संदर्भ में मुझे जानकारी मिली है कि रामेश्वर महाविद्यालय हाथरस की प्रधानाचार्या, इन्द्रा कुमारी शर्मा को दिनांक 3-3-85 को एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में और विधान सभा क्षेत्र सासनी, जनपद अलीगढ़, ब्लाक अकबराबाद के ग्राम थौराई में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु मस्तिष्क ज्वर से हुई है और अब भी हो रही है। तो इस सूचना को आधार मानकर क्या माननीय मंत्री जी पूरे मामले की फिर से जांच कराएंगे और यदि यह बात सत्य पायी गयी तो गलत सूचना देने वाले अधिकारी को दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर और मेरठ, इन पांच जिलों में मैनेन्जाइटिस का प्रकोप है, मस्तिष्क ज्वर का नहीं है।

ठेठ भाषा में इसे गरदन का बुखार कहते हैं।

एक सदस्य--

आप तो डाक्टर हैं, इसका इलाज बता दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैं डाक्टर तो नहीं हूं, मगर डाक्टर मेरे खानदान में हैं।

मान्यवर, इसका जो प्रकोप है, राजधानी दिल्ली के निकट जो हमारे नगर हैं, उनमें है। लेकिन, कोई ऐसी चिंतनीय स्थिति नहीं है। उसके ऊपर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियंत्रण है । सल्फाडाइजीन की गोली नमक का पानी और गरारा—यह इसका इलाज है । आकाशवाणी के माध्यम से जिन क्षेत्रों में यह बीमारी है, उसका प्रचार कर रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

इसकी रोकथाम के बारे में बतायें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, रोकथाम की जहां तक बात है, इसमें कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं है । यह कोई मच्छर की बीमारी नहीं है । यह प्रदूषण की बीमारी है पानी की ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बुलन्दशहर में यह बीमारी नहीं है । मैं निश्चित जानकारी के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि दिल्ली में भी मान्यवर, यह है और दिल्ली के पास के जिलों में भी यह है । बुलन्दशहर उसमें भी है । दिल्ली के लिये, इसके इलाज के लिये, जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा, जापान से टीके मंगवाये गये । मान्यवर, दिल्ली में यह बीमारी हुई उसके बाद यह फैलकर उसके निकटवर्ती नगरों में भी हो गयी । यह बताया गया था कि इस बीमारी से आम तौर पर आदमी मर जाता है और बच्चों में यह बीमारी ज्यादा होती है, जिस कारण लोगों में काफी भय व्याप्त था । मैं अपनी जानकारी देते हुए माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि उन 4—5 जिलों में, जिसमें बुलन्दशहर भी खासकर है, इस बीमारी के प्रवाह को रोकने के लिये कोई कदम उठायेंगे या जो भी अभी तक के केसेस हैं, उनकी फिर से छानबीन कराने के लिये उन्होंने अब तक क्या किया इस बारे में बतायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विशेषज्ञों की एक टीम दिल्ली से और बरेली से भी उन क्षेत्रों में चली गयी है और आवश्यक छानबीन कर रही है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

बलिया के लिये भी कुछ सोचें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

हम लोग बहादुर आदमी हैं, हम लोगों के यहां तो यह सब होता ही रहता है ।

डा0 बंगाली सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे अलीगढ़ जनपद के सासनी क्षेत्र में 25 लोगों की मृत्यु इस बीमारी से हो चुकी है । रामेश्वर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य, इंदिरा कुमारी शर्मा की 3 तारीख को मौत हो चुकी है । एस0 एन0 मेडिकल कालेज में यह बताया गया था कि उनको मस्तिष्क का ज्वर था । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब तक रीढ़ की हड्डी का पानी न निकाला जाय, तब तक यह पता नहीं चलता कि मस्तिष्क का ज्वर है या नहीं । मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी बाबत जो बाहर से टीके मंगवाये जा रहे हैं, वह दवाई जरूर मंगवायी जाय और उन प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द पहुंचायी जानी चाहिये । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ के सी0 एम0 ओ0 साहब वहां गांव में गये थे उन्होंने स्थिति को देखा था । एक टीम भी गयी, वह टीम छानबीन कर रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र सासनी अलीगढ़ जनपद के बारे में आवश्यक सूचना मंगाकर, मेरे क्षेत्र में जो यह घातक रोग शुरू हो गया है, उसको दूर कराने का कष्ट करें । इसके अलावा हमारा दूसरा खैर क्षेत्र है, वहां भी कई मौतें हो चुकी हैं । क्या माननीय मन्त्री जी उस गांव में इस बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा सुविधा

उपलब्ध करायेंगे ताकि लोगों की जानें बच सकें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, जिला चिकित्सालयों में गरदन तोड़ बुखार के लिये जिस वैक्सीन की आवश्यकता थी, उसे वहां पहुंचा दिया गया है । जिन जनपदों की सूचना हमको मिली थी, वहां यह दवा पहुंचा दी गई है । उन जनपदों के नाम हैं, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलन्दशहर और मेरठ ।

मान्यवर, मस्तिष्क बुखार का जो समय है वह सितम्बर और अक्तूबर का महीना होता है । फिर भी माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसकी जानकारी मैं कर लूंगा ।

लखनऊ, जनपद इटावा में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(कोई आपत्ति न होने पर वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

वन राज्य मन्त्री (श्री जाफर अली नकवी)--

[इटावा जनपद में यमुना, चम्बल एवं क्वारी नदियों के बीहड़ क्षेत्रों में विगत वर्षों में नीलगायों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । यह नीलगायें दिन के समय निकटवर्ती वनों में रहती हैं और रात में निकल कर खेतों में फसलों को क्षति पहुंचाती हैं । सम्पूर्ण इटावा जनपद में लगभग 171 गावों में नीलगाय द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाये जाने का अनुमान है ।

2--यद्यपि दिनांक 4 अक्तूबर, 1983 से प्रदेश में शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है परन्तु वन्य जन्तु (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ब) के अन्तर्गत मुख्य वन जीव प्रतिपालक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वे इस बात से सन्तुष्ट हैं कि नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को वास्तव में क्षति पहुंचाई जा रही है तो वे उन्हें मारने के लिये शिकार नियमों के अन्तर्गत शिकारियों को (केवल राइफल लाइसेन्स धारकों को) परमिट दे सकते हैं । चूंकि नीलगाय एक ऐसा वन्य जीव है जिसके नाम के साथ गाय शब्द जुड़ा हुआ है और गाय शब्द जुड़ा होने से कभी-कभी एक धार्मिक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचने के मामले भी प्रकाश में आये हैं अतः इससे कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की भी सम्भावना रहती है । इसी कारण दिनांक 30 जुलाई, 1983 को सम्पन्न हुई राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद् की चतुर्थ बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ और परिषद् ने संस्तुति की कि प्रदेश में जहां कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगायों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाने की समस्या उत्पन्न हो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ही उन्हें मारने के परमिट जारी किये जायं । वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) (ब) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी भी इस प्रकार के शूटिंग परमिट जारी करने के लिये सक्षम हैं । इस कारण राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद की उक्त बैठक में की गई संस्तुति के आधार पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 5 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय के निदेश जारी कर दिये थे ।

3--इटावा जनपद में नीलगायों की समस्या की सूचना जब जिलाधिकारी

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इटावा के माध्यम से माह जून, 1984 में प्राप्त हुई तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश ने नील गायों को नष्ट करने के शूटिंग परमिट जारी करने हेतु जिलाधिकारी इटावा की स्वयं की सक्षमता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुये उनसे अनुरोध किया कि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगायों को नष्ट करने के लिये शूटिंग परमिट जारी करें। शासन ने भी इटावा जनपद में नीलगायों को मारने हेतु शूटिंग परमिट देने के निर्देश मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक तथा जिलाधिकारी इटावा को जारी कर दिये हैं।

4—इटावा जनपद में नीलगायों को नष्ट कराने की अग्रेतर कार्यवाही मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तथा जिलाधिकारी इटावा द्वारा की जा रही है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने सूचित किया है कि इसमें शूटिंग ब्लाक बनाये जा रहे हैं और इनमें नील गायों को नष्ट करने हेतु परमिट जारी करने की तैयारी की जा रही है।]

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी नील गाय शब्द के स्थान पर पहाड़ा स्वीकार करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, जिसे नील गाय कहा जाता है इसे हम लोग बड़ा हिरन भी कहते हैं।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जो वन्य जन्तु फसल को नष्ट करते हैं, क्या उनसे फसल को बचाने के लिए सरकार ने कोई उपाय किया है। क्योंकि जो राइफल से मारने की बात कही गयी है, वह सब आदमी तो खरीद नहीं सकते हैं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, यह इटावा की समस्या थी। इसमें कोई दो-राय नहीं कि यह एक भीषण समस्या है। जब हमें इसकी सूचना मिली तो हमने अपनी धारा में परिवर्तन करके जिलाधिकारियों को इसकी सूचना दी है कि वे लाइसेन्स देकर, जिनके पास राइफल हैं, इन जन्तुओं को मार सकते हैं। इसके लिये हमने विज्ञापन किया है। मैं यह भी बता दूं कि इसके लिये शूटिंग सेन्टर भी बनाये जा रहे हैं, इसके अन्दर व्यवस्था की गई है कि जो फसल को तबाह करने वाले जन्तु हैं, उन्हें मारने की छूट है। वाइल्ड वार्डन जो हैं, उनसे भी वे सम्पर्क कर सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर हम विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

प्रदेश में बढ़ते हुए जल प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

जल प्रदूषण आज की सभ्यता और समाज के सामने ज्वलंत समस्या बन गई है। जल के स्वरूप पर जो संकट आ गया है उससे पूरा का पूरा भारतीय समाज ग्रसित हो चुका है। हमारे यहां और विदेशों में जो बुनियादी फर्क है वह यह है कि विदेशों में जो प्राकृतिक वातावरण है और जल का जो स्वरूप है वह पूरा गन्दा हो चुका है, वहां का वायुमन्डल दूषित हो चुका है। हमारे यहां अभी मौका है। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाय तो इसको रोका जा सकता है। 1977 में अर्जेन्टाइना में विश्व जल सम्मेलन हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि एक दिन ऐसा आयगा जब पानी की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बून्द तेल की एक बून्द से ज्यादा मंहगी हो जायगी और यह भी कहा गया था कि आधा गैलन अगर पानी हो तो उसमें आधा चम्मच पानी हो ताजा माना जा सकता है। यानी 0.03 प्रतिशत जल ही ठीक माना जा सकता है।

बड़े-बड़े महानगर हैं, जैसे काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, त्रिवेणी का संगम है, जहां-जहां नदियां बहती हैं वहां की पूरी की पूरी आबादी समाप्त हो जायगी, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता मैदानी इलाके की है। नदियों के किनारे की बसी हुई है। लेकिन यूरोप की सभ्यता औद्योगिक है और हमारे यहां नदियों के किनारे की बसी हुई, घाटियों में बसी हुई है। जो गंगा नदी देश की सबसे बड़ी और लम्बी नदी है जिसकी लम्बाई 8 हजार 47 कि0 मी0 है, इस पर करीब-करीब हजारों नागरिक बसे हुए हैं। इसके साथ ब्रह्म पुत्र नदी आती है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण है तो कानपुर में है जहां 18 प्रतिशत, इलाहाबाद में 4 प्रतिशत, वाराणसी में 5 प्रतिशत है और यह दर बराबर बढ़ती हो जा रही है। इसका नतीजा क्या होगा, इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। फेफड़े, पेट आदि से सम्बन्धित तमाम बीमारियां पैदा हो गयी हैं।

इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक आधार पर हमारे यहां गंगा नदी केवल एक नदी ही नहीं करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था, विश्वास की बात है। अगर-उसका जल प्रदूषित हो गया तो उनके विश्वास को ठेस पहुंचेगी इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाय। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कल तक जो गंगा अमृत वाहिनी गंगा थी वह सीवर वाहिनी गंगा हो जायगी। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 1980 में दिल्ली में जब श्री नारायण दत्त तिवारी योजना आयोग के अध्यक्ष थे, तो केन्द्रीय पर्यावरण रक्षा समिति का निर्माण किया गया था। चूंकि वह अध्यक्ष थे, उन्होंने तब कुछ सिफारिशें की थीं जिनके लागू करने की अब जरूरत हो गयी है। उसमें कहा था कि जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनमें एक कक्ष पर्यावरण के लिए भी स्थापित होना चाहिए।

वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम पारित किया गया था जिसे वहां की विधान सभा में भी पारित किया गया था। अब उसमें कई दोष आ गये हैं।

उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड बनाया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि वह बोर्ड अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है। उसके जो सचिव और अध्यक्ष हैं वह गैर सरकारी व्यक्ति होने चाहिए लेकिन इस समय सरकारी व्यक्ति उसमें नियुक्त किये गये हैं।

इस समय कानून में इतना दोष आ गया है कि अगर उसमें तब्दीली न की गई तो सरकार चाहकर भी इसको दूर नहीं कर पायेगी। उसमें सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर कोई व्यक्ति जल प्रदूषण से पीड़ित हो तो वह व्यक्ति सीधे तौर से न्यायालय के पास नहीं जा सकता है। उसको पहले बोर्ड को नोटिस देना होगा। सबसे बड़ी खामी हमारे अधिनियम में यह है कि इसका अलग से उत्तर प्रदेश के बोर्ड का कोई बजट नहीं है। यह या तो अनुदान से चलता है या दान से चलता है, दूसरों की दया पर चलता है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए बजट में स्पष्ट प्राविधान करें। इसके लिए जब तक बजट में स्पष्ट प्राविधान नहीं किया जायेगा तब तक यह उत्तर प्रदेश का बोर्ड केवल दूसरों की दया पर चलता रहेगा। अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पायेगा। कानून में प्राविधान है

कि सामान्य न्यायालय हों जो व्यक्ति या संस्था प्रदूषण फैला रहे हैं उसको दण्डित करेगा। इसके लिए विशेष न्यायालय का गठन होना चाहिए क्योंकि सामान्य न्यायालय किसी भी कार्य को शीघ्रता से निपटा नहीं पायेंगे। यह आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध भी है इसलिए इसमें विशेष न्यायालय का गठन होना चाहिए। मैं इस बात को साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि केवल भारतीय संविधान ही ऐसा संविधान है जिसमें जल प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था की गई है।

जब संविधान का 42 वां संशोधन किया गया था उसमें इसका प्राविधान किया गया था। राज्यों को उत्तरदायित्व सौंपा गया था। 48-क का संशोधन किया गया जिसमें राज्यों को यह उत्तर-दायित्व सौंपा गया कि पर्यावरण, वन्य जीव, झील और जीव संपदा आदि की वे रक्षा करेंगे। उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वे पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया है उस संशोधन को देखते हुए सरकार उसका निर्वाह करे और जो लोग, जो नागरिक सूबे के अन्दर प्रदूषण को फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब तक स्पष्ट तौर पर प्राविधान नहीं किया जायेगा तब तक प्रदूषण रुक नहीं पायेगा।

इस सम्बन्ध में एक सुझाव आया है कि जितने भी नदियों के किनारे शव हैं वे हटा दिये जायेंगे। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं :—

काशी में 32 हजार शव प्रति वर्ष जलाये जाते हैं। 11 हजार टन का सीवर का भार होता है। 50 टन अर्धजली लाशें हैं जिन्हें गंगा में प्रवाहित किया जाता है। गंगा नदी में गांव के गिरने वाले नालों, घाट पर शवों को दफनाना और बहिस्राव का बढ़ोत्तरी है। करीब 40-45 से लेकर 60 सैकड़ा तक गंगा जैसी नदी में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वह नगर पालिका के कारण बढ़ रहा है। उसको ट्रीटमेंट प्लान बैठाना चाहिए। 6 सीवेज पम्पिंग स्टेशन लगाने की बात थी लेकिन बनारस में 6 में से 2 भी पंपिंग सीवेज स्टेशन नहीं चल रहे हैं। जहां-जहां गंगा नदी बहती है या अन्य नदियां बहती हैं और जहां-जहां नगरमहापालिका या टाउन एरिया का सीवर गंगा नदी में या किसी अन्य नदी में गिरता है, जब तक वहां पर शोध संयंत्र न लगा दिये जायें, उसको नदी में प्रवाहित न किया जाय। इसके अलावा जो औद्योगिक बहस्राव है, इसने पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। औद्योगिक सभ्यता का अन्धा-नुकरण न किया जाय।

आज जो जल प्रदूषण की समस्या पैदा हुई है, वह औद्योगिक क्रान्ति की होड़ में जो प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण है, उसको हम भूल चुके हैं। अगर इसका अन्धानुकरण किया जायगा तो प्राकृतिक सम्पदायें, पानी, हवा भी दूषित होने जा रही हैं। आज मौका है कि पानी और हवा को साफ रखा जा सके। आने वाले दिनों में न तो वायुमण्डल साफ रह जायगा और न जल साफ रह जायगा। कुछ देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहां पर कि वायु तक इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों को मास्क पहनकर चलना पड़ता है। जो औद्योगिक मास्टर प्लान आपने कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ या अन्य स्थानों पर जहां भी योजनायें निर्धारित की गयी हैं, उनका स्वरूप निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि गंगा के किनारे कोई भारी उद्योग स्थापित न किया

जाय । जनपद वाराणसी में रामनगर में भारी उद्योग के लिये इन्डस्ट्रियल इस्टेट का स्थापना की गयी है, वहां पर लगभग 150 कारखानों को लगाने का प्राविधान है । जानने वाले जानते हैं कि रामनगर से जब गंगा बनारस की ओर बहती है, तो उसका झुकाव बनारस की तरफ रहता है । जब गंगा का जल औद्योगिक बहिश्राव के साथ राजघाट की तरफ चलेगा तो जितने भी लोग स्नान कर रहे होंगे, उनके ऊपर आयेगा और जल की स्वच्छता नहीं रह जायगी ।

एक परियोजना केन्द्र सरकार ने शुरू की है लगभग दो वर्ष पहले मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार पत्र लिखकर केन्द्र सरकार से विरोध प्रकट करे । वह योजना है पटना से लेकर कलकत्ता तक स्टीमर चलाने की, जो कि पटना से वाराणसी होकर जायगा । नदी का जल अन्य चीजों की अपेक्षा तेल से ज्यादा प्रदूषित होगा और उसका इलाज जल्द नहीं हो सकता है । आज आप जो जल का रंग देख रहे हैं, वह स्टीमर की यात्रा के बाद बिल्कुल काला हो जायेगा । इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आज जो नियम 52 के अन्तर्गत आपने हमको मौका दिया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए, अभी समय है शासन चाहे तो रोकथाम कर सकता है ।

मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री शासन में एक अलग मन्त्रालय की स्थापना करें जो जल प्रदूषण से सम्बन्धित हो । इसके अलावा सरकार के भरोसे ही जल प्रदूषण की रोकथाम का कार्य न रह जाय, इसके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक आन्दोलन चलाया जाय और जो भी सामाजिक संस्थायें हैं चाहे रोटरी क्लब हो या लायन्स क्लब हो, उनका आवाहन किया जाय कि गंगा के जल को साफ रखने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अन्दोलन चलायें । इसके लिए जन चेतना का फैलाना आवश्यक है ।

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर माननीय सदस्य ने चर्चा के लिए इच्छा प्रकट की और आपने समय दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में जवाब दे दें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, इसमें मुख्तसर में दो ही बातें सामने आती हैं । यह प्रदूषण शहरीकरण, औद्योगीकरण और बढ़ती हुई आबादी के कारण से ही पैदा हो रहा है । इसमें दो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं । पहली तो समाज की और दूसरी शासन की जिम्मेदारी ।

सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, आपने देखा होगा कि शहरों में लोग अपने घरों के दरवाजे पर हो, गलियों में, सड़कों के किनारे सुबह, शाम, दोपहर में बच्चों से मल त्याग कराते हैं, जगह-जगह थूक देते हैं । यह बात श्रीमन्, आपने सचिवालय में भी देखी होगी । यह सब परोक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रदूषण का कारण बनता है ।

शासन की जिम्मेदारी जो है जिसके ऊपर माननीय सदस्य ने अभी ध्यान आकर्षित किया है । सीवेज सिस्टम का प्रवाह नदियों की ओर है जिसके कारण गंगा और यमुना व प्रदेश की अन्य नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है । श्रीमन्, आपने देखा और सुना होगा कि हमारे देश के युवा प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी ने जब रेडियो और टेलीवीजन के ऊपर अपना नीतिगत वक्तव्य दिया था तो उसमें उन्होंने इस प्रदूषण को ठीक किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया था और

यही कारण है कि उन्होंने गंगा, यमुना से प्रदूषण ठीक किये जाने के सम्बन्ध में एक एंक्शन प्लान बनाया है।

मुख्तसर में, गंगा-यमुना प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश का बोर्ड है वह इस सम्बन्ध में अध्ययन कर रहा है। गंगा बेसिन प्रदूषण अध्ययन दल व यमुना बेसिन प्रदूषण अध्ययन दल ने बताया है कि गंगा के किनारे जो मुख्य शहर हैं जैसे हरिद्वार, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस और कानपुर वहां का गंगा का पानी अत्यधिक प्रदूषित पाया गया। इसी तरह से यमुना के किनारे जो शहर हैं जैसे वृन्दाबन, मथुरा और आगरा यहां का जल भी अत्यधिक प्रदूषित पाया गया।

अब जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते थे, उस बारे में मैंने अभी बताया कि ऐक्शन प्लान बनाया गया है और इसके लिए भारत सरकार ने 250 करोड़ रुपए स्वीकार किये हैं। यह कार्य 1985-90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया जा रहा है। उसमें से 102 करोड़ रु0 उत्तर प्रदेश में गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए खर्च किया जायेगा।

माननीय सदस्य, बनारस ने विशेष तौर से बनारस की प्रदूषण समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि बनारस में जो सीवर के लिए 96 लाख रु0 की एक योजना 1984 में शुरू की गई थी इसमें जितने सीवर डिफेक्टिव पाये गये उनके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और मैं आशा के साथ कहता हूं कि जितने सीवर वहां के लिए हैं वह जल्दी ही चालू हो जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि नदियों में शव तिरवाये जाते हैं। इसके लिए बोर्ड ने वहां पर विद्युत् शव-दाह गृह बनाये जाने की रिकमन्डेशन की है। वह भी संभव है जल्दी ही कुछ इंतजाम किया जायेगा। तीसरी बात आपने कही कि हिन्दू जो फूल सिराते हैं, राख विसर्जित करते हैं उसमें शायद सदन एक मत न होगा कि उसे बन्द किया जाय क्योंकि वह हजारों वर्षों से यह धारणा बनी आई है कि जो बनारस में जाकर मरता है या जिसकी राख संगम पर विसर्जित की जाती है उसको मोक्ष मिलता है। तो इन सब पोल्यूशन होता है उसके लिए प्रिकाशन लेना चाहिये और लिया जायेगा।

आपने कानपुर का उदाहरण दिया वहां पर मान्यवर, मुख्यत: दो बातें हैं एक तो सीवर के प्रवाह की, दूसरी बात वहां जो टेनरी लगी हैं उनके द्वारा भी प्रदूषण पानी का होता है। वहां पर करीब 60 टेनरीज हैं जो लगभग एक ही ब्लाक में हैं उसके लिए बोर्ड की ओर से एक योजना प्रस्तावित है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है जो 160 लाख रुपये की है उसमें धन की व्यवस्था नहीं हो पाया है जैसे ही होगी उस योजना को लागू करवाया जायेगा।

इसी तरह से मथुरा और वृंदाबन की बात कही गई वहां पर साड़ियों के रंगने से प्रदूषण होता है है उसके लिए भी एक योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि प्रदूषण न हो।

आपने एक बात बोर्ड की बात कही तो उसके लिए भारत सरकार ने आपरेशन गंगा आथॅरिटी बनाई है जिसके चेयरमैन प्रधान मंत्री जी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के मुख्य मंत्री सदस्य हैं। पूरी गंगा के लिए एक योजना बना रहे हैं जिसे 7वें प्लान में लिया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी योजनायें हैं रिहन्द और नैनीताल लेक पर भी काम किया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और इशारा कर रहे हैं कि मैं खत्म करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बहस में

हिस्सा ले सकें जिससे यह जन आंदोलन बन सके और लोग इसकी आवश्यकता महसूस कर सकें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अभी हमारे विद्वान मित्र शतरुद्र प्रकाश जी ने बड़े विस्तार में इस मामले को रखा । मान्यवर, यह गंगा और यमुना की धरती उत्तर प्रदेश जहां से सभ्यता का विकास पूरे देश व अन्य देशों में भी फैला है आज वही गंगा और यमुना ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं कि वह अपवित्र ही नहीं हो गई हैं बल्कि गंगा और यमुना का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि उसका जो सर्वे किया गया और जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार जो भी उसके पानी में नहाता है या पीता है वह आदमी बीमार हो जाता है क्योंकि वह पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है और उसके बहुत सी बीमारियां हमारे महानगरों में गंगा और यमुना के जल से फैल रही हैं । मान्यवर, अन्य प्रांतों ने इससे सीख लेकर अपने यहां जो योजनायें कार्यान्वित की हैं वह हमारे यहां से बेहतर हैं । चाहे आज हरियाणा या गुजरात हो या दूसरे प्रदेश हों उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाये हैं ।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने सन् 80 में एक पर्यावरण मंत्रालय अलग से बनाया था लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक कोई पर्यावरण मंत्रालय नहीं बनाया। इसके साथ ही जो प्रदूषण बोर्ड है वह इतना इन-डिफेक्टिव है, इतना निष्प्रभावी है उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका कोई असर आने वाले दिनों में तत्काल पड़ने वाला नहीं है । आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना दिया लेकिन उसको न तो लेब० की मंजूरी दे रहे हैं न तो वित्तीय संसाधनों का कोई प्राविधान ही कर रहे हैं । कहीं आप कह रहे हैं कि उसके कार्यों का कार्यान्वयन जल संस्थान से करायेंगे कहीं कह रहे हैं कि दूसरे विभागों से करायेंगे, इसलिए अभी तक यह सब बातें निश्चित नहीं हो पायी हैं । जबकि केन्द्र सरकार ने गंगा आपरेशन एथारिटी बना दिया और उन्होंने 10 करोड़ रुपये का प्राविधान भी कर दिया है ।

मैं याद दिलाना चाहूंगा मंत्री जी को कि 10 सितम्बर को इसी विधान सभा में तत्कालीन मंत्री ने यहां आश्वासन दिया था कि इस प्रदेश में जल प्रदूषण को दूर करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जायेगा । मान्यवर, 1984 चला गया, 1985 आ गया है, अनुपूरक बजट भी आ गया, लेकिन अफसोस है कि जल प्रदूषण के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया जबकि केन्द्र सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जिसमें 5 प्रान्त हैं । मान्यवर, बराबर यह कहा जा रहा है कि वित्तीय संसाधन मिलने पर किया जायेगा, लेकिन यह वित्तीय संसाधन तो जुटा नहीं पायेंगे और जिस तरह 5 साल बीत गए हैं उसी तरह यह भी बीत जायेंगे । इसलिए विधान सभा में कोरे आश्वासन देने में ही यह जल प्रदूषण दूर नहीं होने वाला है । आज स्थिति इतनी खराब है कि जल प्रदूषण तत्काल यदि रोकने के प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो यह फिर कंट्रोल में आने वाला नहीं है ।

मान्यवर, जैसा कि श्री शतरुद्र प्रकाश ने कहा है कि जो नालों और उद्योगों का बहाव है, जो जारी है उसके सम्बन्ध में हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुकदमे तो दायर कर देते हैं जो सालों चलते रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता है और औद्योगिक इकाई के बड़े-बड़े लोग स्टे आर्डर कोर्ट से ले आते हैं जिससे मुकदमे वहीं के वहीं ठप पड़े रहते हैं, उससे गंदे जल का बहाव रुकने वाला नहीं है । सरकार कहती है कि हम मजबूर हैं । इसलिए सरकार से मैं चाहता हूं कि इसके लिये अलग से लेजिस्लेशन और वित्तीय

संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। लेजिस्लेशन द्वारा अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रभावी ढंग से अधिकार देना चाहिए कि वह जगह-जगह इसको चेकिंग करके तत्काल कार्यवाही कर सकें। मान्यवर, अभी कानपुर की बात आयी, वहां टेनरी के लोग पैसा नहीं जमा करते हैं। वहां पर अभी प्रारम्भिक उपचार के केन्द्र भी नहीं खोले गये हैं।

मान्यवर, आप देखें, बनारस में, जहां से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, गंगा के जल को पीने की कोशिश करें तो उसमें इतनी गंध आती है कि मालूम होता है कि वह गंगा का नहीं किसी नाले का पानी है। इसी तरह की हालत कानपुर में है और जहां से गंगा निकलती है वहां से अब प्रदूषण शुरू हो गया है। यह सब आज जनसंख्या के बढ़ाव के कारण है जिससे गंगोत्री से प्रदूषण शुरू हो गया है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि केवल इस विधान सभा में कोरे आश्वासन न दिए जायं बल्कि प्रभावी कदम उठाकर तत्काल इस पर कार्यवाही करके वित्तीय संसाधन और लेजिस्लेशन की व्यवस्था हर जिले में, कम से कम जहां नदियां बहती हैं वहां लेबोरेटरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जांच होकर तत्काल कार्यवाही शुरू हो जाय। मान्यवर, प्रदेश में ऐसे 10-11 शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं वहां यह व्यवस्था की जाय, अन्यथा जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं उसमें तो 20 सालों में नदियों के प्रदूषण को आप दूर नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, आज इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार वैसी ही घोषणा करे, जैसी केन्द्र सरकार ने अपनी घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अगले बजट में इस प्रकार की घोषणा अवश्य करायेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, कम से कम जितना केन्द्र सरकार संसाधन व्यय कर रही है, उतने संसाधन अवश्य व्यय करेगी और निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम लागू करेगी कि आने वाले 5 सालों में हम पूरे प्रदेश के जल प्रदूषण को दूर कर देंगे तथा इन पवित्र नदियों को साफ कर देंगे। इसके साथ में उम्मीद करता हूं कि वह आवश्यक प्रयास करेंगे कि जिससे उनको इस हेतु संसाधन मिले और अगली बार उनकी तरफ से स्पष्ट आश्वासन सदन में आ जायेगा।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी को बधाई देना चाहूंगा कि वह इतने महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में चर्चा के लिए ले आए और आपने उस पर अनुमति दी। जब वह प्रदूषण के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि कैसे-कैसे जल-प्रदूषण हो रहा है। नदियां ही नहीं जितने भी पानी के स्रोत हैं--नदी, झीलें, भूमिगत जल या बर्फ तक में जो जल है, सब जगह का सारे का सारा जल प्रदूषित होता जा रहा है। यह भी उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में जल प्रदूषण इतना हो चुका है कि उसको ठीक करने में समय लगेगा। लेकिन हमारे यहां अभी उतना नहीं है, हमारे यहां कम है और उसको पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। आज वहां ज्यादा समस्या हो गयी है परन्तु उनके यहां समस्या हमारे जितनी गम्भीर नहीं है और रास्ता निकाल लिया है। मिसाल के तौर पर मैं उनको बताना चाहूंगा कि यूरोप में राइन नाम की नदी है, उसमें जितना जल बहता है, उसको शुरू से आस्ट्रिया से नार्थ-सी में गिरने तक 5 बार उसके जल का उपयोग किया जाता है। उसका बार-बार उपयोग करके बार-बार उसको फिर साफ करके उसे नदी में डाल दिया जाता है और अन्त में भी नदी उतनी ही साफ रहती है, जितनी कि अपने उद्गम के स्थान पर थी। उन्होंने गंगा नदी के ऐसे प्रदूषण पर बल दिया कि उसमें शव और अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं। लेकिन यह प्रदूषण बहुत गम्भीर किस्म का नहीं है। यह इस प्रकार का प्रदूषण है जो

जैविक यानी कार्बनिक हैं, जिसका असर कुछ समय के बाद, थोड़ी दूर के बाद धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है कि उसका असर जल में बहते-बहते जीवाणुओं द्वारा डिग्रेड होकर धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। कितने समय बाद समाप्त हो जाता है यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु कुछ समय बाद उससे उत्पन्न प्रदूषण बिलकुल समाप्त हो जाता है।

सबसे बड़ा डर रसायनिक प्रदूषण से उत्पन्न प्रदूषण से है। क्योंकि वह कभी समाप्त नहीं होता है, जहां तक कि वह नदी समुद्र में गिरकर भी समाप्त नहीं हो जाता है किन्तु समुद्र में भी वह वर्तमान रहता है, वह मछली में प्रवेश कर जाता है और जो लोग उन मछलियों को खाते हैं वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। जापान में एक स्थान पर मिनी माता नामक एक बीमारी हो गई, जो प्रदूषित मछलियों के खाने से हुई। इसमें लकवा (पैरालिसिस) हो जाता है। इसी तरह से जब रसायनों से बीज शोधन किया जाता है और वह बीज खेतों में बोते हैं तो उससे निकला हुआ मरकरी यानी पारा बहकर नदियों में जाता है और उन नदियों की मछलियों का उपयोग जब मनुष्य करते हैं तो धीरे-धीरे उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको पैरालिसिस हो जाता है। मैं रसायनिक प्रदूषण की दो मिसालें अपने प्रदेश की देना चाहूंगा। एक रिपोर्ट सन 82 की केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की है, जिसके अनुसार मात्र दिल्ली में ही प्रति दिन 130 टन प्रदूषणकारी रसायनिक पदार्थ यमुना नदी में प्रवाहित किये जाते हैं।

श्रीमन, सोचकर कितना आश्चर्य होता है कि हम लोग कैसे जीवित हैं? मथुरा और आगरा में जब यमुना नदी आती है तो वह बहुत प्रदूषित होकर आती है। उसके बाद उसमें आकर कुछ नदियां मिल जाती हैं इसलिए कंसन्ट्रेशन उतना नहीं रह जाता। मैंने एक प्रश्न में उठाया था तो मामला सिर्फ बनारस का नहीं है बल्कि जहां-जहां यह नदियां जाती हैं, वहां यह समस्या है। मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि जो सल्फर हमारे कोयले में जलता है, जो हमारे पावर हाउस में जलता है तो पहाड़ों पर जब वर्षा होती है, इस सल्फर के कारण तेजाबी वर्षा होती है। इससे कितना नुकसान होता है, उसका मन्त्री जी अंदाजा बिलकुल नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर भारी मात्रा में थोड़े समय के बाद वन सूखने लग जायेंगे और कोई इलाज इसका नहीं कर पायेंगे। वहां की मिट्टी में मौजूद शीशा, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबा जब घुलकर पानी में आता है तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले जब उस जल को पीयेंगे तो ऐसी बीमारियां होंगी, जिसका हम इलाज नहीं कर पायेंगे तो यह चिन्ताजनक विषय है। इसके लिये प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, लेकिन वह आवश्यक कार्य ही नहीं कर सका है। फिर भी इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया गया है। देर आयद दुरस्त आयद। जब यह प्रारम्भ हुआ है तो विचार यह करना है कि जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वह प्रभावी हो।

प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग की दक्षता है। उनको प्रदूषण के मामले में, पल्यूशन कंट्रोल के मामले में, इन्वायरमेंटल साइंसेज के बारे में कोई दक्षता नहीं है। वह सड़क बना सकते हैं, फर्श बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं और किसी प्लांट की डिजाइन कर सकते हैं पर प्रदूषण की समस्या को समझ नहीं सकते हैं और न इसका निवारण कर सकते हैं। तो इस पद पर आप ऐसे आदमी को नियुक्त करें जो प्रदूषण के बारे में जानकारी रखता हो।

मैं मन्त्री जी के उत्तर में यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पिछले एक वर्ष में कितने कारखानों की चेकिंग की जो रोजाना प्रदूषण कर रहे हैं, उनमें से कितनों पर मुकदमा कायम

किया गया और कितने मामलों में सजा हुयी । मैं ऐसी मिसाल देना चाहता हूं और मंत्री जी तक उसको पहुंचाना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे । एक मामले में हाई कोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी कर दी कि जब तक वह फैक्ट्री रासायनिक प्रदूषण बन्द नहीं करती है तब तक फैक्टरी बन्द कर दी जाय । लेकिन मान्यवर, प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष ने उस फैक्टरी को चलाने की अनुमति दे दी है । अध्यक्ष के पास हाई कोर्ट से कंटेम्पट आफ कोर्ट का नोटिस आया है और शासन ने भी अध्यक्ष से इस बारे में जानकारी मांगी है । प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड वाच डाग की तरह की बाडी होनी चाहिये । जिस प्रकार से कुत्ता रक्षा करता है एक सम्पत्ति की, मालिक की उसी तरह से इस बोर्ड को होना चाहिये । लेकिन यह ऐसा वाच डाग है जो काटने का काम तो करता ही नहीं है अधिक खेद यह है कि यह ऐसा वाच डाग है कि जिसमें भौंकने की क्षमता भी नहीं रही है कि वह कुछ शोर करके हमें प्रदूषण के बारे में चौकस कर दे । मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड का अगर वह जिम्मेदारी से पुनर्गठन नहीं कर सकेंगे और इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह समस्या दूर नहीं होने वाली है

अन्त में मैं यह कहकर बैठ जाता हूं, मैंने बहुत समय लिया है कि जो भावना हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने व्यक्त की है, गंगा अथारिटी का गठन करके जो भावना व्यक्त की है, वह करोड़ों जनजन की राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करती है । उनकी भावनाओं को हमारा शासन तो संजीदगी से ले ही, इस रोशनी में ले कि इस कार्य को हम शीघ्र कर दें । हमारे सदन के माननीय सदस्य भी इस भावना को इस रोशनी में लें कि इसको हम प्रदेश के जन-जन तक पहुंचा सकें और लोगों को आगाह कर सकें कि जो चीज आप देख नहीं रहे हैं और जो चीजें फैल रहा है वह चीजें कितना भारी खतरा आपके जीवन के लिये पैदा कर रही है । इस ओर सोच और विचार सम्भव हो सके तो यह बहुत अच्छा होगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य वाराणसी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदूषण की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया । मान्यवर, यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा, दिल्ली, टूंडला, फिरोजाबाद, चंदेलार, बटेसर ऐसे शहर बसे हैं जिनकी स्थिति रोजाना बिगड़ती जा रही है इस प्रदूषण की वजह से । मान्यवर, आगरा शहर में पीने का पानी जमुना नदी से लिया जाता है और आगरा तक जमुना आते-आते, सारी दिल्ली का गंदा पानी और मथुरा रिफाइनरी का गंदा पानी जमुना नदी में चले जाने के बाद उसके पानी में इतना प्रदूषण हो जाता है कि आगरा शहर में पीला पानी पीने के कारण बहुत लोग बीमार हो गये और उनकी हालत खराब हो गयी, जिसके कारण वहां जल संस्थान को अपनी पाइप लाइन सुरक्षित रखना दूभर हो गया । आगरा शहर ऐसा तीर्थ स्थल है, जहां ताजमहल को देखने के लिए लोग जाते हैं और उनकी नजर जमुना नदी की गंदगी पर जाती है । ताजमहल तक आते-आते जमुना नदी गंदे नाले में बदल जाती । ताजमहल से ऊपर ही 12 नाले जमुना नदी में आकर गिरते हैं और मैले से युक्त पानी वहां नाले का रूप धारण कर दुर्गन्ध देता है, चमड़ा, टेनरियों का गंदा पानी जमुना जी में गिरता है और वही सब गन्दा पानी टूंडला में पीने के लिए वाटर वर्क्स के जरिये पीने के लिए दिया जाता है । जो भी आदमी ताजमहल को देखने के लिए आता है, यह अपना मुंह बन्द करके ताजमहल की खूबसूरती देखने के बजाय, दुर्गन्ध के लिए गालियां देते वहां पर जमुना नदी का पानी दिखाई नहीं देता है, केवल बल्कि

गंदा पानी दिखाई देता है। पूरे शहर का गंदा पानी और आगरा को चमड़े की टेनरियों का गंदा पानी बहता हुआ टूंडला पहुंचता है और वाटर वर्क्स के जरिये पीने के लिए दिया जाता है, जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं।

चंदवार जैसे ऐतिहासिक स्थल वहां पर हैं, इनमें जो पानी बहकर आता है, वही बटेश्वर में पीने के लिए दिया जाता है। बटेश्वर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। वहां पर जितने पशु आते हैं, वह उस पानी को पीकर बीमारी के शिकार होते हैं। वहां पर स्नान करके जमुना में यह कोई नहीं कहेगा कि नहा कर आये हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी पूजा करते हैं और तिलक लगाते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बटेश्वर शिव जी का सबसे बड़ा स्थान है। जमुना जी के प्रदूषण को रोकने के लिए आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं कहता हूं कि गंगा का जितना महत्व है, उससे कम यमुना जी का नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज की स्थिति में फिरोजाबाद में कांच, चूड़ी के कारखाने का सारा पानी जमुना जी में जाकर गिरता है, उसका नतीजा यह है कि आगरा, दिल्ली आदि का सारा गंदा पानी इकट्ठा होकर आगरा से बटेश्वर तक 400 गांव के लोगों को खारा पानी पीने को मिलता है। आगरा से बटेश्वर तक कुआं खोदने पर खारा पानी मिलता है, इसलिए वह लोग जमुना जी का पानी लेते हैं और वहीं गंदा पानी पीकर बीमारी के शिकार होते हैं। आज वहां सबसे बड़ी आंखों की बीमारी रतौंधी आने की बीमारी होती जा रही है और लोगों को त्वचा की बीमारी पैदा हो रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि जमुना नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए तथा आगरा के ताजमहल की भव्यता और सुन्दरता को बनाये रखने के लिए और बटेश्वर नाथ जी की भव्यता को बनाये रखने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री जी घोषणा करें कि जमुना नदी का प्रदूषण रोकने के लिए सरकार कदम उठायेगी और जमुना नदी प्राधिकरण बना कर प्रदूषण को एकदम खत्म करने का प्रयास करेगी। जमुना नदी के किनारे जितने रहने वाले लोग हैं, आगरा तो बड़ा शहर है आगरा से इलाहाबाद तक आस-पास की जितनी आबादी है, सबकी सब जल प्रदूषण से बुरी तरह ग्रसित है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जमुना जी का जो जल प्रदूषण इतना जबरदस्त है, उसको दूर करने का कदम उठाने की कृपा करेंगे इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय की चर्चा का एक घंटा मुकर्रर किया गया है।

जल स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं अपनी बात संक्षेप में कहकर खत्म करूंगा। मान्यवर, प्रदूषण पर जैसा कि माननीय शत्रुद्र प्रकाश जी ने कहा प्रदूषण मौत का आवाहन है। प्रदूषण तीन प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तीनों हमारे देश में हमारे प्रदेश में बड़े विकट रूप से हैं। दक्षिणी भारत में अभी वह स्थिति नहीं आयी है जो उत्तरी भारत में है। गंगा नदी के प्रदूषण की बात कही जाती है, इसके अन्तर्गत गंगा नदी नहीं है। गंगा नदी के सहायक 26 हजार नदी-नाले हैं। इसलिए 1976 में उत्तर प्रदेश में जब मैं सिंचाई मंत्री था प्रदूषण बोर्ड गठित हुआ। उस समय मैं सिंचाई मंत्री था और उस बोर्ड का मैं सदस्य था उस समय से भारत सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास आरम्भ किए। गंगा प्रदूषण में 28 करोड़ की जनसंख्या आती है। भोपाल के पास से बेतवा नदी निकलती है, अरावली से

चम्बल नदी निकलती है जमुनोत्री से जमुना नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश से टोंस नदी निकलती है। 26 हजार नदी नाले गंगा में आकर मिलते हैं।

गंगा प्रदूषण बोर्ड का जो गठन हुआ है उसके अन्तर्गत सभी विशाल नदियां आती हैं। जिन नदियों के किनारे बड़े-बड़े नगर बसे हुए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर चलेंगे तभी गंगा का जल स्वच्छ होगा। माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं उन्होंने कहा है कि गंगा की पवित्रता पर कोई चर्चा नहीं है, वह पवित्र है गंगा की स्वच्छता पर विचार होना है और उसे स्वच्छता प्रदान करनी है। तो स्वच्छता प्रदान करेंगे तो 26 हजार नदियों में सबको एक साथ नहीं ले सकते हैं। उसमें यमुना नदी आ सकती है, बेतवा आ जाएगी। कोटा में अणु विद्युत केन्द्र की स्थापना हो रही है, उसकी मशीन को ठंडा करने के लिए जल चंबल से लिया जा रहा है उसको देखना है जब हम गर्मियों में बाहर बैठते हैं तो हाथों पर पोली बूंद आ जाती है। वह पोली बूंद वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती है। पहाड़ों पर वर्षा अधिक होती है, जिसका सम्बन्ध वायु से है। वायु प्रदूषण रोकने का काम 1975-76 से प्रारम्भ हुआ और वह बड़ी तेजी से चल रहा है, ताकि वायु प्रदूषण रोका जा सके। जल की वर्षा जब हो तो स्वच्छ पानी प्राप्त हो सके। मैं शतरुद्र प्रकाश जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चीज उठाया और जल प्रदूषण की तरफ ध्यान दिलाया। जल प्रदूषण में क्या बातें आती हैं और उसकी रूप-रेखा क्या बनती है यह गंगा प्रदूषण बोर्ड से आयेगा, तो मालूम होगा कि हम इसमें क्या काम करेंगे। मगर सबसे बड़ी चीज आती है हमारे प्रदेश की इतनी अधिक जनसंख्या।

उसकी करीब 70 प्रतिशत जनसंख्या पशुओं की है। दुधारु पशुओं को, पालतू पशुओं का जो मलमूत्र निकलता है उसके निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है और इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। कुत्ते तो बटुक नाथ जी की सवारी है लेकिन जो पालतू कुत्ते हैं उनको एन्टी रेबीज इंजेक्शन देना होगा ताकि वह किसी को काटे तो जहर न हो। हमारे जो पशुधन हैं, गोवंश उनको शहरों के अन्दर रखा जाय या उनको बाहर रखने का स्थान बनाया जाय और उनके मलमूत्र का सिंचाई के कार्य में परिणित करके खेतों को दिया जाय। तभी गंगा शुद्ध होगी। पशुओं के मलमूत्र से सावरेज की लाइन चोक होती है। पशुओं की गन्दगी को साफ करके सावर लाइन में डाल देते हैं और अगर तेजी से पानी न पहुंचा एक दो बाल्टी पानी डाल दिया तो जहां तक गन्दगी बढ़ी, जहां रुकी वही सीमेंट की तरह जम गई। कानपुर का एक प्रश्न आया था।

कानपुर में गन्दगी की सीवर लाइन महानगर में बन्द है। मेरे मित्र ने एक पत्र भेजा कि इस पर कार्यवाही करें जलप्रदूषण का काम जलप्रदूषण अथारिटी बनाकर प्रारम्भ होगा। जहां तक काशी के प्रदूषण का सवाल है। उसके लिये 45 लाख रुपया इसी वर्ष जलसंस्थान को दिया गया है, उसका कार्यप्रारम्भ कर दिया गया है। जो बाकी रुपया है वह अगले वर्ष 31 मार्च के बाद दिया जायेगा। सीवेज पम्पिंग से लग गये हैं कुछ काम बाकी है, जो अधूरे काम हैं वह पूरे कर दिये जायेंगे। हरिश्चन्द्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर जो श्मशान है वह हिन्दू विचारधारा से रखी गयी है। वह रहेगी। लेकिन विद्युत् शवदाह वहां बनाया जायेगा। क्योंकि एक शव को जलाने के लिये 6 सौ रुपये करीब खर्च होता है। 40,45 रुपये मन लकड़ी मिलती है और 8-10 मन लकड़ी एक लाश को जलाने में लगती है। जो लाश पूरी नहीं जल पाती है उस अध जली लाश के क्रिया

करके गंगा में फेंक देते हैं और उससे गोमती दूषित हो जाती है।

विद्युत् शव दाह गोमती नगर के किनारे बन गया है, कानपुर में भी बन रहा है, फर्रुखाबाद में बनाने का विचार है, गंगा के किनारे जो नगर है प्रदेश के अन्दर वहां यह बनाने का विचार है। जब उत्तर प्रदेश में यह है तो भी बाहर के प्रदेश में ऐसी ही योजना होगी ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने और रेवती रमण जी ने प्रश्न उठाया, सदन का ध्यान आकृष्ट किया, इसके लिये मैं बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगीकरण प्रदूषण को रोकने का कोई कदम नहीं उठाया है। पशुओं के मलमूत्र से उतना प्रदूषण नहीं होता है जितना औद्योगिक रसायनिक से प्रदूषण होता है। यह जल में चला जाता है और मछली या जीवजन्तु उसको पीते हैं वह मर जाते हैं। इसलिये औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिये समुचित कदम उठाया जाना चाहिये। मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो सुझाव आया है उसमें मैं माननीय सदस्य, इलाहाबाद से इस बात से सहमत हूं कि जहां-जहां नदी बहती है वहां-वहां पर जल परीक्षण की प्रयोगशालाएं, होनी चाहिए। इसके साथ-साथ मान्यवर जो उत्तर प्रदेश जल नियंत्रण और निवारण बोर्ड है उसकी भी एक शाखा वहां होनी चाहिए। होता यह है कि जल परीक्षण के लिए जाता है तो उसमें काफी समय लग जाता है बेचू को भी मान्यता मिलनी चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि वह बेचू को मान्यता दे दे। इसके अलावा जिला मुख्यालय जो है जहां से नदी प्रवाहित होती है वहां पर भी एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। उसके बाद में माननीय सदस्य बरेली से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हम ऐसे रास्ते में हैं कि प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। विकसित देशों में प्रदूषण की स्थिति बदतर होती गयी है मैं उनकी इस बात से सहमत हूं वैसे गंगा में सबसे ज्यादा आत्मशुद्धि करने की क्षमता है लेकिन यह अफसोस की बात है कि प्रदेश की जितनी नदियां हैं उनका प्रवाह अवरुद्ध हो गया है प्रवाह की गति प्रति मिनट कम होती चली जा रही है इन नदियों का जो जल स्तर है वह भी कम होता जा रहा है। नदियों में नीचे की जो पेटी है वह ऊपर उठती जा रही है। नदियों की सफाई भी बहुत जरूरी है। शासन को तेल से स्टीमर को चलाने से जो प्रदूषण होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तेल से जो स्टीमर चलेगा उससे कोई नदी में नहा नहीं पायेगा और जबरदस्त प्रदूषण पैदा हो जायेगा अन्त में मैं इस बहस में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सबका शुक्र-गुजार हूं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने विशेष न्यायालय की जो बात कही थी वह शासन के विचाराधीन है और सम्भवतः इस पर शीघ्र निर्णय होगा। जगदीप सिंह बरार बोर्ड के चेयरमैन हैं वह पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं। श्रीमन, गंगा के किनारे जो आपने गंगा के बारे में कहा कि उसका तल ऊपर आ रहा है और जैसा कि स्वास्थ्य मन्त्री ने कहा कि गंगा नदी में इतनी नदियां मिल रही हैं इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बेतवा नदी के किनारे का निवासी हूं उससे पोल्यूशन बिलकुल नहीं है। और जिलों का नदियों का शुद्धीकरण किया जायेगा इसके लिए तो सारी योजनाएं हैं।

माननीय सदस्य चले गये हैं जो मथुरा और आगरा के बारे में चिन्तित थे। आगरा के बारे में जो उनके सीवर हैं उसकी भी एक योजना है

उसमें मीथेन पैदा करके उसका कामर्शियल यूज किया जायगा सीवेज को चेक किया जायेगा इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं और यह सब ठीक ही किया जा रहा है। जहां तक सल्फर की बारिश की बात है इसको दिखवा लिया जायेगा। वैसे मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कुछ सूचनाएं आपने मांगी हैं कि कितने उद्योगों के ऊपर मुकदमा चलाये गये हैं। ऐसे 26 उद्योग हैं 2 की संख्या नगण्य है कानपुर और लखनऊ जिन पर पोल्यूशन बोर्ड ने कार्यवाही की है।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, अभी माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि बेतवा से प्रदूषण हो रहा है और माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो किसकी बात सही मानी जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि ये सारी नदियां उससे मिलती हैं।

मान्यवर, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिये, विभाग और बोर्ड उनको निश्चित रूप से परीक्षण करके लागू करने का प्रयास करेगा।

भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन का संकल्प

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यह सदन "भारत का संविधान" में संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

मान्यवर, यह संशोधन एक जनकल्याण का संशोधन है। इसमें हमारे देश के चार प्रदेश मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि हैं। इन चारों में अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार मेघालय में वहां के विधान सभा के अनुच्छेद 332 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि पूरा सदन इसको अपना समर्थन देगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन "भारत का संविधान" में संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

इसके पहले कि आप इसको मतदान के लिये रखें, मान्यवर, मैं इस सदन की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में यह सदन अच्छी तरह से संचालित हुआ और यहां की कार्यवाही सुचारु रूप से चली। इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ मैं विशेष रूप से माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अल्प-

कालीन समय में सदन को सुचारु रूप से संचालित किया। मैं विश्वास प्रकट करता हूं कि हमारे जो नये साथी चुनकर आये हैं, उन्होंने यहां पर महत्वपूर्ण योगदान किया। हम शीघ्र ही यहां पर दोबारा मिलेंगे और हमारा यह मिलन जन कल्याण के लिये और इस प्रदेश के विकास के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं भी अपने दल की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सदन का चलाया। सर्वसम्मति से आप यहां आये। मैं सत्ता पक्ष के साथियों और विरोध पक्ष के साथियों सभी का, जिन्होंने सौहार्द्रपूर्ण रूप से यहां की कार्यवाही में हिस्सा लिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार इस सदन को शीघ्र ही बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग इसमें अच्छी तरह से भाग ले सकें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप सबका आभारी हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और साथ ही सचिव महोदय को और सभी कर्मचारियों को जो आपके सचिवालय के हैं, गार्ड और चपरासियों और सभी लोगों का प्रतिवेदक लोगों का, जिन्होंने इस सदन को चलाने में अपनापूर्ण सहयोग दिया।

मान्यवर, उसके साथ-साथ मैं खासतौर से आपको मुबारक इस बात की दूंगा कि जिस तरह का संचालन आपने इस विधान सभा में किया है, बहुत दिनों के बाद इस तरह शान्तिपूर्ण तरीके से सदन चला है। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

और मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं यह उम्मीद करूंगा कि आज जब हम लोग जा रहे हैं, मैं उन सभी सदस्यों को, जो नवनिर्वाचित हुये हैं और बहुत से नये चहरे भी आये हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से मुबारकबाद दूंगा, जिन आकांक्षाओं को लेकर जनता ने उन्हें चुना है, उन आकांक्षाओं की वे पूर्ति करेंगे। और, सरकार से यह अपेक्षा करूंगा और मान्यवर, आपका संरक्षण चाहूंगा कि अगली बार यह सदन जल्दी ही बुलाया जायेगा और 90 दिन का जो सरकार का पुराना आश्वासन चला आ रहा है, उस आश्वासन पर सरकार जरूर ध्यान देगी। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि केवल माननीय सुचेता कृपलानी जी ने ही सदन 90 दिन चलाया था। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो बड़े विज्ञ आदमी हैं, पार्लियामेंटरी पद्धति के बड़े ज्ञाता हैं, और संसदीय कार्य मन्त्री जी जो करीब-करीब हम लोगों की सभी बातें मान लेते हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि सदन को 90 दिन तक चलायेंगे। मान्यवर, उससे सरकार को बल मिलेगा और हम प्रभावी ढंग से कार्य कर पायेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में यह सदन चलेगा और प्रभावी ढंग से अपने कार्य का निस्तारण करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 41 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
22 मार्च, 1985

नत्थी 'क,

(देखिए पीछे पृष्ठ 125 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

(2) धारा 2, दस अक्तूबर, 1984 को और धारा 3, इकतिस दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 में नयी धारा 31—क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

"31—क—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जाय, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है ।

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी ।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा ।

3—धारा 50 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1984 और संख्या 28 सन् 1984

4—निरसन और अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

विधायी प्रलेख

उद्देश्य और कारण

राज्य के विश्वविद्यालयों के अध्यापक काफी समय से उच्चतर पदों पर समय-बद्ध पदोन्नति के लिए सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। उनकी इस मांग पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को, उनकी अनुमोदित, पूर्णकालिक, नियमित और निरन्तर सेवा की विहित अवधि के पूरा होने के पश्चात् और सरकार द्वारा विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति का लाभ दिया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 में राज्य सरकार को राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां बनाने और 31 दिसम्बर, 1984 तक उनमें संशोधन करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। चूंकि राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में अभी कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन किया जाना है, इसलिये उपर्युक्त अवधि को 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया जिससे कि राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में संशोधन कर सके।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और इस विषय में तत्काल विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिए राज्यपाल द्वारा 10 अक्तूबर, 1984 और 31 दिसम्बर, 1984 को क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1984) और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 1984) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

सिब्ते रजी,
शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 में किए गए ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 के खंड 2 द्वारा बढ़ायी गई मूल अधिनियम की धारा 31-क की उपधारा (1) में उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति की पात्रता हेतु क्रमशः प्राध्यापक या उपाचार्य के पद पर की गई सेवा की अवधि तथा अर्हताएं विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी जा रही है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में वह रीति और ऐसी शर्तें विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी जा रही है जिसके अधीन धारा 31 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जायगी ।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं ।

सिब्ते रजी,
शिक्षा मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 के खंड 2 द्वारा मूल अधिनियम में नयी धारा 31-क बढ़ा कर राज्य विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों को उपाचार्य के पद पर और उपाचार्यों को आचार्य के पद पर समयबद्ध पदोन्नति दिए जाने के सम्बन्ध में प्राविधान किया जा रहा है। इस प्राविधान से राज्य की समेकित निधि से पांच लाख रुपये का आवर्तक व्यय होने का अनुमान है।

सिब्ते रजी,
शिक्षा मंत्री।

विधान सभा सदस्य दस्तूर

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा के उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973

** ** *

धारा 50–(1–क) राज्य सरकार 31 दिसम्बर, 1984 तक किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो।

(2) कार्य परिषद्, 31 दिसम्बर, 1984 के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) अथवा उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

** ** **

पी0 एस0 यू0 पी0–310 सा0 विधा0–22–3–85 (पी0डी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा